राजभाषा भारती

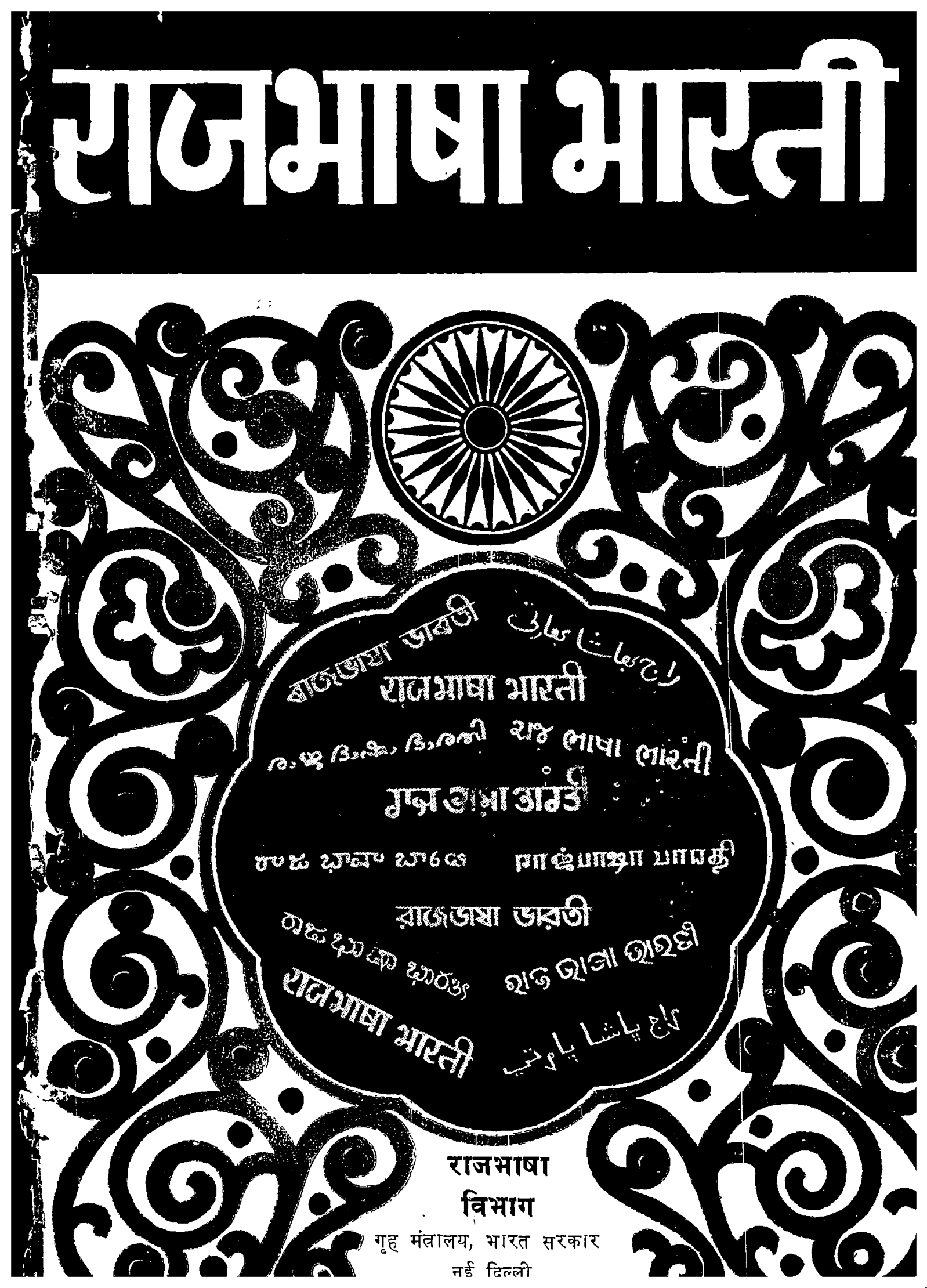

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

"समाज का कोई भी वर्ग हो, आज उसका सर्वप्रथम कर्तव्य देश की एकता व अखण्डता बनाए रखना है। साहित्यकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस प्रकार देश को एक नई रोशनी दी थी उसी प्रकार देश की एकता बनाए रखने के लिए उन्हें चाहिये कि वे आज भी एक सूत्र में आबद्ध हो जाएँ। पुस्तक पढ़ने तथा उसका आदर करने की आज बहुत आवश्यकता है। हिन्दी की उन्नति से जुड़ा हुआ है—हिन्दी भाषा का विकास। यह तभी संभव है जब वह दूसरी भाषाओं को बढ़ावा दे।"

—श्रीमती इन्दिरा गांधी
प्रधान मंत्री, भारत सरकार

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष--6, अंक : 21-22 संयुक्तांक अप्रैल--सितम्बर, 83

संपादक
राजमणि तिवारी

उप संपादक
रंगनाथ त्रिपाठी 'राकेश'

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

*

फोन : 698617/617807

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

*

(निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

कुछ अपनी ... कुछ आपकी 2

1. भाषा, समाज और प्रयोजनमूलक हिंदी —श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव सचिव, राजभाषा विभाग 5
2. हिंदी के विकास में पत्रकारिता का योगदान —डा० विद्यानिवास मिश्र 8
3. भाषा, समाज और संस्कृति —डा० रघुवंश 11
4. सरल हिंदी और भारतेंदु —डा० कैलाश चन्द्र भाटिया 14
5. राष्ट्रभाषा के विकास में बंगाल का योगदान —डा० लक्ष्मीनारायण दुबे 16
6. हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्यों —श्री हरिशंकर 18
7. भारत का भाषाई समाज—परम्परा और हिंदी —डा० मा० गो० चतुर्वेदी 20
8. हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें—कुछ प्रमुख निर्णय 23
   (1) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 23
   (2) उद्योग मंत्रालय 26
   (3) सिंचाई मंत्रालय 28
   (4) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 30
9. विविधा 36
   (1) कुरुक्षेत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 41वां अधिवेशन 36
   (2) महाराष्ट्र में हिंदी शिक्षण को अनिवार्य रखा जाए 38
   (3) मातृभाषा और स्वाधीनता बोध 39
   (4) हिंदी सलाहकार समिति के एक सदस्य की निरीक्षण यात्रा 40
   (5) एक जापानी हिंदी विद्वान महेंद्र साईजी माकिनो के विचार 42
10. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 45
    (1) जोधपुर 45
    (2) जम्मू 48
    (3) मैसूर 48
    (4) आगरा 49
11. विधि के क्षेत्र में हिन्दी–शिमला संगोष्ठी का आयोजन 51
12. राजभाषा हिंदी के बढ़ते चरण 53

कुछ अपनी

प्रस्तुत अंक के साथ हम "राजभाषा भारती" के छठे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पिछले चार अंकों में अन्य लेखों के अतिरिक्त भाषा और राष्ट्रीय एकीकरण, राजभाषा के संदर्भ में द्विभाषिकता, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग तथा विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग विषय पर महत्वपूर्ण समसामयिक परिचर्चाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन परिचर्चाओं पर सुधी पाठकों तथा विद्वानों की सराहना हमें प्राप्त हुई है। इस बार राजभाषा की पूर्व-पीठिका के रूप में हिन्दी के भाषा वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रयोजनमूलक तथा ऐतिहासिक पक्षों के संबंध में अनेक विचारकों एवं भाषाविदों के विचार प्रकाशित किए जा रहे हैं।

भाषा की प्रयोजनमूलकता उसके सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई होती है। भाषा हमारे जीवन का अत्यन्त आवश्यक अंग है। भाषाहीन समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने हिन्दी की प्रयोजन-मूलकता को सामाजिक संदर्भ में रखकर इसी पक्ष को निरूपित किया है और विश्वविद्यालयों से प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की अपील की है। राजभाषा हिन्दी की विकास यात्रा में हिन्दी पत्रकारिता का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारी जातीय पहचान हिन्दी पत्रकारिता के प्रारम्भिक काल में ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उसने हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है किन्तु आज हिन्दी पत्रकारिता अलग-अलग खेमों में बंट गई है—साहित्यकारिता और पत्रकारिता में यह शुभ लक्षण नहीं है। "हमें अपनी जड़ता अभी भी तोड़नी है, अभी भी ताप की आवश्यकता है।" डा० विद्यानिवास मिश्र ने हिन्दी पत्रकारिता को कई दृष्टियों से राजभाषा हिन्दी की उन्नति का आधार बनाया है।

अपने मूल रूप में भाषा किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना की वाहिका होती है। किसी न किसी रूप में संस्कृत के बाद हिन्दी पर यह भार और उत्तरदायित्व विगत 10 शताब्दियों से ही रहा है जिसका वह तब से अब तक सतत निर्वाह करती आ रही है। इस दृष्टि से राजभाषा का ऐतिहासिक दायित्व हमें डा० रघुवंश एवं प्रो० मा० गो० चतुर्वेदी के लेखों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।

व्यवहार की दृष्टि से सरल और सुबोध भाषा ज्यादा ताकतवर होती है। कामकाजी भाषा होने से सरकारी भाषा में अधिक लोक-प्रियता आती है।

इस पक्ष पर डा० कैलाश चन्द भाटिया ने अच्छा प्रकाश डाला है।

हिन्दी सलाहकार समितियों के कुछ प्रमुख निर्णयों के अंतर्गत इस बार चार मंत्रालयों के कार्यवृत्त सम्मिलित किए गए हैं—(1) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, (2) उद्योग मंत्रालय, (3) सिंचाई मंत्रालय और (4) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय। इनसे संबंधित मंत्रालयों के कार्यों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

विविधा में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के कुरुक्षेत्र में हुए इक्तालीसवें अधिवेशन का विवरण विशेष रूप से सम्मिलित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक संसद सदस्य का रोचक तथा प्रेरणास्पद संस्मरण, एक जापानी हिन्दी विद्वान के हिन्दी के संबंध में विचार तथा अन्य पठनीय और उपयोगी सामग्री दी जा रही है। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में जोधपुर, जम्मू, मैसूर और आगरा के विवरण दिए जा रहे हैं।

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण स्तंभ में इस बार शिमला में आयोजित विधि संगोष्ठी तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में हिन्दी की प्रगति को एक विशिष्ट विवरण के रूप में दिया जा रहा है। अन्य विवरणों में भी रोचक सामग्री प्रस्तुत की गई है।

नए स्तंभ के अंतर्गत इस अंक में दो महत्वपूर्ण आदेश दिए जा रहे हैं। इनका संबंध हिन्दी में आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता देने तथा सर्वकार्यभारी अधिकारियों को अधिक मानदेय देने से है। अनुमान है कि इनसे राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

विश्वास है कि राजभाषा भारती आपका सहयोग तथा आपकी सम्मति से प्रेरणा प्राप्त करके अपने भावी स्वरूप में और अधिक उपयोगी तथा आकर्षक बनेगी।

8. "राजभाषा भारती" के पिछले कुछ संयुक्तांक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो इस पत्रिका की समूची विषय सामग्री उत्कृष्ट है, लेकिन परिचर्चा, भाषा और बहता नीर, विविधा, राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम और अतीत के झरोखे से, जैसे स्तंभ इसे प्रकाशन की उच्च कोटि का दर्जा दे देते हैं। इसके साथ-साथ पत्रिका के माध्यम से विभिन्न विभागों में राजभाषा संबंधी प्रगति की जो जानकारी प्राप्त होती है, वह हिंदी के कार्य में लगे अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। पत्रिका की उत्तरोत्तर लोकप्रियता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई स्वीकार करें।

—रामसिंह, हिन्दी अधिकारी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
यूको बैंक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

9. "राजभाषा भारती" के अंक मिलते रहे हैं। आप हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए बहुत उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते रहे हैं। मुझे अक्तूबर 82 मार्च—83 का अंक विशेष अच्छा लगा। इसमें "विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग" काफी उपयोगी और प्रासंगिक लगा। भाषा की सरलता की समस्या पर डा० नगेन्द्र का एवं सरल और कठिन हिंदी संबंधी पृथ्वी नाथ शास्त्री के लेख भी अच्छे हैं। सर्व भारतीय साहित्य शिखर की तलाश शीर्षक लेख (रंगनाथ राकेश) पत्रिका में स्तरीयता का समावेश करता है। इसके साथ विविधा और अन्य सूचनाएं भी उपयोगी हैं।

—डा० श्याम सुन्दर घोष
रीडर हिन्दी विभाग, गोड्डा कालेज, गोड्डा (बिहार)

10. "राजभाषा भारती" का संयुक्तांक 19–20 प्राप्त हुआ, धन्यवाद। इस पत्रिका की उपादेयता के बारे में जितना कहा जाए कम है। उत्कृष्ट संपादन एवं रचना चयन ने 'राजभाषा भारती' को सबके आकर्षण का पात्र बना दिया है।

"राजभाषा भारती" (डा० मनमोहन गौतम) और "संघ सरकार की राजभाषा नीति और उसका अनुपालन" (राजमणि तिवारी) लेखों के लिए उनके लेखकों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई।

—सतीश कविरत्न, हिंदी अधिकारी,
इंडियन रेअर अर्थ्स लि०
111, महर्षि कर्वे रोड, बंबई

इस अंक में मेरे जैसे विधि के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिये अत्यन्त ज्ञानवर्द्धक और उपयोगी बातें पढ़ने को मिली हैं। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि पत्रिका का स्तर और उपगमन दिन-प्रतिदिन निखरता ही जा रहा है। भारत की प्रधान मंत्री प्रातः स्मरणी या श्रीमती इन्दिरा गांधी का यह संदेश कि "सच तो यह है कि भाषा का विकास तब होता है जब वह जनता के हृदय में स्थान पाती है। यह काम और भी आसान हो जाये यदि वह भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करे," एक वास्तविक यथार्थ का आभास कराता है। हम सब को हिन्दी के समुचित विकास में इस संदेश का अनुपालन करना चाहिये।

"विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग—सीमायें और उपलब्धियां" विषय पर परिचर्चा हुई है, उसमें न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त, भू०पू० मुख्य न्यायाधीश श्री शिवदयाल, श्री ब्रजकिशोर शर्मा, डा० मोती बाबू, डा० उमापति दास केसरी और श्री सी० पी० श्रीवास्तव ने जो तथ्य प्रस्तुत किया है और जो सूचनायें तथा विचारोत्तेजक बातें बतलाई हैं, वे सब निश्चित रूप से विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी को राजभाषा के रूप में सतत और अबाध प्रयोग के निमित्त बहुमूल्य सुझाव, संकेत और निदेशक तत्व हैं। डाक्टर नगेन्द्र ने "भाषा की सरलता की समस्या" पर और स्वयं आपने "संघ सरकार की राजभाषा नीति और उसका अनुपालन विषय पर तथा श्री रंगनाथ राकेश ने "सर्वभारतीय साहित्य : शिखर की तलाश" स्तम्भ के अंतर्गत "कवियों में सौम्यसन्त" स्वर्गीय सुमित्रानन्दन पंत के संबंध में गहन विचारों से परिपूर्ण लेख प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार डा० त्रिभुवन नाथ शुक्ल, डा० मनमोहन गौतम, श्री हरिशंकर जी, श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री, डा० महेश चंद्र गुप्त और श्री चन्द्रमोहन तिवारी ने अपने बहुमूल्य और गंभीर लेखों से न केवल "राजभाषा भारती" को गौरवान्वित किया है वरन् उन्होंने राजभाषा हिन्दी के आयाम क्षेत्र का विस्तार करते हुये उसको समृद्धिशाली बनाने में भी योगदान किया है। ऐसे पठनीय, मननीय और संग्रहणीय लेखों के प्रकाशन के लिए आप और आपका संपादक-मण्डल सचमुच ही बधाई के पात्र हैं।

—मुरलीधर चतुर्वेदी,
विधि-प्राध्यापक,
तिलकधारी स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जौनपुर

भाषा, समाज और प्रयोजनमूलक हिन्दी

--श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

[हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के हैदराबाद स्थित उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान ने कुछ समय पहल "भाषा, समाज और प्रयोजन मूलक हिन्दी" पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी। इस संगोष्ठी में राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किए थे जो नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं--

--संपादक]

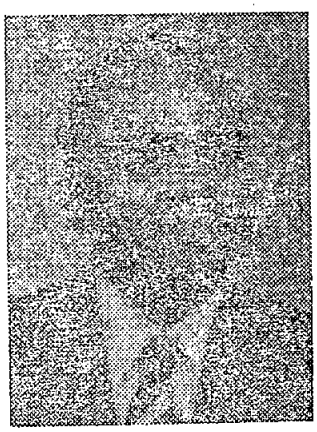

भाषा का क्या महत्व है यह इस बात से जाहिर है कि आज मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए इसी का सहारा ले रहा हूँ। कल्पना कीजिये यदि हमारे पास भाषा न होती तो क्या हम आपसे अपनी बात कह पाते और आज जो दुनिया में इतनी उन्नति हुई है क्या वह हो पाती ? भाषा हमारे जीवन का अत्यत आवश्यक अंग है, किन्तु अति परिचय के कारण हम उसका महत्व समझ नहीं पाते। मानव जीवन के विकास में भाषा ने असाधारण कार्य किया है। मानव की अनेक क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसमें भाषा का प्रधान हाथ रहा है। क्षण भर के लिए यदि हम यह कल्पना करें कि भाषा का अस्तित्व नहीं है तो आप देखेंगे कि हमारे समस्त व्यवहार कितने सीमित एवं संकुचित हो जाते हैं। आज के जटिल, वैज्ञानिक और गतिमान दैनिक जीवन का भाषा एक अनिवार्य अंग है। हमारे जीवन के लिए जितनी सांसों की आवश्यकता है, उससे थोड़ा ही कम भाषा की होती है और हमारे सामाजिक जीवन के लि तो भाषा की नितान्त आवश्यकता है।

2. "भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कभी संकुचित अर्थ में। मूक भाषा, पशु-पक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत ग्रंथों के टीकाकारों की "इति भाषायाम्" द्वारा अभिप्रेत भाषा, सब में सर्वत्र एक ही भाव छिपा हुआ है--वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचारों, भावों या इच्छाओं को प्रकट करता है। जब कभी फटकार सुनकर कोई बच्चा मां की ओर निहारता है और कुछ बोलता नहीं तब मां बच्चे के अंतस्थल की बात शीघ्र समझ जाती है अथवा जब कोई गूंगा मुंह के पास हाथ ले जाकर चुल्लू बनाता है अथवा पेट पर हाथ फेरता है, तो देखने वाले को उसकी प्यास या भूख का अंदाजा हो जाता है। भाषा किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। यह आवश्यक नहीं कि वह ध्वन्यात्मक ही हो, वह संकेतात्मक भी हो सकती है। संकेतात्मक भाषा का उपयोग बड़ा संकुचित होता है, ध्वन्यात्मक का उपयोग व्यापक और लिपिबद्ध भाषा का उपयोग और भी व्यापक होता है।

3. भारत की अनेक प्रान्तीय या प्रादेशिक भाषाओं का जन्म, जिनमें हिन्दी भी एक है, नवीं-दसवीं सदी के लगभग मध्ययुगीन आर्यभाषाओं से हुआ है। इन सबों का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है जिसका प्रभाव न्यूनाधिक रूप में भारत की दक्षिणी भाषाओं पर भी पड़ा है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी भाषा का प्रारम्भ 1000 ईस्वी से माना है। यद्यपि कुछ अन्य विद्वान इस प्रारम्भ छठवीं-सातवीं शताब्दी तक ले जाते हैं। भाषा के रूप में "हिंदी" शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है जैसे :--(1) भाषा-शास्त्र की दृष्टि से, (2) साहित्यिक दृष्टि से (3) भारतीय संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से। भाषा-शास्त्र की परिभाषा के अनुसार हिन्दी-भाषा उस विशाल भाषा-समूह के लिए प्रयुक्त होती है जिसकी विभिन्न विभाषाएं और बोलियां बिहार से राजस्थान तक तथा हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश तक के विस्तृत क्षेत्र में जन सामान्य की भाषाएं हैं। इस लम्बे-चौड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों में से अनेक बोलियों में समृद्ध साहित्य की रचना हुई है और यह बोलियां अपने-अपने क्षेत्रों में बोल-चाल तथा लेखन के प्रधान माध्यम हैं। साहित्य की दृष्टि से भी हिन्दी का काफी व्यापक क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान की दृष्टि से हिन्दी का तात्पर्य हिन्दी राजभाष से है जिसका उपयोग सरकारी कामकाज में किया जा रहा है और जिसका स्वरूप धीरे-धीरे उभर रहा है।

4. पहले कहा गया है कि किसी व्यक्ति के लिए अपने को अभिव्यक्ति करने का सबसे अधिक सशक्त उपकरण भाषा ही है। व्यक्ति समाज के माध्यम से भाषा अर्जन करता है। वह समाज के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। व्यक्तियों को समाज में प्रतिष्ठित करने का उत्कृष्ट साधन भाषा ही है। आज भाषा-हीन समाज की कल्पना तक नहीं की जा सकती। राष्ट्र को संगठित रखने का एक प्रधान साधन भाषा ही है। भाषा के प्रश्न को लेकर समाज और राष्ट्र टूट सकते हैं अथवा सुगठित किए जा सकते हैं। भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक मुख्य अंग है। भाषा समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। अतः भाषा अद्यतन सामाजिक वस्तु है। भाषा का जन्म, विकास और प्रयोग समाज में होता है। माता अपने बच्चे को जो भाषा सिखाती है वह समाज की संपत्ति होती है। समाज को छोड़कर भाषा की कल्पना ही बेकार है।

5. संसार की भाषाओं में हिन्दी एक बहुत व्यापक भाषा है। भारत में भी, जो प्राचीन काल से ही एक बहुभाषी देश रहा है, अधिकांश क्षेत्र की भाषा हिन्दी है और अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं। अन्य भाषा भाषियों ने भी अपने व्यापार आदि कार्यों में इस भाषा को अपनाया है। साधु-संतों ने भी अपनी यात्राओं में इसी की सहायता ली है। प्रारम्भ से ही हम देखते हैं कि सभी धर्म और क्षेत्र के लोग बड़े प्रेम से हिंदी सीखते थे और हिन्दी में कविता करते थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास में उत्तर और दक्षिण के देशी नरेशों, सूफियों और मुसलमान कवियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

6. बीसवीं शताब्दी में हिन्दी ने भारतीय समाज के संगठित होने में बड़ी भूमिका निभायी है। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दी का अमूल्य योगदान रहा है। इस संग्राम के समय हिन्दी भारत के अधिकांश प्रदेशों के निवासियों के अपस में विचार-विमर्श करने की एक प्रमुख भाषा थी। उन दिनों हिन्दी भारतीयता का प्रतीक बन गई थी, भारतवासियों के बीच अपनत्व का प्रतीक। उस समय अनेक साहित्यकारों ने हिन्दी कविताओं, कहानियों आदि के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप हिन्दी भारत के अधिकांश भू-भाग में लोकप्रिय बन गई। भारत में अलग-अलग भाषाओं के बीच एक कड़ी की आवश्यकता है जिसे हिन्दी ने बखबी निभाया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा का महत्वपूर्ण स्थान दिया। हिन्दी को इस स्तर तक पचहुंचाने का श्रेय अहिन्दीभाषियों को अधिक है। अगर हिन्दी को इस सम्मान के लिए चुना गया है, तो इसलिए नहीं कि वह सभी भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ मानी गई है, या सबसे पुरानी है। बल्कि इसलिये कि तुलनात्मक दृष्टि से इसका ही देश में सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार है। इस नयी भूमिका को निभाने में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती हैं।

7. आजादी की लड़ाई से भी काफी पहले जनचेतना की सृष्टि के लिये हिन्दी भाषा की महत्ता समझी गई थी। इसके लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले बंगाल के अनेक मनीषी और समाज सुधारक थे जिन्होंने हिन्दी के देश व्यापी स्वरूप को परखा और इसके लिए आंदोलन शुरू किया। राजा राम मोहन राय, आचार्य केशवचंद्र सेन, जस्टिस शारदा चरण मित्र, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर एवं श्री अरविन्द आदि विचारकों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। दक्षिण में भी इस आवाज को श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर, श्रीनिवासाचार्य, श्री सुब्रह्मण्यम भारती, श्री कुंचन नम्बियार, राजा स्वाति तिरमाल आदि विद्वानों ने उठाया। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता तथा उन्नति के लिए हिन्दी भाषा के महत्व को समझा और उसे ही संपर्क भाषा के रूप में अपनाए जाने पर जोर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन् 1918 में ही कहा था कि "मेरा मत यह है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए"। इन सभी महापुरुषों की प्रेरणा और प्रयास से हिन्दी का महत्व बहुत बढ़ता गया अंततः भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की।

प्रयोजनमूलक हिन्दी

8. हिन्दी के राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने पर उसके उत्तरदायित्वों में अपार वृद्धि हुई है। आज उसे न केवल बोल-चाल और साहित्य की भाषा के रूप में अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना है, बल्कि प्रशासन, विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग तथा पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में भी अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है। यह एक गंभीर उत्तरदायित्व है।

9. आज स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई जाने वाली हिन्दी साहित्यिक विषयों की प्रधानता है। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों पर जो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें निर्धारित की गई हैं वे प्रधानता साहित्यि, परक होती हैं और उनमें काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि पर ही अधिक जोर दिया जाता है। परिणामस्वरूप हिन्दी की उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले आज के विद्यार्थी हिन्दी साहित्य के तो अच्छे जानकार बन जाते हैं, किन्तु दैनिक जीवन में उन्हें अपना कार्य करने में अधिक सहायता प्राप्त नहीं होती। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है है कि वर्तमान काल की हिन्दी शिक्षण व्यवस्था व्यावहारिक अथवा प्रयोजनमूलक नहीं है। व्यावहारिक या प्रयोजन मूलक हिन्दी का तात्पर्य है—वह हिन्दी जो शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थी को अपने तथा समाज के दैनिक काम-काज में सहायता प्रदान करे। उसे अपने व्यावहारिक कार्यों को पूरा करने में सहयोग दे। किसी स्नातक से जब यह कहा जाता है कि वह किसी प्रशासनिक या व्यापारिक विषय में कार्यवाही करने के लिए एक पत्र लिखे तो वह बगलें झांकने लगता है। वह घबरा जाता है और कहता है कि यह तो उसने पढ़ा ही नहीं और अपने शिक्षा संस्थान के ऊपर सारा दोष मढ़ देता।

10. शिक्षा के दो पहलू होते हैं—सैद्धांतिक और व्यावहारिक सैद्धांतिक पक्ष के रूप में कोई विद्यार्थी एक निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन करता है किन्तु किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर किसी विषय का विशेष शिक्षण उसका प्रयोजन मूलक अध्ययन कहलाता है। यह उसके व्यावहारिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर दिया गया प्रशिक्षण होता है। परन्तु आज शिक्षा के क्षेत्र

में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, विशेषकर भाषा के क्षेत्र में, जहां उसे व्यावहारिक अध्ययन करवाया जाए । आज विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को देश की परिस्थिति को ध्यान में रखकर, नये सिरे से बनाने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को उसके अपने अध्ययनकाल में ही विशेष रूप में प्रशिक्षित करने की योजना होनी चाहिए । शिक्षा पद्धति कोरा डिग्रीधारी बनाने वाली नहीं, बल्कि एक सर्जक व्यक्ति का निर्माण करने वाली होनी चाहिए ।

11. आज का आधुनिक जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों, सुगम आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आदि के कारण बहुत व्यापक हो गया है । अत: आज का व्यक्ति केवल काव्य, कहानी, नाटक और उपन्यास के ज्ञान द्वारा ही विविध क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता । उसे तो आज उन विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए जिनसे उसे दैनिक जीवन में भी जूझना पड़ता है । अत: विश्वविद्यालयों के वर्तमान हिन्दी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन होना चाहिए जिससे हिन्दी भाषा में शिक्षित विद्यार्थियों को विभिन्न नये क्षेत्रों में बखूबी काम करने में सहायता मिल सके और यह बात केवल हिन्दी के लिए ही लागू नहीं है वरन् सभी भारतीय भाषाओं के लिए लागू है । भाषा के समुचित ज्ञान के लिए साहित्य का अध्ययन जरूरी है, पर केवल साहित्य का नहीं । आज की स्थिति यह है कि जिनकी मातृभाषा भी हिन्दी है, पर जिन्होंने कालेजों में हिन्दी का खास अध्ययन नहीं किया है वे कोई भी वाक्य ऐसा नहीं बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं जिसमें दो-चार अंग्रेजी शब्दों का समावेश न हो । आधा वाक्य हिन्दी में तो आधा वाक्य अंग्रेजी में । जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए यह स्थिति समझ में आ जाती है चूंकि उनके लिए यह समुचित अभिव्यक्ति का साधन है, पर हिन्दी वालों के लिए यह या तो फैशनपरस्ती है या उचित शिक्षा का अभाव । और दूसरी ओर परम्परागत पाठ्यक्रम के अनुसार हिन्दी पढ़े कुछ अन्य व्यक्ति ऐसी कृत्रिम, क्लिष्ट और दुर्बोध भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे सुनने वालों को या पढ़ने वालों को यह जल्दी समझ में ही नहीं आता कि वे कहना क्या चाहते हैं । विश्वविद्यालयों में पढ़े हिन्दी शिक्षा प्राप्त अधिकतर लोग ऐसी हिन्दी का प्रयोग करते हैं जिससे जनजीवन का कोई खास संबंध नहीं रहता और बाद में व्यावहारिक क्षेत्र में आने के बाद तथा प्रशिक्षण और कोशिशों के बावजूद शास्त्रीयता तथा शब्दों का जाल उनका पीछा नहीं छोड़ते । यह स्थिति हिन्दी-भाषा के पनपने में बाधक सिद्ध होती है ।

12. यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई वर्षों से देश के विद्वानों का ध्यान इस ओर गया है और हिन्दी साहित्य के पाठ्यक्रमों में अब साहित्य के अलावा हिन्दी भाषा के अध्ययन जैसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, कोशकला विज्ञान, व्यावसायिक पत्र-व्यवहार, प्रशासनिक पत्र व्यवहार आदि विषयों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है । यह उचित दिशा में किया गया प्रयास है जो हमारे हिन्दी पाठ्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक और जीवनोपयोगी बनाएगा । उच्च शिक्षा तथा शोध संस्थान हैदराबाद दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने इस दिशा में जो प्रयास किया है, वह सराहनीय है । □□□

"हिन्दी के द्वारा ही सारे भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है ।"

—स्वामी दयानन्द सरस्वती

हिन्दी की विकासयात्रा में पत्रकारिता का योगदान

—डॉ० विद्यानिवास मिश्र
निदेशक, क० मुं० विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय

हिन्दी जिन सामाजिक-आर्थिक दबावों में आज का नया रूप पा सकी, उन दबावों से अधिक प्रभावशाली दबाव भीतर का था। भीतर का दबाव सांस्कृतिक आवश्यकता से उद्भूत हुआ था। पश्चिमी औद्योगिक संस्कृति से टकराव के बाद अपने को पहचानने की दुर्निवारता आयी। उसने दो बातें अनुभव करायीं। एक तो देश की एक भाषा हो और वह भाषा देश के जन की भाषा हो, दूसरे यह कि पश्चिम की बौद्धिकता को नकारे बिना अपने बौद्धिक प्रवाह को पुनः सक्रिय करने की आवश्यकता है। यह सांस्कृतिक चेतना सबसे पहले हिन्दी पत्रकारिता में आयी और पत्रकारिता के विकास के साथ-साथ भाषा और आधुनिक सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ, परन्तु दुख है कि एक शिखर पर पहुंच कर यह चेतना ढलान की ओर अस्तोन्मुख होती गयी। इस चेतना के पुनः आह्वान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी नयी सांस्कृतिक प्रक्रिया के इतिहास का पर्यावलोकन करें।

हिन्दी पत्रकारिता के लगभग डढ़ सौ वर्षों के इतिहास पर जब मैं एक सिंहावलोकन करता हूं तो मुझे सबसे पहले एक ही विचार आता है कि हिन्दी पत्रकारिता ने बड़े भोर में बोलने वाली कोयल की तरह स्वाधीनता का जातीय अस्मिता का, भाषिक अस्मिता का ताप बढ़ाया, इतना कि उससे कहा भी गया कि—

'भोरिहिं बोलि कोइलिया बढ़वहु ताप।
घरी एक रहु अलिया तुम चुपचाप॥

एक घड़ी तो चुप रहा करो, सबेरे ही सबेरे तुम बोल-बोल कर उत्तप्त कर देती हो, पर वह चुप नहीं रह सकती। मुझे यह भी याद आता है कि 1942 के आन्दोलन में अखबारों पर अंकुश लगा कि सम्पादकीय दिखा लिया जाए और हिन्दी पत्रकारिता के तेजस्वी प्रतिमाव स्व० बाबूराव विष्णु पराड़कर ने सम्पादकीय का पूरा स्तम्भ खाली (ब्लैंक) छोड़ दिया, ऊपर एक वाक्य लिख दिया—'ब्रिटिश राज्य में सत्य बोलना मना है।' उस कोयल की चुप्पी भी कितनी मुखर थी।

हिन्दी पत्रकारिता के अवदान की चर्चा मैं आगे बढ़ाऊं, इसके पहले यह बताना आवश्यक समझता हूं कि पत्रकार और साहित्यकार में दो खाने आज बने हैं, हिन्दी पत्रकारिता अपनी शैशवावस्था में और अपने जोर पर जब थी तो पत्रकार साहित्यकार था और साहित्यकार पत्रकार। आज व्यावसायिकता के विकास का परिणाम है कि पत्रकारिता और साहित्य दो प्रकार के व्यवसाय हैं। दूसरे यह भी संकेत कर दूं कि आधुनिक हिन्दी का सम्पूर्ण विकास पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। जब मैं सम्पूर्ण विकास में बात करता हूं तो उसके भीतर अभिव्यक्ति, संदेश, लक्ष्य और संप्रेषण ये चारों बातें आती हैं। सम्प्रेषण के लिए वाचिक परम्परा की जो चिन्ता थी, वह चिन्ता हिन्दी पत्रकारिता ने अपने ऊपर ली और अपने पाठक से संवाद स्थापित करने वाली भाषा से उसने शुरूआत की, वह अपने पाठक से अपने समाज से तटस्थ नहीं था, इस माने में उसकी सामाजिक सम्पृक्तता बड़ी साकार थी, निराकार नहीं थी; सगुण थी, निर्गुण नहीं। उसमें एक ओर छेड़खानी करने की जिन्दादिली थी दूसरी ओर अपने सिद्धान्तों के लिए कष्ट सहने की अद्भुत तितिक्षा भी। किसी भी पुराने पत्र का इतिहास लें, चाहे वह श्री जुगल किशोर शुक्ल का 'उदन्त मार्त्तण्ड' हो जो हिन्दी का सबसे पहला पत्र है, चाहे राजा राम मोहन राय का 'वेगदूत' हो, चाहे जम्मू के स्व० पं० छोटे लाल मिश्र का 'भारत मित्र' हो, जिसके साथ स्व० बालमुकुन्द गुप्त और स्व० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी जुड़े चाहे स्व० माधवराव सप्रे का 'केशरी' हो या पण्डित बालकृष्ण भट्ट का 'हिन्दी प्रदीप' हो या पण्डित प्रताप नारायण मिश्र का 'ब्राह्मण' हो या स्व० गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप' हो हरेक पत्र घाटे के कारण और निरन्तर शासन को अर्थ-दण्ड देने के कारण बन्द होकर रहा। पर हिन्दी पत्रकारिता ने कभी अपनी ललकार कम नहीं की, अपना लक्ष्य धूमिल नहीं होने दिया। हिन्दी पत्रकारिता के साहित्यिक योगदान को हम तीन रूपों में देख सकते हैं। सबसे बड़ा योगदान इसका है, साहित्य की आधुनिकता की जमीन तैयार करने में, 'उदन्त मार्त्तण्ड' का सन् 1827 का एक उद्धरण देना चाहूंगा :—

"जब ते या कलकत्ता नगरी में 'उदन्त मार्त्तण्ड' को प्रकाश भयो, तब ते लैय आज दिवस लौं काहु प्रकार के ढ़ाढस बांध विद्या के बीज बैवे को हिन्दुस्तानियन के जड़ता खेत को वहुविधि जोत्यो" व्रजभाषा में लिखा गया यह लेख एक लक्ष्य की ओर संकेत करता है, जड़ता के खेत को जोतना, उसमें नयी चेतना की फसल उगाना हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी और सीमाओं के बावजूद जिस एक बात पर बल दिया था वह थी दृष्टि का खुलापन, उसने निरन्तर कहा कि पश्चिम के आये ज्ञान-विज्ञान का तिरस्कार न करो, अपने समाज की जड़ता से चिपके न रहो पर साथ ही अपनी आकांक्षा अपने स्वप्न के अनुसार अपने भविष्यत् का निर्माण करो। अपने को निरन्तर जांचने की आवश्यकता पर उन्होंने बल इसलिए नहीं दिया कि हम अपने को दरिद्र मानें बल्कि इसलिए कि हम सम्पन्न

हैं, हमें दरिद्रता शोभा नहीं देती। आधुनिकता की यह जमीन हवाई नहीं थी, यह ठोस जमीन थी, इसमें अस्मिता की चिन्ता जितनी व्यापक थी उतनी ही गहरी थी। यह किसी एक क्षेत्र की चिन्ता नहीं थी, इसी से हिन्दी के प्रारम्भिक पत्रकारों में बहुत ऐसे नाम मिलते हैं, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी पर उन लोगों को देश की चिन्ता थी। वे यह समझते थे कि कोई भी वैचारिक आन्दोलन देशव्यापी तभी होगा जब वह हिन्दी के माध्यम से चलाया जायेगा। वह आन्दोलन चाहे सामाजिक हो या धार्मिक या राजनीतिक। राजा राममोहन राय ने 'बंगदूत' चलाया। जम्मू के पं० छोटे लाल मिश्र ने 'भारत मित्र' शुरू किया। बाद में तो अमृतलाल चक्रवर्ती, नवीन चन्द्र राय, माधव राव सप्रे, बाबू राव विष्णु पराड़कर, लक्ष्मण नारायण गर्दे जैसे और उज्ज्वल नक्षत्र इस सूची में जुड़ते गये। व्यापक देश की अवधारणा के साथ-साथ गहरी मूल्य-चिन्ता हिन्दी पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवदान है। हिन्दी साहित्य में जो राष्ट्रीयता का ज्वार आया और पत्रकारिता के द्वारा उसने स्व० माधवप्रसाद मिश्र, स्व० बालमुकुन्द गुप्त, स्व० गणेश शंकर विद्यार्थी, स्व० माखनलाल चतुर्वेदी, स्व० बाल कृष्ण शर्मा नवीन, स्व० प्रेमचन्द, स्व० यशपाल जैसे विप्लवी और तेजस्वी लेखकों को आगे बढ़ाया। हिन्दी साहित्य में जो कभी भी संकुचित क्षेत्रीयता नहीं आयी, उसके मूल में देश के विभिन्न भागों से जुटी हिन्दी पत्रकारिता की सार्वदेशिकता तो थी ही, यह चिन्ता भी थी कि जगते हुए देश को एक भाषा चाहिए, गूंगे किसान और मजदूर को एक वाणी चाहिए। पत्रकारिता के माध्यम से ही महामना मालवीय, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने जनजागरण का अभियान चलाया।

हिन्दी पत्रकारिता का दूसरा अवदान है भाषा की चेतना। पश्चिम की औद्योगिक क्रांति की छाया में आधुनिक हिन्दी का विकास प्रारम्भ हुआ। भाषा के सामने चुनौती आई कि ज्ञान-विज्ञान का सन्देश वहन करते हुए कैसे सर्वसाधारण के साथ जुड़ा रहा जा सकता है। उसने इसलिए शुरू से एक मध्यम मार्ग अपनाया, नई सांस्कृतिक सामाजिक चेतना की मांग पूरी करने के लिए अपने सम्पूर्ण सांस्कृतिक विरासत को फिर से सहेजा और उस थाती से संस्कृत की शब्दावली ली, साथ ही गांव-हाट में बोली जाने वाली भाषा के मुहाविरे लिए, कहने का ठेठ देसी ढंग लिया। जो लोग हिन्दी-भाषी क्षेत्र के बाहर के थे, उन्होंने संस्कृत का आश्रय कुछ अधिक लिया था, जो लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे थे उन्होंने अंग्रेजी से लिया, पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लेखकों का था जो भाषा की अस्मिता के बारे में बहुत सचेष्ट था। विभक्ति विचार पर महीनों तक आलोचना प्रत्यालोचना चला सकते थे और 'अमस्थिरता' ठीक प्रयोग है या नहीं, इस पर लम्बी बहस बड़े जुझारू स्तर पर छेड़ सकते थे। हिन्दी पत्रकारिता के प्रथम पचासेक वर्षों में अनेक प्रयोगों से गुजरती हुई भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के शब्दों में हिन्दी 'नये चाल में ढली' (1878) भारतेन्दु ने भाषा की सजीवता और सहजता को जो दिशा दी थी, वही हिन्दी गद्य की सही दिशा है। एक उद्धरण दूंगा "हे देशवासियो इस निद्रा से चौंको। इनके अर्थात् अंग्रेजों के न्याय के भरोसे मत फूले रहो, यह विद्या अर्थात् अंग्रेजी विद्या कुछ काम न आयेगी, यदि तुम हाथ से व्यापार सीखोगे तो तुम्हें कभी दैन्य न होगा। नहीं तो अन्त में यहां का सब धन विलायत चला जायेगा और तुम मुंह बाये रह जाओगे। जिस प्रकार अमरीका उपनिवेशित होकर स्वतन्त्र हुआ वैसे ही भारतवर्ष स्वतन्त्रता लाभ कर सकता है।" यह दुर्भाग्य की बात है कि सजीवता और सहजता का यह लक्ष्य आगे कुछ भूलता गया और पत्रकारिता का गद्य इन दोनों गुणों की उपेक्षा करता गया। सजीवता भीतर से आती है, प्राणों के उच्छ्वास से आती है, जब आधुनिकता का अर्थ आत्महीनता या आत्मतटस्थता हो जाए तो सजीवता आयेगी कहां से? इसी प्रकार सहजता भाषा के निरन्तर अभ्यास के संस्कार से आती है, अपनी भाषा की बनावट निरंतर पहचानते रहने से आती है। जब अपनी भाषा दूसरी भाषा से सन्तुलित होती रहे तब अपनी पहचान खोती जाती है और दूसरी भाषा (प्रभु भाषा) की पहचान ओढ़ी जाती है और भाषा कृत्रिमता की ओर झुकने लगती है।

अन्त में मैं हिन्दी पत्रकारिता के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक अवदान पर आता हूं। वह अवदान है सर्वसाधारण के दुख-सुख की साझेदारी का ऐसा अनुभव जो बिना किसी आलौकिक शक्ति के आवाहन के, भीतर हों। शुरू में हिन्दी पत्रकारिता धार्मिक आन्दोलन से जुड़ी हुई जरूर थी, पर वह धर्म का व्यापक अर्थ लेती थी। हिन्दी पत्रकारिता ने देश के वाणिज्य, देश की खेती, देश के कल कारखाने और देश की चाल ढाल पर शुरू से ही ध्यान दिया, उसी का फल यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति को शोषण का तीखा अनुभव हुआ। इस शोषण के खिलाफ स्वर ऊंचा उठाने वालों के लिये अपनाव का भाव जगा। एक ओर तो हिन्दी साहित्य को एक जुझारू रूप हिन्दी पत्रकारिता से मिला, दूसरी ओर हिन्दी पत्रकारिता से ही उसे महनीय मूल्य के रूप में लोक की चिन्ता का भाव मिला। आधुनिक हिन्दी साहित्य लोकैषणा का साहित्य बनकर ही नये युग में प्रविष्ट हुआ, यह हिन्दी पत्रकारिता के लगभग पचास वर्षों के संघर्ष का ही परिणाम है। ऐतिहासिक नायकों से होरी जैसे नायक तक की यात्रा तभी सम्भव हुई।

मैं इसी प्रसंग में यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यद्यपि आज भी समझदारी मासिक पत्रों को पत्रकारिता के दायरे से खारिज कर देती है पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वाचिक सम्प्रेषण से छापेखाने के सम्प्रेषण में उतरते हुए भी लेखक को वाचिक परम्परा की आत्मीयता बनाये रखने की चिन्ता थी, हिन्दी के मासिक पत्र रचनाओं के संकलन मात्र नहीं थे, वे सक्रिय आन्दोलन थे, भारतेन्दु युग के 'कवि बचन सुधा, पीयूष प्रवाह, 'आनन्दु' कादम्बिनी और उसके बाद की सरस्वती माधुरी, सुधा, चांद, प्रभा, हंस, मर्यादा, विशाल, भारत, मधुकर, जनपद, हिमालय, पारिजात, कल्पना, प्रतीक, नया समाज, जैसे पत्र अपने में एक-एक संस्था बने। इन्होंने साहित्य की सक्रियता की

पर थोड़ा गहरे स्तर पर विचार करने से इसको समझना आसान है। हम अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दृश्य जगत का अनुभव प्राप्त करते हैं। रंग, रूप, ध्वनि, गंध, स्पर्श हमारे अनुभव प्राप्त करने के साधन या माध्यम हैं। पर मानवीय स्तर पर ऐन्द्रिक संवेदन के आगे ज्ञान मानसिक होता है। मन इन्द्रियों से इन संवेदनों को ग्रहण करता है और नाम-रूप प्रत्ययों में संयोजित करता है। यह सारा संयोजन शब्दमय या भाषारूप होता है। अंतः हमारे अनुभव-जगत का जितना कुछ हमारे मन में रूप ग्रहण करता है वह प्रत्ययों (नाम रूप) में होता है अर्थात् भाषा रूप में जिस प्रकार अनुभव का एक संवेदन स्तर हमारे मानसिक जगत से नीचे होता है उसी तरह हमारे सामान्य जीवन से भिन्न या ऊपर परा मानसिक अनुभव का भी जगत हो सकता है। पर हम जिस सामाजिक व्यवहारिक स्तर पर जीवन-यापन करते हैं उसमें हमारा अनुभव भाषा-रूप ही है।

भाषा परिवार की दृष्टि से भारत में कई पारिवारिक भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर और मध्य भारत की भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं और इसके अतिरिक्त उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में चीनी परिवार का प्रभाव माना जाता है। आदिवासी जनों के अलग-अलग कई भाषा वर्ग हैं। भाषा के इस प्रकार के वर्गीकरण-विभाजन के आधार पर अनेक समस्याएं उठाई जाती हैं। इनमें कुछ राष्ट्रीय स्तर पर चिन्ता और चर्चा का विषय होती हैं। निहित स्वार्थ के लोग और वर्ग इन्हें गलत परिप्रेक्ष्य में रखकर अनेक भ्रम उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार यह कहकर कि अंग्रेजों के शासन के पहले भारत कभी राजनीतिक इकाई नहीं रहा, उसकी राष्ट्रीय इकाई और एकता पर प्रश्न-चिह्न लगाया जाता है, उसी प्रकार देश में अनेक भाषाओं के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न और शंकाए उठाई जाती हैं। वैसे तो देश का बहुत बड़ा भाग व भू-भाग कई बार राजनीतिक एकतंत्र के अन्तर्गत भी रहा है पर इस देश की मूल-प्रकृति को समझने के लिए यह जानना अपेक्षित है कि यहां का व्यापक जन समाज राजतन्त्र से निरपेक्ष रहा है। देश को इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़े हैं। भारतीय इतिहास में प्रायः देखा गया है कि विदेशी सेनाएं आगे बढ़ती गईं पर जन-समाज की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। यह दायित्व केवल शासक वर्ग का मानकर चला जाता रहा।

परन्तु यहां उसके दूसरे पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है। भारतीय जन-समाज की इकॉई को जानने या परखने का मुख्य आधार सांस्कृतिक चेतना को स्वीकार किया जाना चाहिए। उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम के विभिन्न प्रदेशों में बिखरे जन-समाज की एकता, एकसूत्रता और समरसता को संस्कृति के विभिन्न पक्षों के आधार पर जांचा जा सकता है। यहां यह भी ध्यान रखना है कि इतने विस्तृत भू-भाग में फैले हुए समाज या समाजों की एकसूत्रता को समझते समय उनकी विविधता और विशिष्टताओं के अन्तर्गत उसे देखना-खोजना होगा। अलगाव और विघटन पर बल देने वाले इन विविधताओं पर बल देकर उनकी वास्तविक आंतरिक एकता को अस्वीकार करना चाहते हैं।

सामाजिक मूल्यों और नैतिक मानदण्डों का आधार प्रायः सारे भारत में समान है। इसी प्रकार धार्मिक आस्था और विश्वास की बात है। कहा जा सकता है कि इस देश में धर्म के क्षेत्र में तो सबसे अधिक विविधता है। वस्तुतः यह जो वैविध्य दिखाई देता है उसका कारण भी यही है कि इस देश का जन-समाज धर्म को व्यापक अर्थ में लेता आया है साम्प्रदायिक धर्म के अर्थ में नहीं। इस धर्म के अन्तर्गत व्यक्ति का सामाजिक व नैतिक दायित्व भी आता है और अपने आत्मिक विकास की संभावनाएं भी। यह विशेष प्रकार की भारतीय दृष्टि है जो अन्य देशों में नहीं मिलती इस दृष्टि के कारण ही यहां के हर प्रदेश के समाज में व्यापक स्तर पर जिस प्रकार सामाजिक मूल्यों-मानदण्डों के बारे में समानता देखी जा सकती है, उसी प्रकार आस्था और विश्वास के रूप समान प्रकार से अलग-अलग हो सकते हैं। भिन्न स्तर के विश्वास करने वाले लोगों के तीर्थ सारे देश में फैले हैं। केदारनाथ-बदरीनाथ से लेकर कन्या-कुमारी तक, पुरी से लेकर द्वारकापुरी तक हर भारतीय की तीर्थ-यात्रा चलती है। इनके बीच में हर प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, श्रद्धा करने के स्थल हैं।

और गहरे पैठिए तो भारतीय मानस की समरूपता या इकॉई का अधिक सघन और स्पष्ट रूप उभरता है। दार्शनिक चिंतन की धाराएं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक प्रवाहित होती रही हैं। परम्पराओं के अनुसार वेदों के सूक्तों के रचयिता उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम सभी क्षेत्रों के माने जाते हैं। ऋग्वेद का मुख्य प्रदेश पंचनद होगा तो उपनिषदों का पूर्वी प्रदेश तांत्रिकों का गढ़ बंगाल और असम रहा है, तो वैष्णव भक्ति आन्दोलन दक्षिण (तमिल प्रदेश) से प्रारम्भ होकर क्रमशः सारे देश में फैला है। षट्दर्शनों का प्रचलन देश भर में रहा है। शैव दर्शन काश्मीर से शुरू होकर अन्य प्रदेशों में फैला, जबकि वेदान्त को लेकर चलने वाले अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक सिद्धांतों के प्रवर्तक आचार्य दक्षिण से उत्तर आए और उन्होंने सारे देश में अपने मतों को विस्तार दिया। इसी प्रकार शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव सारे देश में रहा है, इनमें वैष्णव सम्प्रदायों का विस्तार सबसे व्यापक रहा है। उत्तर में भक्ति आन्दोलन को चलाने वाले आचार्य दाक्षिणात्य थे, चौदहवीं से सोलहवीं शती तक उनका कार्य चलता रहा। यह आन्दोलन दक्षिण की शताब्दियों से चली आ रही भक्ति परम्परा से विकसित हुआ है। अपनी विशेषताओं के साथ भक्ति के विभिन्न रूप और उनसे प्रभावित साहित्य सारे देश में फैला हुआ था।

हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों-प्रदेशों में अनेक भाषाओं का प्रचलन रहा है। उत्तर और दक्षिण की भाषाओं में संरचनात्मक (पारिवारिक) अन्तर भी रहा है। परन्तु निरन्तर पूरे इतिहास क्रम में दुहरे स्तर पर सांस्कृतिक धाराएं सारे भारतीय समाज को आलोड़ित-विलोड़ित करती रही हैं। सुसंस्कृत-नागरिक स्तर पर संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य व्यापक स्तर पर पूरे देश के जीवन को स्पर्श करता है, निश्चय ही संस्कृत की मान्यता इस स्तर पर सबसे अधिक और व्यापक रही है। सारे देश का ज्ञान-

विज्ञान इस भाषा के माध्यम से सम्पन्न, समृद्ध और विकसित हुआ है। वैदिक वाङमय सारे देश में प्रचलित और मान्य रहा है। आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों के अध्ययन का माध्यम सारे देश में सस्कृत रही है। पौराणिक साहित्य सारे देश में प्रचलित रहा है। इसके अतिरिक्त साहित्य, साहित्य शास्त्र और व्याकरण का प्रचलन भी इसी भाषा में रहा है। जो लोग राजनीतिक इकाई पर बहुत बल देते हैं, वे या तो इस गहरी आंतरिक एकता से अपरिचित हैं या जानबूझकर अनजान बने रहना चाहते हैं।

शिष्ट नागरिक समाज की इस सांस्कृतिक बौद्धिक एकतानता को देख पाना आसान है और इसको देखा-परखा गया है। इस धारा का एक और स्तर है। विभिन्न प्रदेशों में भाषाओं का समृद्ध साहित्य काफी पुराना भी है। इन भाषाओं के साहित्य में अभिव्यक्त जीवन का जो रूप अपने विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों के साथ अभिव्यक्त हुआ है। इन विभिन्न साहित्यों में अभिव्यक्त मूल्यों, मान्यताओं, रीतियों, पद्धतियों, व्यवहारों और आचरणों में देश-देश के विभिन्न जनसमाजों की उस मूलभूत इकाई को जाना पहिचाना जा सकता है। परन्तु जो और गहरे उतर कर लोक-भाषाओं की प्रवाहित होने वाली धाराए हैं उनमें प्रचुर लोक-साहित्य धारावाहिक रूप में चलता रहा है। भाषा के स्तर पर यह लोक-साहित्य उसके बोले जाने वाले रूप में पाया जाता है, अतः थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदला हुआ जान पड़ता है। इस जन-जीवन से एकरस और भिन्न होकर प्रचलित लोक-साहित्यों के आधार पर पूरे देश की सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई को जानने-परखने का काम नहीं के बराबर हुआ है। परन्तु पिछले पचास-साठ वर्षों में हर क्षेत्र के लोक-साहित्य का अध्ययन होता रहा है और इन सबके आधार पर कहा जा सकता है कि स्थानीय विशेषताओं के साथ यह सारा साहित्य सारे देश के लोक-मानस की इकाई का सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता है। इनके लोक-गीतों, लोक-कहानियों, लोक गाथाओं, कहावतों, मुहावरों में विभिन्न क्षेत्रों-प्रदेशों के लोक जीवन की एकतानता, समता और उसके नैरन्तर्य को भलीभांति देखा जा सकता है। स्थानीय अन्तरों के साथ लोक-नाट्य की परम्पराओं में निहित जीवन के दृष्टिकोण की इकाई को भी समझा जा सकता है।

अगर पूरे भारतीय लोक-साहित्य को लें तो उसमें हमारे पारिवारिक जीवन के सम्बन्धों, मान्यताओं, भावनाओं, मर्यादाओं और वातावरण की ऐसी झलक मिलती है जो हर क्षेत्र और प्रदेश के व्यक्ति की अपनी लगेगी। इसी प्रकार धार्मिक आस्था, विश्वास, मान्यता और श्रद्धा-भक्ति का व्यापक स्वरूप सर्वत्र समान जान पड़ता है। विश्लेषण-विवेचन करने पर कहानियों में व्यापक समानता मिलती है, बल्कि सैकड़ों कहानियां प्रायः एकरूप में प्रचलित हैं। यही बात कहावतों और मुहावरों के बारे में भी है। सहज ही इनके माध्यम से समझा जा सकता है कि हमारे जीवन के आधार में कितनी और कैसी समानता व्याप्त है। हमारे देश में शिष्ट और लोक समाज में अलगाव नहीं रहा है, इसलिए पश्चिमी लोक-साहित्य और लोक-समाज की परिभाषाएं यहां ठीक उनके अर्थ में लागू नहीं होतीं। कथा-वार्ताओं, उपाख्यानों, गाथाओं, गीतों आदि के माध्यम से शिष्ट संस्कृति और साहित्य की परम्पराओं को एक स्तर पर अभिव्यक्ति मिलती रहती है। यही कारण है कि भारतीय लोक-साहित्य में हमारा व्यापक सांस्कृतिक अनुभव और भावबोध अधिक स्पष्ट रूप में सुरक्षित रहा है।

भाषा के प्रश्न को इस भारतीय समाज में सघन और आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक धारा के परिप्रेक्ष्य में देखने से सही समाधान मिल सकता है। इस तथ्य को सहज ही देखा जा सकता है, जब तक कि निहित स्वार्थ से उसे विकृत न किया जाए। हमने देखा है कि व्यापक भारतीय समाज में कई स्तरों पर एक ही स्रोत से सांस्कृतिक धाराएं प्रवाहित होती रही हैं। अनेक विविधताओं, विशेषताओं और विभिन्नताओं के बावजूद हमारे रीति-रिवाज, खान-पान, व्रत-त्योहार, पूजा-पाठ और संस्कार-व्यवहार में आंतरिक एकसूत्रता पाई जाती है। उनके प्रति दृष्टि और मानसिकता में बहुत समता है। धर्म के क्षेत्र में आस्था, विश्वास, श्रद्धा और उसके साथ सारा पूजापाठ और कर्मकाण्ड हमारे समाज की व्यापक समान मानसिकता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। हमारे नैतिक मानदण्ड और आचरण से सम्बन्धित मूल्य प्रायः समान हैं। सारे देश में हमारे दार्शनिक चिंतन की धाराएं प्रवाहित होती रही हैं और साहित्य तो तीन स्तर पर—सार्वदेशिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृत, प्रादेशिक तथा लोक भाषाओं में—जीवन को समान मूल्यों, परिकल्पनाओं तथा भावनाओं से सम्बोधित करता रहा है। और यह सारा क्रम एवं प्रवाह भाषा के रूप में चलता आया है।

ऐसी स्थिति में उत्तर-दक्षिण की समस्त भाषाओं में आकृति का, पारिवारिक स्रोत का जो भी अन्तर हो, पर उनके भावबोध, विचार-प्रत्यय और शब्द भण्डार में अपूर्व समानता है। जब अनुभव करने का स्तर समान है, विचार करने की प्रक्रियासमान है और इच्छाएं-आकांक्षाएं भी समान हैं तो भाषा का अभिव्यक्ति का सारा विधान बहुत कुछ समान होगा। यानी समान भावार्थ को व्यक्त करने वाले शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य, मुहावरे, कहावतें आदि इन समस्त भाषाओं में समान मिलते हैं। भाषा का परिचय और अपरिचय उसकी संरचना पर आधारित नहीं है, वरन् उसकी भाव-व्यंजना, अर्थ-प्रक्रिया और शब्दार्थ पर आधारित होता है। अतः हमारी भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध को इसी आधार पर जांचना-परखना चाहिए। जैसा देखा गया है इस स्तर पर हमारे सम्पूर्ण भारतीय समाज की इकाई उनकी भाषाओं में व्यंजित होती है। साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है कि सागर के अन्तराल में प्रवाहित होने वाली धाराओं के समान हमारे भारतीय समाज में पूरे और व्यापक सांस्कृतिक अनुभव को प्रवाहित करने वाली भाषाओं के तीन स्तर हैं। एक स्तर पर संस्कृत और हिन्दी सारे देश की सांस्कृतिक चेतना का वहन करती रही हैं। दूसरे स्तर पर विभिन्न प्रदेशों की भाषाएं हैं जो इस सांस्कृतिक चेतना को निजी विशेषताओं के साथ अभिव्यक्त करती हैं और फिर लोक-जीवन के स्तर पर इसी सांस्कृतिक चेतना का वहन व्यापक रूप से लोक-भाषाओं ने किया है। इस सारे परिप्रेक्ष्य में हमारी भाषा-समस्या एक दम स्पष्ट है और हिन्दी की स्थिति और उसका दायित्व भी स्पष्ट हो जाता है। ●●●

सरल हिन्दी और भारतेन्दु

—डा० कैलाश चन्द्र भाटिया
प्रोफेसर, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएं,
ला० ब० राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

समय-समय पर हिन्दी के सरलीकरण पर चर्चा चलती रही है। हिन्दी को सरल बनाने का सबसे सरल तरीका केवल यही हो सकता है कि उसे एक ओर बोझिल शब्दों से बचाया जाए तो दूसरी ओर अटपटे शब्दों से। अगर हिन्दी को कामकाज की भाषा बनाना है तो 'सरल हिन्दी' का ही प्रयोग होना चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता नहीं रहती। मात्र कठिन शब्दों से ही भाषा जटिल नहीं होती बल्कि जटिल वाक्य-विन्यास से भी भाषा में जटिलता आ जाती है। आजकल अनुवाद की भाषा और भी वेतुकी तथा जटिल होती जा रही है, जिसे आम लोग आसानी से समझ नहीं पाते। क्या आशय है, यही समझ में नहीं आता, तो भी भाषा को कठिन ही कहा जाता है। समय-समय पर साहित्य में हिन्दी भाषा की कई शैलियां चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी।

आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस ओर सबसे पहले ध्यान दिया। शिवप्रसाद सिंह 'सितारे हिन्द' और राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा अपनायी गयी शैलियों में से मध्यम मार्ग आपने ही अपनाया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सन् 1882 में शिक्षा आयोग के समक्ष बाबू हरिश्चन्द्र ने प्रश्नावली भर कर भेजी जिसमें शिक्षा सम्बन्धी 70 प्रश्न थे। इस शिक्षा समिति के अध्यक्ष विलियम हण्टर थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। अपने इस प्रतिवेदन में उन्होंने एक शताब्दी पूर्व ही सरल भाषा का प्रतिपादन इस प्रकार किया था :

खड़ी बोली की दूसरी शाखा हिन्दी है, जो आर्य भाषा या 'साधु भाषा' भी कहलाती है। हिन्दी को संस्कृत शब्दों के प्रचुर प्रयोग से बोझिल करके हमारे पण्डित लोग उसे कड़ी और कठिन बना देते हैं। उन शब्दों को सामान्य बुद्धि के लोग नहीं समझ पाते। दृष्टांत के लिये यह वाक्य ले लीजिए —"मार खाकर वह भाग गया" यह शुद्ध हिन्दी का वाक्य है। इसे मौलवी इन शब्दों में कहेगा—"वह ज़द को बर्दाश्त कर अपने मकान को फ़रार हो गया।" और पण्डित कहेगा, "वह मार सहन करके स्वगृह को पलायन हो गया।" बाह्य शब्दों के इस सम्मिश्रण ने हिन्दी को बिगाड़ दिया। बाह्य शब्दों की अधिक सहायता बिना भी हिन्दी से हमारा काम चल सकता है।''' मौलवियों और पण्डितों के लगातार युद्ध ने हिन्दी के हित को बहुत हानि पहुंचाई है। हमारी बोली न तो मौलवियों की भाषा है और न पण्डितों की, वह कुछ इन दोनों के मध्य की चीज है, वह "सुनहला मध्यमान" है।

मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि फारसी के सब शब्दों का हमारी भाषा से बहिष्कार कर दिया जाये, यह हमारी शक्ति के बाहर है। "मतलब", "अदालत", "हजार", "जहाज", "वजीर", "बादशाह", "जमा, खर्च", "नेकनियत","साहब" जैसे शब्दों को कौन हटा सकता है? ''' हिन्दी रचना से सम्पूर्ण फारसी शब्दों के निकालने का आग्रह करना भूल है। हम निम्न प्रकार की हिन्दी भी नहीं चाहते—नभो मण्डल घनघटाच्छन्न होने लगा। विविध बात बाहूल्य से इतस्ततः कुज्झटिका निपात द्वारा रागतल तमोमय हो गया।" और न निम्न शैली की उर्दू चाहते हैं—"चूंकि दावा-ए मुद्दई बिल्कुल बईद अज़ अक्ल व गुजिश्ता-अजबेहद्द समआत वह खिलाफ अज कानून-ए-मुरबिजा-ए-मुल्क-ए-महरूसा-ए-सरकार है।" हम विशुद्ध सरल भाषा चाहते हैं जिसे जनता समझती है और जो बहु संख्यक लोगों की लिपि में लिखी जाती है। विज्ञान की पुस्तकों में अवश्य हमें प्राविधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए हमारी भाषा में समानार्थक शब्द नहीं है। परन्तु हम चाहते हैं कि बच्चों की स्कूली पुस्तकों के लिये, अदालती कागजों में, समाचार पत्रों में और सार्वजनिक भाषणों में सरल और सामान्य वार्तालाप की भाषा का प्रयोग हो: उसे ही हम सच्चे और सही अर्थों में अपनी मातृभाषा कह सकते हैं:

भारतेन्दु ने सबसे अधिक मातृभाषा के महत्व को प्रतिपादित किया :

'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।'

दैनिक व्यवहार में और सरकारी कामकाज में भी सरल हिन्दी के प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने दिनांक 17 मार्च, 1976 को इस समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें कहा गया था :—

"जैसा कि इसके पहले भी कई बार कहा जा चुका है, सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिए, जटिल और बोझिल नहीं। इस सम्बध में कुछ मुद्दों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

क्या नोट लिखने में और क्या पत्र लिखने में सरल हिंदी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें। अपनी बात दूसरों तक पहुचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि लिखने वाला खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है, जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले की भी समझ में आ जाए कि आखिर लिखने वाला कहना क्या चाहता है।"

सरकारी काम में आमफहम शब्दों का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए और लिखते वक्त दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उपयोग करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए।

हिन्दी का वाक्य-विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए। आज सरकारी भाषा को कामकाजी भाषा बनाना है जिससे वह अधिक से अधिक लोकप्रिय हो सके। इस समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान भारतेन्दु ने दिया था। यदि इस ओर हिन्दी प्रेमियों ने जरा भी ध्यान दिया तो वह दिन दूर नहीं जबकि हिन्दी को सभी पसन्द करेंगे। बापू ने भी हमें यही सिखाया था कि सरल तथा सुबोध भाषा अधिक ताकतवर होती है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी सरल भाषा सहायक सिद्ध होगी। □□□

"आज जब मूल्यों और चरित्र का ह्रास हो रहा है तो साहित्यकार को चेतना का आलोक लेकर अंधकार की आंधी से लड़ना होगा। अकेले शासन के बूते का यह काम नहीं। शासन और साहित्यकार जब मिलकर देश के लिए काम करेंगे तभी देश का विकास तीव्र गति से संभव है और देश की एकता को सुदृढ़ रखा जा सकता है।"

—श्रीमती महादेवी वर्मा

राष्ट्रभाषा के विकास में बंगाल का योगदान

—डा० लक्ष्मी नारायण दुबे
रीडर, हिन्दी विभाग, सागर विश्वविद्यालय

हिन्दी के राष्ट्रभाषा निर्माण तथा उन्नयन में बंगाल का ऐतिहासिक तथा अविस्मरणीय योगदान रहा है। अहिन्दी भाषा-भाषियों के त्याग, उत्सर्ग तथा पूर्ण सहयोग के कारण ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पुनीत, गौरवास्पद तथा उत्तर-दायित्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।

आधुनिक भारत के पिता राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित संस्था "ब्राह्म समाज" ने हिन्दी के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त की थी। राजा राममोहन राय (सन्, 1774-1833) हिन्दी के पक्षपाती थे। उन्होंने हिन्दी में अखिल भारतीय भाषा की पूर्ण क्षमता, दक्षता तथा सामर्थ्य पायी थी। हिन्दी पत्रकारिता, हिन्दी गद्य-निर्माण तथा विकास में बंगला देश तथा राजा साहब का विशेष योगदान रहा है। राजा साहब द्वारा प्रोत्साहित वातावरण में उनके ही युग में हिन्दी का सर्वप्रथम पत्र "उदन्त मार्तण्ड' सन् 1824 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार बंग-भूमि हिन्दी पत्रकारिता की भी प्रसव-भूमि बनी। राजा साहब के सम्पादन में सन् 1826 ई० में 'बंगदूत' नामक पत्र चार भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला तथा फारसी) में प्रकाशित हुआ था। इसके माध्यम से राजा साहब ने राष्ट्रभाषा का पथ प्रशस्त किया। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ के राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल में बंगाल ने हिन्दी के लिये समृद्ध भूमिका का निर्माण किया था। विभिन्न राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा राजनैतिक आन्दोलनों एवं अभियानों के साथ लोक भारती हिन्दी संलग्न हो गयी थी। सन् 1828 ई० में राजा राममोहन राय ने "ब्राह्म समाज" की स्थापना की थी। इसके पुरस्कर्ता—द्वारकानाथ ठाकुर, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द इत्यादि ने हिन्दी के विकास में अमूल्य सहयोग दिया। महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित 'आदि ब्रह्मसमाज' और केशवचन्द्र सेन द्वारा संचालित 'नवीन ब्रह्मसमाज' की हिन्दी सम्बन्धी सेवाएं अविस्मरणीय हैं। राजा साहब संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, फारसी तथा हिन्दी के विद्वान थे। उन्होंने हिन्दी में अनेक लेख तथा प्रकीर्णक लिखे हैं। उनकी हिन्दी संस्कृतनिष्ठ होती थी। राजा साहब ने सन् 1798 में स्थापित फोर्ट विलियम महाविद्यालय की हिन्दी-उर्दू मिश्रित '(अर्थात् हिन्दुस्तानी) भाषा और हिन्दी गद्य के आरम्भिक सृजन में स्तुत्य योगदान दिया है।

राजा राममोहन राय के उत्तराधिकार में ब्रह्म समाज के विस्तार तथा हिन्दी के प्रचार का पंजाब में किसी ने दायित्व स्वीकार किया तो वे थे नवीनचन्द्र राय। उन्होंने हिन्दी के माध्यम से समाज-सुधार के सपने को साकार किया। सन् 1868 में स्थापित उनकी पत्रिका "ज्ञान प्रदायिनी" ने हिन्दी के पक्ष को संपुष्ट किया। इस बंगाली सज्जन के हिन्दी निबन्ध और पुस्तकों ने राष्ट्रभाषा की मशाल जलाई थी। उनकी आत्मजा सुश्री हेमन्तकुमारी देवी की हिन्दी सेवाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती जोकि महिला-पत्रिका 'सुगृहणी' की सम्पादिका थीं।

बंगाल की महान आध्यात्मिक विभूति केशवचन्द्र सेन ने महाराष्ट्र के 'प्रार्थना समाज' और मद्रास के 'वैदिक समाज' को प्रभावित किया था। केशव बाबू हिन्दी के परम समर्थक थे। अपने युग के प्रकाण्ड तार्किक और अग्रदूत महर्षि दयानन्द सरस्वती (जन्म सन्, 1824 ई०) जब सन्, 1872 में कलकत्ता पहुंचे थे तब ब्रह्मसमाज तथा केशवचन्द्र सेन प्रभावित हुए थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती हिन्दी को 'आर्य भाषा' कहते थे। कलकत्ता में केशव बाबू ने उनसे हिन्दी में भाषण देने का अनुरोध किया था जिसे स्वामी जी ने युगान्तर रूप में स्वीकार किया था। इसके पूर्व वे संस्कृत में वाद-विवाद, शास्त्रार्थ अथवा व्याख्यान दिया करते थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वामी दयानन्द तथा उनके द्वारा सन् 1875 में स्थापित 'आर्य समाज' ने हिन्दी की अभूतपूर्व सेवा की। आर्य समाज और हिन्दी में परवर्ती युग में कोई अन्तर नहीं रह गया। बंगाल की इसी सांस्कृतिक चेतना तथा भाषायी सदभाव-उदारता सौजन्य ने आधुनिक भारत के संक्रांतिकाल में शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित किया था। सन् 1857 में केशवचन्द्र सेन ने हिन्दी को अखिल भारतीय या जातीय अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया था। उन्होंने इसका प्रतिपादन अपने निबन्धों द्वारा किया।

सन्, 1882 में राज नारायण बोस और सन् 1886 में भूदेव मुखर्जी ने हिन्दी की वकालत की थी।

परमहंस रामकृष्ण देव हिन्दी के समर्थक थे। स्वामी विवेकानन्द ने सन् 1897 में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की थी जिसने हिन्दी को विपुल आध्यात्मिक साहित्य प्रदान किया। रामकृष्ण मिशन के प्रकाशन हिन्दी की अनुपम निधि है।

सन् 1905 में बंग-भंग आन्दोलन के साथ जहां एक ओर सक्रिय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आन्दोलन उठा, वहां राष्ट्रभाषा का रथ भी द्रुत गति से दौड़ने लगा। उसी समय कालिप्रसन्न काव्यविशारद सदृश नेताओं ने हिन्दी के पक्ष में कार्य किया। उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के साथ जोड़ दिया। कवीन्द्र रवीन्द्र हिन्दी के पक्षधर थे। बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय हिन्दी को विशेष मान्यता प्रदान करते थे। इस प्रकार बंग-भूमि में हिन्दी को प्रारम्भ से ही अखिल भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार करने की सुदीर्घ परम्परा मिलती है। सन् 1905 में न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र ने एक लिपि-विस्तार परिषद् की स्थापना की थी, जिसके 'देवनागर' पत्र ने हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि के हित-सम्वर्द्धन में सक्रियता बरती। बंगला भाषा-भाषी सज्जन भूदेव मुखर्जी ने बिहार में देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा के प्रसारार्थ ठोस प्रयास किया।

भारत के अग्रणी नेता नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने बंगाल में राष्ट्रभाषा प्रचार में व्यक्तिगत योगदान दिया है। सन् 1929 में कलकत्ता में गांधीजी की अध्यक्षता में सम्पन्न राष्ट्रभाषा सम्मेलन के वे स्वागताध्यक्ष थे। अपने स्वागत्-भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि हम लोगों ने तन-मन-धन से प्रयत्न किया, तो वह दिन दूर नहीं है, जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी।

महान् दार्शनिक तथा क्रांतिकारी महर्षि अरविन्द घोष, हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। उनका स्पष्ट अभिमत था—'भाषार भेदे आर बाधा हइबे ना, सकले स्व-स्व मातृभाषा रक्षा करियाओ साधारण भाषा रूपे हिन्दी भाषा के ग्रहण करिया शे अन्तराय विनष्ट करिबे।' अर्थात भाषा के भेद के कारण अब बाधा नहीं होगी, सभी अपनी मातृभाषा की रक्षा करके भी सर्वसाधारण भाषा के रूप में हिन्दी को ग्रहण करके इस अंतर को समाप्त करेंगे।

आचार्य क्षितिमोहन सेन, डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या आदि के नाम अविस्मरणीय हैं। प्रसिद्ध भाषाविद् सुनीति बाबू ने भाषा-विज्ञान के आधार पर अपने ग्रन्थ 'आर्य-भाषा परिवार और हिन्दी' तथा अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'हिन्दी की महत्ता तथा उसका दायित्व' ('विशाल भारत', मार्च, सन् 1950) में हिन्दी के राष्ट्रभाषा स्वरूप का नवनीत दे दिया है। उनका निष्कर्ष है—हमें यह कहना होगा कि अबकी तरह एक हजार वर्ष पहले हिन्दी ही अपने पूर्व रूप में अन्तःप्रादेशिक भाषा के रूप में अखिल उत्तर भारत-भर में फैली थी और तमाम आर्यभाषी संसार में पढ़ी, पढ़ाई और लिखी जाती थी।

आधुनिक काल के प्रारम्भ में हिन्दी गद्य-निर्माण की उषा-बेला में हिन्दी साहित्य सर्व प्रथम अनुवादों के माध्यम से बंग-साहित्य के सान्निध्य में आया। हिन्दी में जितना अनुवाद बंग-साहित्य से आया है उतना संभवतः किसी अन्य भाषा से नहीं। इसी कारण माइकेल, मधुसूदन दत्त, परशुराम, विमल मित्र, ताराशंकर बंद्योपाध्याय आदि हिन्दी के भी अनन्य लेखक हो गये हैं। हिन्दी नव-साहित्य-लेखन की अनेक प्रयोगशील, प्रबुद्ध तथा प्रख्यात पत्रिकाएं बंगाल से प्रकाशित हो रही हैं। बंगाल की श्मशानी कविता तथा बंगाल की भूखी-दिगम्बरी पीढ़ी-हिन्दी के युवा-लेखन को आच्छादित कर चुकी है। दो शोध-प्रबन्धों के माध्यम से बंगला का हिन्दी पर और हिन्दी का बंगला पर प्रभाव निरूपित किया जा चुका है।

बंग-भूमि में अनेक संस्थाएं हिन्दी-प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत हैं। 'पूर्व भारत हिन्दी प्रचार सभा' ने बंगाल में हिन्दी-प्रचार का श्रीगणेश किया था। इसके पश्चात पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कलकत्ता ने यह कार्य शुरू किया। इसमें सर्वाधिक सहयोग रेवतीरंजन सिन्हा ने दिया। इस समिति के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अन्दमान निकोबार और त्रिपुरा राज्य भी सम्मिलित हैं। इस संस्था का पंजीयन भी हो चुका है। इसके पदाधिकारियों के रूप में डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डा० श्रीकुमार बनर्जी, डा० सुकुमार सेन, जगन्नाथ बेरीवाला आदि इससे सम्बद्ध हैं। इसे बंग-शासन बारह हजार रुपये का वार्षिक अनुदान देता है। प्रचारकों की संख्या 209, परिक्षार्थी-केन्द्र 132 और शिक्षा-केन्द्र 790 हैं। प्रति वर्ष 13–14 हजार परीक्षार्थी 'समिति' की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। हिन्दी प्रचार पुस्तकालय में 4500 से अधिक पुस्तकें हैं। 'समिति' की ओर से 'पंत संकलन' का प्रकाशन बंगला में अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ है।

बंगीय हिन्दी परिषद बंग-भूमि का हिन्दी-तीर्थ है। इसके संस्थापक आचार्य ललिताप्रसाद सुकुल थे जिन्हें बंग-भूमि का भारतेन्दु कहा गया है। वे जनवरी 1933 ई० में कलकत्ता आये थे और नवम्बर, सन् 1934 में उन्होंने दुर्गाप्रसाद खतान के सहयोग से 'हिन्दी क्लब' की स्थापना की थी। सन् 1937 की तुलसी-जयन्ती में राय बहादुर खगेन्द्र, न्याय मूर्ति रामप्रसाद मुकर्जी, दिलीपकुमार राय, एम० ए० दासगुप्त आदि सम्मिलित हुए थे। प्रसिद्ध जापानी कवि योन नागुची के कलकत्ता आगमन पर उन्हें 'सौहार्द सुमन' नामक काव्य-संकलन समर्पित किया गया था। 'हिन्दी क्लब' के टूटने के पश्चात 21 सितम्बर, सन् 1945 में 'बंगीय हिन्दी परिषद, की स्थापना की गई। राजकुमार बेगडीला ने 'परिषद' को छह हजार रुपये का दान दिया। प्रारम्भ से बंगीय हिन्दी परिषद बंगाल में हिन्दी की ध्वजा फहरा रही है। इसके तत्वावधान में 1 जनवरी, 1956 को 'शोध मण्डल' स्थापित किया गया। परिषद् की त्रैमासिक 'जनभारती', अपने वार्षिक विशेषांकों के लिए प्रसिद्ध है। परिषद् के ग्रन्थालय तथा विपुल प्रकाशनों की हिन्दी जगत में चर्चा है।

हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्यों ?

—हरिशंकर,
सम्पादक, 'हिन्दी शिक्षक', बंबई

स्वाधीनता के पैंतीस वर्ष बीत जाने पर भी अब तक अनेक लोगों के बीच यह प्रश्न बना हुआ है कि आखिर हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्यों? आश्चर्य इस बात का है कि नई पीढ़ी के लोगों में यह प्रश्न सबसे अधिक है। जबकि आज से सौ साल के पूर्व जन्मे पहले के लोगों में से स्वामी दयानन्द, लोकमान्य तिलक, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी आदि ने स्वाधीनता के बहुत पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी रहेगी और अंग्रेजों के यहां से जाने के बाद वह 'राजभाषा' का स्थान भी ग्रहण करेगी। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये गांधी जी ने मद्रास में "दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा" की स्थापना करायी और अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को वहां भेजा। गांधी जी की यह व्यावहारिक दूरदर्शिता रही कि आजादी मिलने तक दक्षिण के लोग भी जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम हिन्दी जानते हैं उसे सीखकर तैयार हो जाएं और देश की विशाल मुख्य धारा से जुड़कर उसे अधिक समृद्ध और सशक्त बनायें। किन्तु आजादी के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि लगभग सभी क्षेत्रों में आम जनता दिशाहीन सी होकर भटक रही है। आज आम लोगों के बीच इतनी वैचारिक भ्रांतियां हो गई हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में उनका भला किसमें है।

स्वाधीनता आन्दोलन के दिनों में जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी, नई पीढ़ी के लोगों में उसे स्थाई बनाये रखने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। "धर्म निरपेक्षता" के सिद्धांत को स्वीकार कर हमने सभी धर्मों को पूरी छूट दी। भारतीय परम्परा के अनुसार एक अच्छी शुरुआत रही। किन्तु सभी के लिए एक समान राष्ट्रीय आचरण संहिता की तहत "राष्ट्र धर्म" की स्थापना हम न कर सके। इसीलिये विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों ने भ्रांति पैदा कर दी है।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा मानने के विषय में भी यही स्थिति बन गई है। कुछ लोगों की ऐसी राय है कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। उसे जारी रखने में ही हमारी भलाई है। पिछले दिनों इसी विषय को लेकर कुछ व्यापारी प्रतिष्ठानों के सहयोग से बम्बई में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। अनेक विद्वान वक्ताओं ने यह बात स्पष्ट की कि एक प्रजातांत्रिक सार्वभौम स्वाधीन देश को अपने राष्ट्रीय गौरव के लिये तथा प्रशासन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिये अपनी ही भाषा या भाषाओं में सारा काम करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अपनी भाषा में ही मौलिक चिन्तन हो सकता है और यदि पूरे देश को सभी क्षेत्रों में मौलिक रूप से प्रगति करनी है तो उसे अपनी भाषा में ही सारा व्यवहार करना चाहिये। दूसरे की भाषा का सहारा लेने से अप्रत्यक्ष रूप में हम उनके वैचारिक चिन्तन एवं परम्पराओं से भी जुड़ जाते हैं और किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारा स्वतन्त्र विकास नहीं हो पाता। इस सन्दर्भ में ज्वलन्त प्रमाण जापान, कोरिया, चीन, रूस आदि देशों का दिया गया। तब उस गोष्ठी में उपस्थित पूरा जन समुदाय काफी प्रभावित हुआ और सभी ने अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने का निश्चय प्रकट किया। किन्तु उस गोष्ठी की समाप्ति के बाद एक युवा पत्रकार ने प्रश्न किया कि देश में अनेक भाषाओं के होते हुए हिन्दी ही "राष्ट्रभाषा" या "राजभाषा" क्यों ?

उस युवक से पूछने पर जब मुझे मालूम हुआ कि वह महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग जिले के "बेंगुल" का रहने वाला है, तो मैंने उससे सीधा प्रश्न पूछा कि आप तो महाराष्ट्र के हैं, आपको मालूम ही होगा कि महाराष्ट्र की "राजभाषा" कौन सी है? उत्तर मिला—"मराठी"।

मेरा अगला प्रश्न था—क्यों? उसे सन्तोषजनक कोई उत्तर न दे पाने की स्थिति में पाकर मैंने एक और प्रश्न कर दिया— "आपकी मातृभाषा तो शायद 'मालवणी' या 'कोंकणी' होगी, जो बड़ी ही मधुर और प्रिय भाषा है।"

युवक ने उत्तर दिया—"जी हां" और वह चुपचाप मेरी ओर देखने लगा कि मैं कुछ बोलूं।

मैंने कहा—आपकी तरह ही पूरे महाराष्ट्र के लोगों में से बहुतों की मातृभाषा "बराड़ी" है। वह भी बड़ी सशक्त भाषा है और उसमें कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं। कुछ लोगों की "खानदेशी" और कुछ की 'समतारी' (सातारा, सांगली कोल्हापुर आदि की) है, फिर भी पूरे महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा "मराठी" है। जो सर्वथा सही है क्योंकि मालवणी, कोंकणी, सातारी, बराड़ी या खानदेशी भाषाओं या बोलियों की अपेक्षा "मराठी" बोलने और समझने वालों की संख्या बहुत अधिक है और ये सभी भाषायें उसके इतने करीब है

कि उसे सभी बोल और समझ सकते हैं इतना ही नहीं उन सभी लोगों के अपना लेने से मराठी की शब्दावली और शैली भी अधिक समृद्ध हो जाती है। वैसे देखा जाये तो एक 'खान देशी या बराड़ी के लिये 'सातारी" या "मालवणी" समझना कठिन होता है।

अब ठीक यही बात हिन्दी के विषय में लागू होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान कुल सात राज्य हैं जहां "हिन्दी" भाषा के रूप में प्रचलित हो चुकी है, जब कि अन्य सभी भाषाओं के सिर्फ एक-एक राज्य ही हैं और उनमें भी हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या काफी है।

इसके बाद उस युवक ने बड़ा सन्तोष प्रकट करते हुए कहा कि इस दृष्टिकोण से अब तक मैंने न तो सोचा था, न किसी ने अब तक समझाया ही था।

यह बात यहीं समाप्त हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है। आज अपनी-अपनी भाषाओं और उसके साहित्य पर गर्व करने वाले नई पीढ़ी के बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ या गुजराती भाषी युवकों के मन में यह प्रश्न है। जो मानवीय स्वभाव के सर्वथा उचित है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से सही स्थिति का ज्ञान उन्हें नहीं कराया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि पृथ्वी के सभी भू-भाग के अलग-अलग खण्डों में अलग-अलग भाषायें बोली जाती हैं। भू-भाग के क्षेत्रफल या विस्तार के अनुपात में उतनी ही कम या अधिक भाषायें हो सकती हैं। भाषा का यह सिद्धान्त है कि अनेक कारणों से साधारणतया एक या दो 'योजन" पर वह बदल जाती है। उसके बदलने का यह क्रम और अन्तर पहले तो इतना कम होता है कि ध्यान में नहीं आ पाता किन्तु ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाती है वह अन्तर बढ़ता जाता है। फिर भी किसी विशिष्ट क्षेत्र की जिस भाषा को बहुसंख्यक लोग बोलते-समझते हैं, वही वहां की मुख्य भाषा होती है और उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्राप्त होने पर वही भाषा 'राजभाषा' होती है। उदाहरण के लिये महाराष्ट्र की "मराठी" कर्नाटक की "कन्नड़" तमिलनाडु की "तमिल" आदि है।

गैर हिन्दी प्रदेशों में बहुत से लोगों की यह धारणा है कि हिन्दी उत्तर प्रदेश की भाषा है और उसके प्रयोग से उत्तर प्रदेश के लोगों को अधिक सुविधा मिल जाती है। परन्तु उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले आम लोग हिन्दी से उतने ही अनभिज्ञ हैं जितने गुजरात और महाराष्ट्र के या अन्य प्रदेशों के लोग हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के लोगों में बोली जाने वाली, कुमायूनी, गढ़वाली, ब्रज, बुंदेलखण्डी, अवधी, भोजपुरी आदि अनेक मातृभाषायें हैं। इनमें से अवधी और ब्रजभाषायें तो इतनी समृद्ध हैं कि अवधी में जहां तुलसीदासकृत विश्व का महानतम ग्रंथ "रामचरितमानस" और जायसी रचित "पद्मावत" है, वहां ब्रजभाषा में भी सूरदास कृत "सूरसागर" जैसा अद्वितीय ग्रंथ है।

आज भी शहरों के कुछ पढ़े-लिखे आधुनिक परिवारों को छोड़कर वहां का कोई भी व्यक्ति मातृभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग नहीं करता। सच्चाई यह है कि आज जिस हिन्दी का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है—जिसे किसी समय "खड़ी बोली" उर्दू या "रेखता" कहा जाता था वह अनेक लोगों के आपसी मेल-जोल और सम्पर्क से अपने आप बन गई है। जिसमें अब तक उन सातों राज्यों की विभिन्न अनेक भाषाओं की शब्दावली का योगदान है। पिछले तीन दशकों में जब से बम्बई चित्रपट उद्योग का मुख्य केन्द्र बना और इस महानगर से अनेक हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ है, गुजराती और मराठी के भी अनेक शब्द हिन्दी में आ चुके हैं। इसी प्रकार अगले कुछ ही दशकों में इसमें अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द मिलकर इसे और भी समृद्ध बनायेंगे। उस समय सही अर्थों में यह पूरे भारत की "राष्ट्रभाषा" एवं 'राजभाषा' का गौरव प्राप्त कर लेगी। किन्तु यह तभी सम्भव है जब सभी क्षेत्रों के लोग खुले हृदय से अंग्रेजी की "बैसाखी" को फेंककर हिन्दी को अपना लें। विश्व के तमाम ज्ञान के लिये हम अंग्रजी के साथ-साथ अन्य भाषाएं भी सीखें और सबका ज्ञान सभी भारतीय भाषाओं के द्वारा जन-समाज तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। तभी हमारी सही प्रगति हो सकती है। ● ● ●

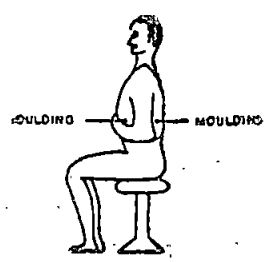

भारत का भाषाई समाज—परम्परा और हिन्दी

—डा० मा० गो० चतुर्वेदी
प्रोफेसर, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली

संसार के सभी देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं और ये सारी भाषाएं किसी एक भाषा परिवार की न होकर चार विभिन्न अंतर-राष्ट्रीय भाषा-परिवारों से संबद्ध है। इस समय भारत में निषाद या मुण्डा-कोल, किरात या भोट-चीनी, द्रविड और आर्य भाषा परिवारों की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए भारत का भाषिक वविध्य विद्वानों को, विशेषकर विदेशी विद्वानों को चमत्कृत करता रहा है तथा भारत का भाषा वैविध्य और उसकी बहुभाषिकता उन्हें भारतीय राष्ट्र की एकता में घातक नहीं तो बाधक अवश्य प्रतीत होती है। परंतु जिन्हें भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष परिचय है तथा जिनकी दृष्टि राजनैतिक स्वार्थों से दूषित नहीं है, उन्हें भारतीय संस्कृति की "अनेकता में एकता" की विशेषता उसके भाषिक यथार्थ में भी दृष्टि-गोचर होती है। इसीलिए अब अनेक भाषावैज्ञानिक भारत को एक स्वनिष्ठ भाषिक क्षेत्र का (A Linguistic Area) मानते हैं तथा उसका कारण भारत की सभी भाषाओं में, चाहे वे किसी भी भाषा-परिवार की क्यों न हों, प्राप्त होने वाली विशिष्ट समानताओं को मानते हैं, जो इन्हीं परिवारों की भारत से बाहर बोली जाने वाली भाषाओं में नहीं मिलतीं। आशय यह है कि आजकल भारत में बोली जानेवाली उक्त चारों परिवारों की सभी भाषाओं की ध्वनि और लेखन व्यवस्था में शब्द-कोश और शब्द-रचना में वाक्य-विन्यास और आर्थिक संरचना में आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगोचर होती है चाहे भाषाएं साहित्यिक भाषाएं हैं या मात्र बोलचाल की अलिखित भाषाएं। चाहे ये भाषाएं तथाकथित सुसभ्य नागरजनों की भाषाएं हैं या तथाकथित आदिवासी जनजातियों की भाषाएं, सभी भाषाओं का व्याकरण तथा अभिव्यक्ति की शैलियां एक जैसी हैं। भारत की भाषाई एकता का मूलाधार वस्तुतः भारत में बोली जाने वाली सभी साहित्यिक और असाहित्यिक भाषाओं में प्राप्त उक्त समानताएं ही हैं जो विगत चार-पांच हजार वर्षों के सहअस्तित्व के कारण उनमें सहज रूप में निष्पन्न हुई हैं।

विद्वानों की मान्यता है कि सबसे पहले मुण्डा या कोल परिवार की भाषाओं को बोलने वाले निषाद जाति के लोग और फिर द्रविड़ जाति के लोग पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में आए थे तथा लगभग उसी समय उत्तर और पूर्वोत्तर से भोट-चीनी परिवार की भाषाओं को बोलने वाले किरात जाति के लोग भारत में आकर बसे थे। इन जातियों के भारत में अच्छी तरह बस जाने के बाद जब इन जातियों ने अपना पर्याप्त सांस्कृतिक विकास कर लिया था तब पश्चिमोत्तर दिशा से आर्य परिवार की भाषाओं के बोलने वाले लोगों के अनेक दल भारत में आए और वे भारत में क्रमशः पहले पश्चिमोत्तर में, फिर पश्चिमी प्रांतों में और फिर मध्य देश में बस गए। भारत के प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के शब्दों में "मूलत, ये ही चार मानव जातियां हैं जिनसे संपूर्ण भारतीय जन संस्कृति और भाषाएं निष्पन्न हुई हैं।" परन्तु इन सभी जातियों के शताब्दियों तक चलने वाले सतत संघर्ष और सहयोग की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मूलतः बहुभाषा-भाषी भारत वैदिक काल में ही एक अंतर-जातीय और अन्तर-क्षेत्रीय भाषा की आवश्यकता का अनुभव करने लगा था जिसके परिणामस्वरूप पहले वैदिक संस्कृत तथा बाद में लौकिक संस्कृत के रूप में एक अखिल भारतीय भाषा और साहित्य की परम्परा का शुभारंभ हो गया था। आशय यह है कि जब से हमें भारत का इतिहास मिलता है तभी से हमें यहां, जहां एक ओर बहुजातीय तथा बहुभाषिकता के प्रभूत प्रमाण मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें अन्तर-जातीय, अंतर-क्षेत्रीय और अखिल भारतीय संस्कृति और चिंतन की वाहिका के रूप में संस्कृत भाषा और उसके साहित्य की सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा भी मिलती है। इसलिए यद्यपि आज भारत में भाषिक वैविध्य है फिर भी भाषाओं में परस्पर विस्मयकारी समानताएं ही नहीं, संस्कृत के रूप में एक अखिल भारतीय भाषा की अत्यंत प्राचीन परंपरा भी मिलती है।

भारतीय इतिहास के विद्यार्थी को यह ज्ञात है कि भारत अनादिकाल से एक बहुभाषा-भाषी एवं बहुजातीय देश रहा है परंतु इतने विशाल समाज में उसने शिक्षा, संस्कृति और साहित्य की अभिव्यक्ति की माध्यम के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय या जातीय भाषाओं को विकसित नहीं किया वरन् इसके विपरीत अखिल भारतीय भाषा संस्कृत के द्वारा ये सभी कार्य संपन्न किए। भारतीय इतिहास के प्रारंभ से अर्थात् ईसवी पूर्व 3000 से पांचवीं-छठी शताब्दी तक हमें एक ही भाषा और साहित्य के प्रमाण मिलते हैं तथा इस समय सीमा में संस्कृत किसी एक प्रांत या किसी एक जाति तक सीमित नहीं थी। वह उस समय भी अंतर-जातीय और अंतर-क्षेत्रीय भाषा थी। महाभारत और रामायण काल तक आते-आते संस्कृत आधुनिक अर्थ में अखिल भारतीय भाषा बन चुकी

थी और आज भी वह भारत की विभिन्न जातियों, प्रांतों तथा भाषाओं को जोड़ने वाली एक कड़ी ही नहीं है वरन् वह हमारी सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई एकता की आधार भूमि है। वस्तुतः संस्कृत भारतीय ऐक्य की अभिव्यक्ति ही नहीं, प्रतीक भी है।

भारतीय संस्कृति, साहित्य और भाषाओं के इतिहास के सभी अध्येता जानते हैं कि हमारी सभी आधुनिक साहित्यिक भाषाओं के इतिहास का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच ही होता है। हां, तमिल भाषा और उसकी साहित्य इसका अपवाद अवश्य है, जिसकी परम्परा इसवी सन् से कुछ पहले प्रारंभ होकर आज तक मिलती है। परंतु शेष सभी भारतीय साहित्यिक भाषाओं का सूत्रपात 10वीं शताब्दी के पश्चात् ही होता है। इससे पूर्व यद्यपि भारत में हमें और दो धार्मिक भाषाओं और दो शुद्ध साहित्यिक भाषाओं का प्रभूत साहित्य मिलता है, परन्तु ये दोनों भाषाएं भी जातीयता और क्षेत्रीयता की संकुचित दृष्टि से मुक्त हैं। आशय यह है कि पाली बौद्धों की धर्म भाषा थी, जो मूलतः तो अखिल भारतीय भाषा ही थी किन्तु बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ-साथ भारत के बाहर भी पढ़ी, लिखी और समझी जाने लगी थी। इसी प्रकार अर्ध-मागधी जैनों की धर्म भाषा थी, जो नाम से ही मागधी अर्थात् मगध प्रदेश की भाषा थी किन्तु व्यवहारतः वह जहां-तहां जैन धर्म प्रचलित था वहां वहां प्रचलित थी। अर्थात् अर्ध-मागधी भी एक अखिल भारतीय भाषा थी। इसी प्रकार यद्यपि साहित्यिक प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के नाम तो देशवाची हैं, जैसे शौरसैनी, महाराष्ट्र, आदि। परन्तु वस्तुतः ये भी संस्कृत के समान ही अखिल भारतीय साहित्यिक भाषाएं थीं क्योंकि इनमें लिखे गए शिलालेख देश के विभिन्न प्रान्तों में समान रूप से मिले हैं तथा इनमें लिखा गया साहित्य भी इस बात का प्रमाण है कि ये भाषाएं तथा उनका साहित्य किसी भी अर्थ में क्षेत्रीय न होकर अखिल भारतीय था।

भारत में अखिल भारतीय भाषाओं की सुदृढ़ परम्परा के कारण ही परवर्ती काल में जब विदेशी शासकों ने राजकाज के लिए अपनी भाषाएं प्रचलित कीं तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। इसीलिए मध्यकाल में फारसी और आधुनिक काल में अंग्रेजी सम्पूर्ण देश में समान रूप से स्वीकृत हुई।

मध्यकाल में यद्यपि भक्ति आन्दोलन के कारण भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न साहित्यिक भाषाओं का विकास हुआ, परन्तु उनके साथ-साथ ही एक आधुनिक अखिल भारतीय भाषा भी विकसित हुई जिसे पहले उत्तर में 'भाखा' या भाषा और बाद में ब्रजभाषा कहा गया तथा नवागत मुसलमानों द्वारा जिसे 'हिन्दवी' कहा गया। दक्षिण भारत में इसी भाषा के विकसित रूप को अनेक लेखकों ने 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिन्दुई, हिन्दवी या हिन्दी— कहा है, तथा इसे ही आज दकिनी या दक्खिनी के नाम से पहिचाना जाता है। 18वीं शताब्दी के कुछ दकिनी लेखकों ने अपनी भाषा को हिन्दोस्तानी ही कहा है। प्रारंभ में अंग्रजों ने भी भारत की अंतर-प्रान्तीय भाषा को हिन्दोस्तानी ही कहा था, और उसकी संस्कृतबहुल शैली को हिन्दी-भाषा तथा फारसीबहुल शैली को उर्दू कहा था।

वस्तुतः 10वीं शताब्दी से ही हिन्दी अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित होने लगती है, तथा 13वीं-14वीं शताब्दी तक आते जाते हमें भारत के विभिन्न प्रान्तों में इन प्रांतों की साहित्यिक भाषाओं के समानान्तर हिन्दी साहित्य लेखन, और पठन-पाठन की परम्परा मिलती है। पंजाब में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सभी सिक्ख गुरुओं ने अपने उपदेश मध्यकाल की हिन्दी अर्थात् भाषा में ही दिये हैं। सिन्ध और पंजाब में सिक्ख गुरुओं के अतिरिक्त अनेक हिन्दी कवियों तथा लेखकों का पता चला है जिनकी रचनाएं हस्तलिखित प्रतियों के रूप में अभी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार गुजरात में अनेक वैष्णव, शैव, सगुणोपासक भक्त कवियों, निर्गुणोपासक संत कवियों तथा राज्याश्रित रीतिकवियों की समृद्ध परंपरा मिलती है, जिसमें भालण, नरसी मेहता, महाराव लखपत सिंह, महेरामण सिंह, दयाराम आदि अनेक कवि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में हमें हिन्दी साहित्य की अत्यंत प्राचीन और समृद्ध परंपरा मिलती है।

दक्षिण भारत के चारों राज्यों में हमें दक्खिनी की व्यापक परम्परा मिलती है। अभी तक विद्वानों का विश्वास था कि दक्खिनी की परम्परा आन्ध्रप्रदेश और कर्णाटक तक ही सीमित है, परंतु नवीन शोधों से ज्ञात हुआ है कि दक्खिनी की परंपरा तमिलनाडु और केरल प्रदेशों में भी थी, और तंजौर, त्रिवेन्द्रम आदि के प्राचीन पुस्तकालयों में हिन्दी की अनेक रचनाएं हस्तलिखित रूप में सुरक्षित हैं।

भारत के पूर्वांचल में भी हमें 15वीं-16वीं शताब्दी से हिन्दी साहित्य लेखन और पठन-पाठन की परम्परा मिलती है। असम के प्रसिद्ध भक्त कवि शंकर देव के अनेक पद भाषा में उपलब्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के कारण समूचे पूर्वांचल में 'ब्रजबुली' (ब्रजभाषा या भाखा) में साहित्य लेखन की समृद्ध परंपरा का सूत्रपात हुआ, जिसके अंतिम कवि के रूप में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम लिया जा सकता है क्योंकि उनकी "भानुसिंहेर—पदावली" इस परंपरा में लिखी गई एक अनुपम कृति है।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि मध्यकाल से ही हिन्दी न केवल अखिल भारतीय भाषा के रूप में भारत के सभी प्रान्तों में प्रचलित है, अपितु इसके साहित्य की श्रीवृद्धि में सभी प्रान्तों का समान योगदान रहा है। इसी कारण आधुनिक काल में महात्मा गांधी, स्वामी दयानन्द, केशव चंद्र सेन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आदि अनेकानेक तथा कथित अहिन्दी भाषी राष्ट्र नायकों ने हिन्दी को अंतर

9. श्री राजमणि तिवारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग ।
10. श्री सुखदेव सिंह पटियाल, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, श्रम विभाग ।
11. श्री रामसेवक, हिन्दी अधिकारी, श्रम विभाग ।
12. श्री राजेन्द्र नाथ ग्रोवर, हिन्दी अधिकारी, मुख्य श्रमायुक्त (के०) का कार्यालय ।
13. श्री सूरज कुमार सहगल, हिन्दी अधिकारी, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ।
14. श्री मदन लाल शर्मा, हिन्दी अधिकारी, पुनर्वास विभाग ।
15. श्री चन्द्रभान गर्ग, हि० अ०, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ।
16. श्री जे० डी० तिवारी, हि० अधिकारी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली ।

बैठक के प्रारंभ में श्रम मंत्री जी ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और अपने भाषण में मंत्रालय में हो रहे हिन्दी कार्य पर प्रकाश डाला ।

उन्होंने कहा कि श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की इस बैठक में आप सब सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता है । यह बड़ी खुशी की बात है कि इस समिति में हिन्दी के प्रति लगन रखने वाले माननीय संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, जाने माने साहित्यकार, भाषाविद्, पत्रकार और संपादक, लेखक और विचारक सदस्य हैं । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के अलग-अलग भागों के और हिन्दी में रुचि रखने वाले आप जैसे विद्वानों ने हमारे मंत्रालय के कामों के बारे में जानकारी करके उनमें हिन्दी के प्रयोग, प्रसार और विकास के लिए सुझाव देने और अपना बहुमूल्य और वयस्त समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा की है ।

सब से पहले मैं इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं कि इस समिति की यह बैठक सितम्बर, 1982 में निर्धारित समय पर नहीं हो सकी । इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद मुझे आवश्यक कार्य से विदेश जाना पड़ा और इसलिए बैठक को स्थगित करना अनिवार्य हो गया । आप लोगों को इससे यदि कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूं ।

मुझे इस बात का दुख है कि हमारे एक विद्वान और वयोवृद्ध सदस्य श्री रघुवीर सिंह शास्त्री का इसी बीच निधन हो गया । शास्त्री जी एक महान देशभक्त और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान थे । राजभाषा की उन्नति के लिए उनका योगदान सदा याद रहेगा, उनके निधन पर मैंने एक शोक प्रस्ताव रखा है जिसे आप सबकी अनुमति से उनके परिवार को भेज दिया जाएगा । अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं आपके सम्मुख वह प्रस्ताव रखूंगा ।

आपको यह जानकर बहुत खशी होगी कि गृह मंत्रालय के आदेशों तथा राजभाषा अधिनियम के अनुसार इस मंत्रालय के दोनों विभागों में सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संसद से संबंधित सभी कागजात, मंत्रिमंडल के नोट, वार्षिक रिपोर्ट, निष्पादन बजट, सभी संकल्प, भरती नियम तथा अन्य विभिन्न कागजात दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाते हैं । हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं और हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों को भी हिन्दी में भेजने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाता है । हमारी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राजभाषा हिन्दी के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा हिन्दी संबंधी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी स्टाफ के बारे में जारी किए गए आदेशों के अनुसार इस मंत्रालय में भी वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी का पद सृजित किया जाए । आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह पद सृजित किया जा चुका है और उस पर नियुक्ति भी कर दी गई है । साथ ही 7 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं । वे हैं, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक का पद, 3 हिन्दी अनुवादकों के पद, 2 टाइपिस्टों के पद और एक आशुलिपिक का पद । ये पद भी लगभग भरे जा चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि इन नए पदों से इस मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की गति तेजी से होगी । गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार इस मंत्रालय के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी के पदों के सृजन के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

आप सब विद्वान और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और श्रम समस्याओं को निकट से भी देखते रहे हैं । इस समिति के सदस्य के नाते आपका विशेष दायित्व है कि हिन्दी की प्रगति और प्रसार में हमारा साथ दें । इस सम्बन्ध में आपके सुझावों का सहर्ष स्वागत करूंगा और उन्हें यथाशक्ति कार्यान्वित कराने का भी प्रयास करुंगा । एक बार पुनः मैं आप सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्रम मंत्री जी ने समिति के सदस्य श्री रघुवीर सिंह शास्त्री के असामायिक निधन का दुखद समाचार भी दिया और समिति के समक्ष शोक प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जो सर्वसम्मति से पारित किया गया । सदस्यों ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा ।

श्री गंगा शरण सिंह ने सुझाव दिया कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त नए सदस्यों को सूचनार्थ भेजा जाए । अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि जिन नए सदस्यों को पिछली बैठक का कार्यवृत्त नहीं भेजा गया है उन्हें वह कार्यवृत्त भेज दिया जाए ।

दूसरी बैठक में की गई विभिन्न सिफारिशों को समिति ने नोट किया । उनमें से कुछ पर सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए वे इस प्रकार हैं :—

श्री सुधाकर पाण्डे जी ने कहा कि अन्य मंत्रालयों में हिन्दी कार्य के लिए डायरेक्टर के रैंक के अधिकारी रखे गए हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि उसी रैंक का अधिकारी इस मंत्रालय में भी होना चाहिए । श्री धर्मवीर उपाध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया कि इस प्रश्न पर विचार करके अगली बैठक में सूचित कर दिया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय ने यह भी आश्वासन दिया कि वह इस बात की जांच करेंगे कि मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालयों को रोज़गार दफ्तरों से योग्य उम्मीदवार मिलने में क्या कठिनाइयां हैं ?

केन्द्रीय भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के सम्बन्ध में श्री सुधाकर पाण्डे ने यह सुझाव दिया कि जिस प्रकार अंग्रजी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य है, उसी प्रकार हिन्दी का प्रश्न-पत्र भी अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

श्री धर्मवीर (उपाध्यक्ष) ने आश्वासन दिया कि इस प्रश्न की जांच करने के पश्चात् अगली बैठक में सदस्यों को सूचना दे दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे विषय-सूची में शामिल अपनी मदों में से एक-एक मद छांट लें जिस पर वे चर्चा करने के इच्छुक हों ताकि सभी सदस्यों को चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके पश्चात यदि समय बचेगा तो दूसरे दौर में अन्य विषय भी ले लिए जाएंगे। जिन विषयों पर यहां चर्चा न हो सके, उनके बारे में मंत्रालय द्वारा दी गई टिप्पणियों को नोट कर लिया जाए। इस पर श्री मुकुल चन्द्र पाण्डे ने मद संख्या 2 का उल्लेख किया जो हिन्दी में चैक तैयार करने के संबंध में थी। उन्होंने मंत्रालय द्वारा उल्लिखित टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय में कोई भी चैक हिन्दी में नहीं बनाया जा रहा है। इस पर संयुक्त सचिव म० सेठ ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में सारे चैक हिन्दी में बनवाने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके बाद श्री लक्ष्मीधर मिश्रा, महानिदेशक, श्रम कल्याण ने मद संख्या 12 का उल्लेख किया जो मंत्रालय तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी कार्य के लिए दो अनुभाग अर्थात् कार्यान्वयन अनुभाग और अनुवाद अनुभाग खोलने के बारे में थी। सदस्य सचिव, कुमारी म० सेठ ने कहा कि राजभाषा विभाग की राय के अनुसार हिन्दी कार्य के लिए दो अलग-अलग अनुभाग बनाना उचित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के दो अनुभागों की स्वीकृति मिल जाएगी।

इसके पश्चात् श्री शशि शेखर तिवारी ने शब्दकोष निर्माण संबंधी अपने प्रस्ताव (मद संख्या 14) पर चर्चा आरम्भ की। उन्होंने सुझाव दिया कि श्रम मंत्रालय को श्रम अधिकारियों और अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए श्रम-शब्द-कोष बनाना अत्यावश्यक है। श्री मुकुल चन्द पाण्डे ने श्री तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया और साथ ही यह सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए एक उप-समिति का गठन किया जाना चाहिए और इस उप-समिति के माध्यम से श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की शब्दावली को नया रूप देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। श्री सुधाकर पाण्डे ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। राज्य मंत्री श्री धर्मवीर ने यह निर्णय किया कि इस प्रस्ताव पर मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी गम्भीरता से विचार करेंगे और उसके बाद इस प्रस्ताव को बैठक में रखा जायेगा।

उपर्युक्त सन्दर्भ में उपाध्यक्ष, श्री धर्मवीर ने यह भी उल्लेख किया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिन-प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली एक पुस्तिका तैयार की है। उन्होंने महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से अनुरोध किया कि उसकी प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित कर दें।

आगे श्री धर्मवीर जी ने यह बताया कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने कर्मचारी राज्य बीमा निगमों का भव्य संकलन द्विभाषी रूप में तैयार किया है। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक से इस संकलन की प्रतियां समिति के सभी सदस्यों को वितरित करने का आग्रह किया।

श्री सुधाकर पाण्डे ने यह अनुरोध किया कि श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए हिन्दी कार्य का लेखा-जोखा अगली बैठक में रखा जाए ताकि समिति को यह पता लग सके कि मंत्रालय द्वारा कितना हिन्दी कार्य किया जा रहा है।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने विभागाध्यक्षों से हिन्दी की प्रगति बताने का अनुरोध किया। उनके आदेशानुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, खान सुरक्षा उप-महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक एवं कु० सेठ सदस्य-सचिव ने अपने-अपने कार्यालयों में किए जा रहे हिन्दी के कार्यों का ब्यौरा दिया। श्रीमती प्रीतिलता त्रिपाठी ने यह अनुरोध किया कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में जो कार्य हो रहा है, उसक एक प्रतिलिपि सभी सदस्यों को दे दी जाए ताकि यह पता लग सके कि किस परिमाण में काय हो रहा है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी ने यह अनुरोध किया कि सदस्यों को यात्रा-भत्ता आदि वितरित करने के लिए जो प्रपत्र काम में लाया जा रहा है, वह भविष्य में हिन्दी में होना चाहिए। कु० म० सेठ ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में यह परिपत्र हिन्दी में तैयार किया जाएगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया कि अगली बैठक तक हिन्दी का जो कार्य होगा उसका विवरण सभी सदस्यों को दे दिया जाएगा।

इसके पश्चात् श्री मुकुलचन्द पाण्डे ने कार्य-सूची की मद संख्या 10 का उल्लेख किया जिसमें हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन का सुझाव दिया गया है। श्री सुधाकर पाण्डे ने इस सुझाव का समर्थन किया और यह कहा कि हिन्दी में ही मूल पत्रिका निकाली जानी चाहिए। श्री धमवीर (उपाध्यक्ष) ने यह कहा कि श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जो पत्रिका निकाली जा रहा है, उसके लिए मंत्रालय विचार करेगा। श्री शशि शेखर तिवारी ने कहा कि मंत्रालय को अपनी पत्रिका अलग निकालनी चाहिए। श्री धर्मवीर ने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सुधाकर पाण्डे ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

(1) निरीक्षण के लिए जानेवाले अधिकारियों का हिन्दी का कार्य भी देखना चाहिए; तथा

(2) कर्मचारियों की आचरण पंजी में हिन्दी-कार्य के बारे में टिप्पणी की जाए और यदि अधिकारी हिन्दी में कार्य करता है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाए।

सभापति जी ने इन सुझावों पर अपनी सहमति दी।

समिति के विचार-विमर्श का समापन करते हुए अध्यक्ष महोदय, ने समिति के सदस्यों के सहयोग और मूल्यवान सुझावों के लिए आभार प्रकट किया।

(2) उद्योग मंत्रालय

उद्योग मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की चौथी बैठक माननीय उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 25 मई, 1983 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री नारायण दत्त तिवारी, उद्योग, इस्पात तथा खान मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री एस० एम० कृष्णा, उद्योग, इस्पात तथा खान राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री डूंगर सिंह संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री सुधाकर पांडेय मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	सदस्य
5. श्री हरि बाबू कंसल मंत्री, नागरी लिपि परिषद्	सदस्य
6. श्री विनोद कुमार मिश्र संपादक, हिन्दुस्तान	सदस्य
7. श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव सचिव, राजभाषा विभाग तथा हिन्दी सलाहकार	सदस्य
8. श्री धर्मवीर कपूर सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
9. श्री एम० सत्यपाल सचिव, तकनीकी विकास तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक	सदस्य
10. श्री विजय कुमार दर अपर सचिव तथा विकास आयुक्त लघु उद्योग	सदस्य
11. श्री हरि मोहन शरण भटनागर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	सदस्य
12. श्री रमेशनाथ चोपड़ा अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
13. श्री शोभन कानूनगो संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
14. श्री मुनीश गप्त संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
15. श्री देवेन्द्र चरण मिश्र संयुक्त सचिव, राज भाषा विभाग	सदस्य
16. श्री एस० एल० कपूर संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
17. श्री एन० टी० श्रीनिवासन सदस्य वित्त, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो	प्रतिनिधि
18. श्री डी० एस० अत्री सचिव, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो	प्रतिनिधि
19. श्री स्वरूप चन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त विकास आयुक्त, लघु उद्योग	प्रतिनिधि
20. श्री पी० आर० लाटे उप-महानिदेशक	प्रतिनिधि
21. श्री कमल किशोर उप-आर्थिक सलाहकार	प्रतिनिधि
22. श्री पवित्र कुमार चौधरी कार्मिक निदेशक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	प्रतिनिधि
23. कैप्टन आर० पी० पी० सिंह संयुक्त प्रबन्धक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	प्रतिनिधि
24. श्री प्रभु दयाल कार्मिक प्रबन्धक, भारतीय सीमेंट निगम	प्रतिनिधि
25. श्री नरेन्द्र दत्ता उप-सीमेंट नियंत्रक	प्रतिनिधि
26. श्री वीरेंद्र कुमार चानना संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य-सचिव

बैठक का आरम्भ करते हुए माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए कहा कि वे स्वयं हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं । उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं अन्य नागरिकों से उन्हें जो पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं वे उनका उत्तर मूल रूप से हिन्दी में ही भेजने में विश्वास करते ह क्योंकि उससे विचारों की अभिव्यक्ति भली प्रकार होती है ।

माननीय मंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया कि मंत्रालय से हिन्दी में रूपांतर करके मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले टिप्पणों (केबिनेट नोट) की भाषा और अधिक सरल और स्पष्ट होने के साथ अर्थपूर्ण होनी चाहिए। यदि अनुवाद की भाषा क्लिष्ट और अस्पष्ट होती है तो उसे समझने में कठिनाई होगी, अतः मंत्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त उन्होंने मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग करने पर भी बल दिया ।

इसके पश्चात् मंत्रालय के अधीन दोनों विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों आदि में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में कार्य-सूची के अनुसार प्रत्येक मद पर अलग-अलग चर्चा न करके समग्र रूप से विचार-विमर्श किया गया । मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने की दिशा में सुझाव दिया गया कि राज भाषा विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए और राजभाषा के प्रयोग के लिए जो कार्यक्रम निश्चित कर लिए गए हैं उन्हें लागू किया जाए । जिन उपक्रमों में अभी तक हिन्दी का स्टाफ नहीं रखा गया है उनमें हिन्दी का उपयुक्त स्टाफ अविलम्ब नियुक्त करने के निदेश जारी किए जाएं । इस बात पर सर्वसम्मति थी कि राजभाषा अधिनियम, की धारा 3 (3) का पूरी तरह परिचालन किया जाए । मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्रेस टिप्पण कई बार केवल अंग्रेजी में जारी हो जाते हैं अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि वे भविष्य में द्विभाषी रूप में जारी हों ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से टिप्पण एवं आलेखन के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई । इस सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया कि इससें दो प्रकार के अधिकारी हैं—एक वे जिनकी मातृभाषा हिन्दी है अथवा जिन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और दूसरे वे जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है और जिन्हें अभी हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना है । राजभाषा विभाग के सचिव एवं हिन्दी सलाहकार ने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए पूरी सुविधाएं विद्यमान हैं । सरकारी क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानों में अभी तक हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं थीं उनमें भी इस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है, किन्तु मूल समस्या हिन्दी में कार्य करने की है । जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को एक बार हिन्दी में प्रशिक्षण मिल जाता है, उनका यह दायित्व हो जाता है कि वे अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करें जिससे उनका अभ्यास बना रहे ।

बैठक में सुझाव दिया गया कि कर्मचारी अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं उनकी गोपनीय रिपोर्ट में इस आशय की प्रविष्टि की जानी चाहिए जिससे उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिल सके । इसके अतिरिक्त मंत्रालय के दोनों विभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव ने बताया कि दोनों विभागों द्वारा हिन्दी में कार्य तो किया जा रहा है लेकिन इस दिशा में प्रगति की आवश्यकता है ।

यह भी सुझाव दिया गया कि मंत्रालय के अधीन दोनों विभागों के प्रतिष्ठानों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा उनमें स्टाफ आदि की उपयुक्त व्यवस्था करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों की एक बैठक माननीय उद्योग मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जाए । इस पर सहमति प्रकट की गई ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों पर हिन्दी में भी नाम लिखे जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया । साथ ही यह सुझाव भी दिया कि एच० एम० टी० द्वारा "क" क्षेत्र के राज्यों से मूल पत्र-व्यवहार हिन्दी में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में अभी तक चेक प्वाइंट नहीं बनाया गया है उनमें शीघ्र ही चेक प्वाइंट स्थापित करने की आवश्यकता है ।

मंत्रालय के अधीन गैर-सरकारी तथा निजी औद्योगिक संस्थानों और उपक्रमों आदि में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनमें भी पुरस्कार, पदक, वैजयन्ती तथा अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि मंत्रालय से सम्बन्धित विभिन्न उद्योगों के संगठनों को यह सुझाव दिया जाए कि वे अपने सदस्यों से अनुरोध करें कि वे मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें तथा इन संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं मंत्रालय के साथ राजभाषा में पत्र-व्यवहार करेंगे ।

जहां तक तकनीकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन की पुरस्कार योजना चलाने का सम्बन्ध है, इस बारे में चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि चूंकि इस योजना को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, अतः इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए । साथ ही भारी उद्योगों के सम्बन्ध

में भी इसी प्रकार की मौलिक पुस्तक लेखन की योजना प्रारम्भ करने पर भी विचार किया जाए।

मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण दल द्वारा समय-समय पर दौरा किए जाने पर भी बल दिया गया।

(3) सिंचाई मंत्रालय

सिंचाई मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 11 मई, 1983 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में सिंचाई राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :—

1. श्री राम निवास मिर्धा, सिंचाई राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री नाथूराम मिर्धा, संसद सदस्य	सदस्य
3. श्री गणपत हीरालाल भगत, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री प्रभात शास्त्री, प्रधान मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	सदस्य
5. श्रीमती प्रसन्न दीक्षित	सदस्य
6. श्री वाल्मीकि चौधरी	सदस्य
7. श्री क्षेमचन्द्र सुमन	सदस्य
8. श्री चन्द्र नाथ मिश्र	सदस्य
9. श्री मा० गो० पाध्ये, सचिव (सिंचाई)	सदस्य
10. श्री प्रीतम सिंह, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
11. श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, (राजभाषा विभाग)	सदस्य
12. श्री बी० डी० पाठक, अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य
13. श्री सी० सुधीन्द्र, निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	सदस्य
14. श्री सी० बी० जे० वर्मा, सचिव, केन्द्रीय सिंचाई एवं शक्ति मंडल	सदस्य
15. श्री पी० सी० सक्सेना, निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला	सदस्य
16. श्री एस० एम० सेठ, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	—
17. श्री वाई० बी० आर० रेड्डी, अधीक्षक इंजीनियर, फरक्का बराज परियोजना	—
18. श्री अजित नाथ, सचिव, जल तथा विद्युत सलाहकार सेवाएं (भारत) लिमिटेड	—
19. श्री अ० प्र० सिंह, संयुक्त सचिव (प्रशासन)	सदस्य-सचिव

बैठक की कार्यवाई आरम्भ होने से पूर्व, सदस्यों ने, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री केदार पांडेय और श्री रणबीर, संपादक "दैनिक मिलाप" जिन्हें समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया।

3. इसके पश्चात् **अध्यक्ष महोदय** ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने समिति के गठन और उसकी पहली बैठक आयोजित करने में हुए बिलम्ब के लिए खेद व्यक्त किया उन्होंने इस मंत्रालय में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का भी उल्लेख किया जबकि यह मंत्रालय तकनीकी विषयों से सम्बन्धित कार्य करता है और इसे अनेक तकनीकी कार्यों में राय लेनी पड़ती है। उन्होंने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय द्वारा नकद पुरस्कार/शील्डें दिए जाने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि यह मंत्रालय अनेक क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ करने के लिए भरसक प्रयास करता रहा है फिर भी यह प्रयास किया जाना है कि अभी भी जो कार्य हिन्दी में नहीं किए जा सके हैं वे भी किए जाएं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सदस्यों के सुझावों द्वारा हम अपनी भाषा नीति को एक नई प्रेरणा दे सकेंगे और मामलों में हिन्दी के प्रयोग में और अधिक प्रगति करेंगे। उसके बाद **अध्यक्ष महोदय** ने वर्ष 1979–80 तथा 1980–81 के लिए सिंचाई मंत्रालय के विजेता विभिन्न कार्यालयों को शील्ड/पुरस्कार प्रदान किए। तत्पश्चात् कार्य सूची की मदों पर विचार–विमर्श प्रारम्भ हुआ।

4. **श्री क्षेमचन्द्र सुमन** ने "भगीरथ" पत्रिका के प्रकाशन और वितरण का उल्लेख किया, जिसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब यह पत्रिका नियमित रूप से सदस्यों को भेजी जाएगी ।

5. **श्री वाल्मीकि चौधरी** ने सुझाव दिया कि सदस्य जो सुझाव या बात रखें, उन्हें कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए और सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के भी प्रयत्न किए जाएं । **अध्यक्ष महोदय** ने इस सुझाव के साथ सहमति प्रकट करते हुए कहा कि इस बैठक के लिए सभी सदस्यों से सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया था और कुछ सदस्यों ने सुझाव भेजे थे । उन्होंने कहा कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाए ।

6. **श्रीमती प्रसन्न दीक्षित** यह चाहती थीं कि सिंचाई मंत्रालय के अधिकारी पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग के लिए पहल करें । वे यह जानना भी चाहती थीं कि क्या इस दिशा में मंत्रालय के अधिकारी पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग के लिए पहल करते हैं ? वे जानना चाहती थीं कि क्या इस दिशा में शुरूआत की गई है ? उन्होंने यह भी कहा कि पत्राचार में अंग्रेजी का प्रतिशत बहुत अधिक है और आशा प्रकट की कि भविष्य में अधिकारियों के सहयोग से राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा ।

7. **श्री नाथूराम मिर्धा**, संसद सदस्य ने कहा यद्यपि मंत्रालय के नियम 10(4) के अधीन कुछ कार्यालय अधिसूचित कर दिए हैं, पर इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है कि उनमें से कितने कार्यालयों को आदेश दिया गया है कि वे अपना कार्य हिन्दी में करें । उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग की तरफ से हर साल तैयार किए जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में स्थित राज्यों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम बनाया जाता है और अभी इस दिशा में बहुत काम हिन्दी में किया जाना बाकी है । जैसे "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों के साथ सभी पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए, वहां के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रजिस्टर भरने, सर्विस बुक में इन्दराज करने, फाइलों में नोटिंग करने आदि का करीब 70 प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाना चाहिए और राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य हैं और जिन कार्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया है उनमें उन्होंने यह पाया है कि वहां अभी बहुत काम हिन्दी में होना बाकी है । उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले यह जान लें कि हम खड़े कहां हैं, लेकिन विभागों को अपनी यह स्थिति मालूम नहीं है । उन्होंने यह कहा कि ऊपर के अधिकारियों के आचरण को देखकर ही नीचे वाले कार्य करते हैं और यदि वरिष्ठ अधिकारी फाइलों में नोटिंग में हिन्दी का प्रयोग करें तो नीचे वाले अधिकारियों को इससे अवश्य प्रेरणा मिलेगी । उन्होंने कहा कि नीचे के दफ्तरों के लोग हमेशा यह शिकायत करते हैं कि मंत्रालय से जितने भी परिपत्र और पत्र आते हैं, वे आमतौर पर अंग्रेजी में ही आते हैं, इसलिए हमें हिन्दी में उत्तर देने का मौका ही नहीं मिलता है । साथ ही, यदि कार्यालय अपनी ओर से हिन्दी में पत्र लिख तो इसका मतलब है कि इसमें तीन-चार महीने की देरी अवश्य लगेगी, क्योंकि अंग्रेजी में पत्र लिखने पर उसका उत्तर तुरन्त मिल जाएगा और अगर हिन्दी में पत्र भेजा गया तो बहुत देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । उन्होंने सचिव (सिंचाई) से अनुरोध किया कि वे यह देखें कि हिन्दी में ज्यादा काम किया जाए ।

8. **संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग** ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि सिंचाई मंत्रालय में कुल दो राजपत्रित अधिकारी और 22 अराजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जो अपना 25 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी में करते हैं । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों के अनुसार सभी सामान्य आदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों में जारी होने चाहिएं । उन्होंने हिन्दी जानने वाले अधिकतर अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे भविष्य में अपना काम हिन्दी में करना शुरू करें । श्री **क्षेमचन्द्र सुमन** ने विचार व्यक्त किया कि वर्तमान परिस्थितियां आशाजनक नहीं हैं । उन्होंने कहा कि परिवहन, रेल मंत्रालयों आदि की सलाहकार समितियों का सदस्य होने के नाते उनका अनुभव है कि अहिन्दी भाषी राज्यों के कार्यालयों में हिन्दी के प्रति काफी रुचि है। उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी का अध्ययन करवाया है और वे कार्यकर्त्ता हिन्दी में कार्य करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कहा कि वे हिन्दी के पुराने समर्थक हैं । और यह भी सौभाग्य की बात है कि हिन्दी प्रदेश से आए हुए हैं । उन्होंने कहा कि यदि मंत्रालय के अधिकारी हिन्दी में टिप्पण आदि लिखने की आदत डालें तो इससे अधीनस्थ कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने की अवश्य प्रेरणा मिलेगी क्योंकि यदि नीचे के कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो हिन्दी में कार्य करने की दिशा में बहुत प्रगति हो सकती है ।

9. **श्री वाल्मीकि चौधरी** ने कहा कि हिन्दी के प्रति लोगों के मन में जो भ्रम और भय बना हुआ है उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है । इस प्रसंग में उन्होंने कहा कि हिन्दीभाषी राज्यों में यह भ्रम पाया जाता है कि यदि पत्र हिन्दी में भेजा गया तो पता नहीं उसका जवाब आएगा या नहीं । अतः सर्वप्रथम इस भय और भ्रम को दूर करना हमारा कर्तव्य है । उन्होंने कहा कि यदि किसी हिन्दी भाषी राज्य से कोई पत्र अंग्रेजी में आता है तो केन्द्र द्वारा उन्हें यह लिखा जाना चाहिए कि पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी भाषी राज्यों से पत्र स्वाभाविक रूप से हिन्दी में आएगा और उनका भय तथा भ्रम दूर होगा ।

श्री प्रभात शास्त्री ने कहा कि जिस दिन अहिन्दी भाषी प्रदेशों को यह विश्वास हो जाएगा कि हिन्दी-भाषी राज्यों

के शत-प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहे हैं, उसी दिन से वे राज्य भी हिन्दी को सीखने और उसमें काम करने के लिए प्रेरित होंगे । वे चाहते थे कि "भगीरथ" पत्रिका पाक्षिक रूप से प्रकाशित की जानी चाहिए और उसमें सिंचाई से सम्बन्धित हिन्दी शब्दावली का स्तंभ होना चाहिए जिसमें किसी हिन्दी शब्द के लिए दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द दिए जाने चाहिएं ताकि हम भी यह जान सकें कि अन्य भाषाओं में इन्हें क्या कहा जाता है ।

श्री चन्द्रनाथ मिश्र यह चाहते थे कि जो लोग हिन्दी में अपना काम करते हैं उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया जाए। अतः, यह आवश्यक है कि देवनागरी लिपि के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया जाए । उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का लिप्यन्तरण देवनागरी में किया जाना चाहिए ताकि अहिन्दी भाषी लोग उन शब्दों को आसानी से समझ सकें।

सचिव (सिंचाई) ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि मंत्रालय में सरकारी काम हिन्दी का यथासंभव अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास किया जाएगा । उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि प्रारम्भ में उन्हें भी मराठी भाषा में काम करने में कठिनाई हुई थी परन्तु धीरे-धीरे प्रयास करने से और जहां हिन्दी का शब्द न दिया जा सके, वहां टेक्नीकल भाषा में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करने में उन्हें इस काम में बहुत मदद मिली थी ।

10. **श्री गणपत हीरालाल भगत (संसद सदस्य)** ने बैठक बुलाने के लिए माननीय सिंचाई मंत्री को धन्यवाद दिया। "भगीरथ" पत्रिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी "भगीरथ" को अंग्रेजी "भगीरथ" से नीचे के स्तर पर रखा जा रहा है, उसके लिए आज तक किसी संपादक की व्यवस्था नहीं की गई है जो एक दुःखद स्थिति है । उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय में और डाक-तार विभाग में हिन्दी का काम देखने के लिए निदेशालय (डायरेक्टरेट) हैं। हिन्दी के काम के लिए यहां भी स्टाफ दिया जाए, तभी यह काम चल सकता है । **श्री नाथूराम मिर्धा संसद सदस्य** ने भी कहा कि संपादक का पद तथा हिन्दी के कई ऐसे और पद हैं जो तीन साल पहले सृजित किये गए थे और जिन्हें अभी तक नहीं भरा गया है । वे इन सभी पदों को भरने के बारे में निश्चित आश्वासन चाहते थे । उन्होंने आगे कहा कि कुछ मंत्रालयों में हिन्दी का बहुत काम हो रहा है । उदाहरण के लिए, उन्होंने रेल मंत्रालय और डाक तथा तार विभाग का उल्लेख किया जहां इस काम के लिए एक-एक निदेशालय (डायरेक्टोरेट) हैं । उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय में भी एक निदेशक स्तर (डायरेक्टर लेवल) का अधिकारी हिन्दी के काम को देखें। "भगीरथ" पत्रिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे अंग्रेजी पत्रिका के समान ही दर्जा दिया जाए जैसा कि दूसरे सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया है । इसे मासिक पत्रिका बनाया जाए और इसे जिला बोर्डों तथा पंचायत के स्तरों पर भी वितरित किया जाए।

11. **अध्यक्ष महोदय** ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सिंचाई मंत्रालय की अन्य मंत्रालयों से तुलना न करें क्योंकि इसका कार्य तकनीकी प्रकार का है और इसे केवल सलाहकारी भूमिका निभानी होती है । रिक्त हिन्दी पदों के बारे में **संयुक्त सचिव (प्रशा०)** ने कहा कि हिन्दी और अंग्रेजी भगीरथ, दोनों को बराबर माना जा रहा है और दोनों के लिए समान स्तर के पद सृजित किए गए हैं । उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों (रिक्रूटमेंट रूल्स) के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह की जा रही है और उन्हें अन्तिम रूप दिए जाने के बाद सम्पादक तथा उप-संपादक के दो रिक्त पदों के बारे में निर्णय किया जाएगा । भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने में 3–4 महीने लग जाएंगे । जिसके बाद पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जाएगी । **अध्यक्ष महोदय** ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्र उपयुक्त कारवाही की जाएगी ।

(4) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

पर्यटन और नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक श्री खुर्शीद आलम खान पर्यटन और नागर विमानन मंत्री की अध्यक्षता में 10 जून, 1983 को होटल कनिष्क, नई दिल्ली में हुई ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री खुर्शीद आलम खान, पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
3. श्रीमति कैलाश पति, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4. श्री गंगा शरण सिंह	सदस्य
5. श्री क्षेम चन्द्र 'सुमन'	सदस्य
6. डा० इन्द्र नाथ चौधुरी	सदस्य
7. डा० विद्या निवास मिश्र	सदस्य
8. डा० एन० चन्द्र शेखरन नायर	सदस्य
9. श्री ए० वी० श्रीनिवासमूर्ति	सदस्य
10. श्री श्रीकांत त्रिपाठी	सदस्य
11. श्रीमती मनुहरि पाठक	सदस्य
12. श्री मनमोहन कोहली, सचिव, नागर विमानन	सदस्य
13. डा० बी० वेंकटरामन सचिव, पर्यटन	सदस्य
14. श्री जितेन्द्र नाथ कौल, संयुक्त सचिव, नागर विमानन	सदस्य

15. कुमारी पी० लाल, सदस्य
महानिदेशक नागर विमानन

16. श्री एस० के० दास, सदस्य
मौसम विज्ञान के महानिदेशक

17. श्री पी० एम० एन० मूर्ति, सदस्य
मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त

18. श्री बी० के० भसीन, सदस्य
महाप्रबन्धक,
वायुदूत

19. श्री एन० सुन्दरराजन, सदस्य
निदेशक,
नागर विमानन

20. श्री मदन शर्मा, सदस्य–सचिव
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी
नागर विमानन

सम्बन्धित विभागों/निगमों के अध्यक्षों की जगह, जो समिति के सदस्य हैं, निम्नलिखित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे :—

1. श्री पन्ना लाल शर्मा,
उपाध्यक्ष,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

2. श्री प्रभु घाटे,
अपर महानिदेशक,
पर्यटन

3. श्री सी० एल० शर्मा,
उप प्रबन्धक निदेशक,
एयर इण्डिया

4. कप्तान एन० एम० परेरा,
उप प्रबन्धक निदेशक,
इण्डियन एयरलाइन्स

5. श्री वेद प्रकाश,
सदस्य (वित्त और प्रशासन),
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण

6. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा,
उपाध्यक्ष (प्रशासन),
भारत पर्यटन विकास निगम

7. श्री आर० एन० रंजन,
निदेशक (प्रशासन),
भारतीय होटल निगम

8. श्री राजमणि तिवारी,
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी,
राजभाषा विभाग

मंत्रालयों और इसके विभागों, निगमों आदि के सम्बन्धित अधिकारी भी उपस्थित थे।

समिति के सब सदस्यों के परिचय के बाद **अध्यक्ष महोदय** ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि इस समिति में माननीय संसद सदस्य, हिन्दी के विद्वान, प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर, आदि सदस्य हैं जिन्होंने इस मंत्रालय के काम में दिलचस्पी लेकर और अपना बहुमूल्य समय देकर मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सलाह और सुझाव देने और मार्गदर्शन करते रहने की कृपा की है।

मंत्रालय और इसके विभागों और निगमों के कामों की जानकारी देते हुए **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय अपने आप में एक छोटा दिखने वाला मंत्रालय है लेकिन इसके नीचे अलग-अलग विभागों और उद्यमों के दफ्तर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं और उनके काम भी बहुत ज्यादा तकनीकी, वैज्ञानिक और तात्कालिक प्रकार के हैं जिनमें सार्वजनिक सुरक्षा, वाणिज्यिक लाभकारिता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और कुशल, किफायती और संतोषजनक सेवाओं की व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ये विभाग ज्यादातर ऐसे हैं, जैसे नागर विमानन महानिदेशालय, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं जिनकी काम-काज की भाषा सिर्फ अंग्रजी है, और इसलिए इन विभागों, निगमों को इसको ध्यान में रखते हुए उसी भाषा में अपना काम-काज करना पड़ता है। इसी तरह से पर्यटन में भी देश के पर्यटकों और साथ ही विदेशी पर्यटकों का भी ध्यान रखना पड़ता है और उनके लिए सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इन विभागों, निगमों में सभी काम-काज सिर्फ हिन्दी में करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन इन सीमाओं और दिक्कतों के होते हुए भी मंत्रालय और इन सभी विभागों, निगमों आदि ने राजभाषा संबंधी कानूनी जरूरतों का पालन करने और अपने काम-काज में हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए, खासकर जनसंपर्क के साधनों में, जनता के काम में आने वाले कागज-पत्रों को हिन्दी में लोकप्रिय, सुन्दर और आर्कषक रूप में तैयार करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनका ब्यौरा सदस्यों को दिए गए प्रगति विवरण में बताया गया है और जिसका कुछ अंदाजा यहां प्रदर्शित की गई कुछ मदों से लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट किया कि हिन्दी की प्रगति के बारे में बताई गई जानकारी से उनका मतलब यह नहीं है कि मंत्रालय और इसके विभागों, निगमों आदि में राजभाषा नीति को लागू करने और हिन्दी का इस्तेमाल करने में कोई कमियां नहीं रही हैं। कुछ कमियां जरूर हैं और हमें इनका एहसास है। लेकिन वे यह जरूर कहना चाहेंगे कि इस मंत्रालय और इसके अधीन विभागों, निगमों आदि में काम कर रहे सभी अधिकारी, चाहे वे पर्यटन विशेषज्ञ हों या विमानन में लगे इंजीनियर या तकनीशियन, हिन्दी में रुचि रखते हैं और

राजभाषा नीति को लागू करने के लिए कोशिश करते हैं और उन सबके सहयोग से ही मंत्रालय और इसके विभागों, निगमों आदि में हिन्दी के इस्तेमाल में कुछ प्रगति हो सकी है।

उन्होंने सदस्यों को धन्यवाद दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मंत्रालय और इसके सभी विभागों, निगमों में राजभाषा संबंधी सभी जरूरतों का पूरा पालन किया जाएगा और हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और जो सुझाव दिए जाएंगे उनको कार्यान्वित करने के लिए भरसक कोशिश की जाएगी।

इसके बाद उन्होंने सदस्यों से अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध प्रकट किया।

डा० विद्या निवास मिश्र ने विमानों में की जाने वाली हिन्दी घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विमान परिचारिकाओं का हिन्दी उच्चारण ठीक नहीं होता है, वह बनावटी होता है और उस पर अंग्रेजी का अधिक प्रभाव होता है। उसे सुधारने के लिए विमान परिचारिकाओं को हिन्दी के सही उच्चारण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए क० मं० हिन्दी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला सकता है।

उन्होंने कहा कि तीर्थ-स्थानों, दर्शनीय स्थानों, पर्यटन केन्द्रों के बारे में अच्छी और प्रामाणिक जानकारी देने के लिए तथा देश में और विदेशों में पर्यटकों के सामने उनकी ठीक छवि प्रस्तुत करने के लिए ऐसे स्थानों का हिन्दी में अच्छा विवरण देने वाली पुस्तिकाएं तैयार की जाएं। यदि ऐसे स्थानों पर उनसे संबंधित हिन्दी के पद या संस्कृत के श्लोक आदि भी दिए जाएं तो अधिक अच्छा रहेगा। वे इसके चयन में सहायता कर सकते हैं।

डा० इन्द्रनाथ चौधरी ने विमान परिचारिकाओं की घोषणाओं में हिन्दी उच्चारण में बनावटीपन और अंग्रेजी के प्रभाव के बारे में बताते हुए कहा कि उनके हिन्दी उच्चारण पर उनकी अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव होना अस्वाभाविक और बुरा नहीं है, परन्तु उन पर अंग्रेजी के अनावश्यक और बनावटी प्रभाव को दूर करने के लिए उनमें हिन्दी में बोलने में गौरव अनुभव करने की भावना जगानी होगी। इसके लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि उन्हें शुरू में ही हिन्दी उच्चारण के संबंध में अच्छा और उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए और बाद में समय-समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण देकर उनके उच्चारण का पुनरीक्षण किया जाए।

उन्होंने इंडियन एयरलाइन्स द्वारा आयोजित की जाने वाली हिन्दी कार्यशालाओं की योजना, प्रशिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे स्वयं इनमें प्रशिक्षण देते रहे हैं और उनका यह अनुभव है कि इनसे वहां के अधिकारियों/प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी के व्यावहारिक रूप का ज्ञान होता है और उनमें सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए आत्म-विश्वास पैदा होता है। इसी तरह की कार्यशालाएं एयर इंडिया में भी आयोजित की जाएं।

इसके लिए उनके पास सीमित स्टाफ है; यदि वह उपयुक्त रूप में और बढ़ाया जाए तो इससे कार्यशालाएं और हिन्दी के अन्य कार्य बहुत ही प्रभावी और सुचारू रूप में चल सकते हैं।

डा० एन० चन्द्रशेखरन नायर ने उनके सुझावों पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों, मंत्रालय और उसके अधीनवर्ती कार्यालयों, निगमों और संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति के विवरण और उनकी विभिन्न मदों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति और प्रगति के संबंध में सुंदर और सुरुचि-पूर्ण ढंग से प्रदर्शित किए गए कागज-पत्रों, रिपोर्टों, फार्मों, पुस्तिकाओं आदि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने मंत्रालय और उसके अधीन कार्यालयों में सीमित साधनों और स्टाफ के साथ हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की दिशा में अपने आप ही जो अच्छा कार्य किया है इसके लिए मंत्री महोदय और अधिकारियों को बधाई दी।

इस संदर्भ में उन्होंने हिन्दी स्टाफ से संबंधित मंत्रालय के विवरण के साथ लगे अनुलग्नक 5 की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि मंत्रालय और इसके अधीन अधिकतर कार्यालयों में हिन्दी स्टाफ अपर्याप्त है। इस विषय में उन्होंने हिन्दी कार्य के लिए न्यूनतम पदों के संबंध में राजभाषा विभाग के मार्ग दर्शी सिद्धांतों की ओर भी ध्यान दिलाया।

उन्होंने मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को देखने और इसमें हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों के सहयोग के संबंध में पांच-छः सदस्यों का एक कार्यकारी दल बना देने का सुझाव दिया।

श्रीमती मनुहरि पाठक ने इस बात पर जोर दिया कि विमान परिचारिकाओं की भर्ती के समय उनकी परीक्षा आदि में कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल हिन्दी में देने और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी अनिवार्य किए जाने से हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। पर्यटन के लिए विदेश के साथ-साथ अपने देश में भी पर्यटन संबंधी साहित्य या पुस्तकें या सामग्री पहले हिन्दी में दी जाए और उसके बाद में मांगने पर ही अंग्रेजी में दी जाए तो उससे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

श्री पन्नालाल शर्मा ने बताया कि उन्हें भारत सरकार के बहुत से मंत्रालयों और विभागों में जाने का अवसर मिलता है और उनमें हिन्दी के प्रयोग की प्रगति को देखते हुए वे यह कह सकते हैं कि इस दिशा में पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में काफी काम किया गया है। उन्होंने भर्ती और पदोन्नति परीक्षाओं में तथा विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग के संबंध में मंत्रालय और उसके अधीन विभागों, निगमों, आदि में कार्यालयों के अनुसार टिप्पणी में बताई गई पूरी स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें जहां-जहां भी हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दी जा सकती

चित्र समाचार

18 मई 1983 को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का 'भारत भारती पुरस्कार' ग्रहण करती हुई महीयसी महादेवी वर्मा ।

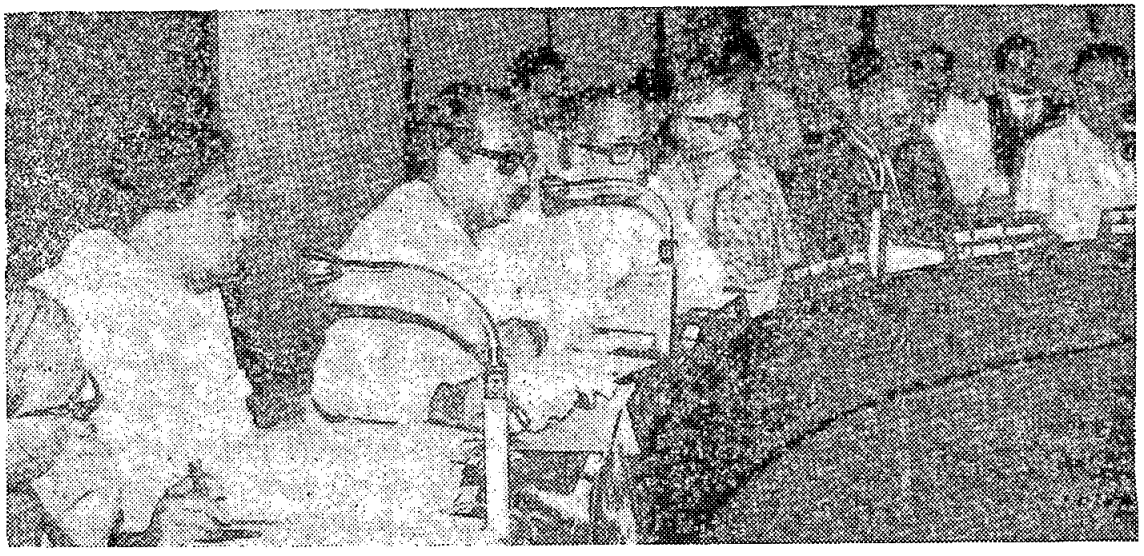

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी समिति की बैठक में भाग लेते हुए बांएं से दाएं सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन, सूचना और प्रसारण तथा संसदीय राज्य मंत्री श्री हरि किशन लाल भगत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव श्री शरद उपासनी, संयुक्त सचिव श्री सुरेश माथुर तथा संयुक्त सचिव श्री जे० के० भट्टाचार्य ।

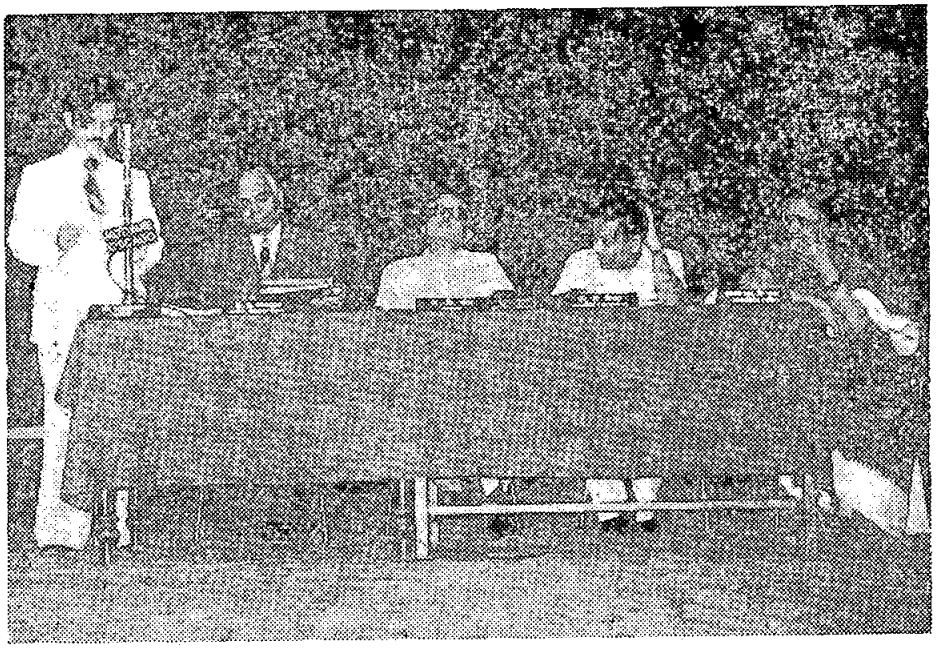

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बम्बई की बैठक में भाग लेते हुए बाएं से दाएं श्री वी० रामकुमार सचिव न० रा० भा० स०, श्री के० के० श्रीवास्तव, सचिव रा० भा० तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, गृह मंत्रालय, श्री के० के० सेन, मुख्य आयुक्त, श्री विजय बहादुर सिन्हा, उप सचिव राजभाषा विभाग, श्रीमती एन० जे० राव उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना (पश्चिम क्षेत्र) ।

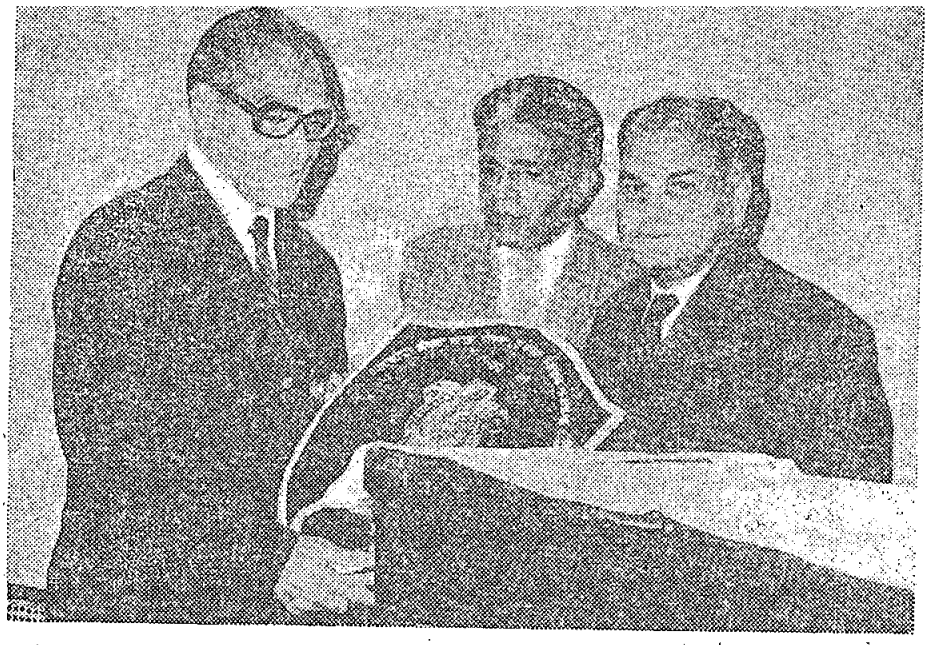

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के 'क' क्षेत्र में स्थित महा-लेखाकार (तृतीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में श्री हरबंस लाल को शील्ड प्रदान करते हुए मुख्यालय के निरीक्षण निदेशक श्री के० एल० झिंगन साथ में श्री बृज भूषण लाल गौड़ ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद की बैठक में भाग लेते हुए (बाएं से दाएं) श्री विश्वंभर नाथ आयकर आयुक्त, श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) तथा श्रीमती रोली श्रीवास्तव, सहायक आयकर आयुक्त ।

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन (कुरुक्षेत्र) के 41वें अधि-वेशन में आयोजित "राष्ट्र भाषा परिषद समारोह" में बाएं से श्री कामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, श्री मधुकर राव चौधरी, डा० हरवंस लाल शर्मा एवं बाबू गंगाशरण सिंह ।

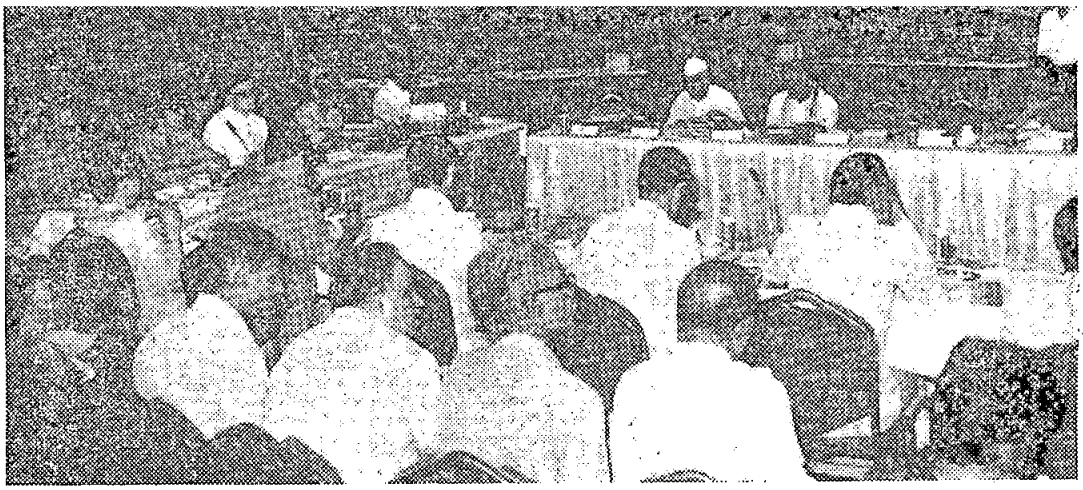

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के बैठक में भाग लेते हुए (बाएं से) 1. श्री जितेन्द्र लाल कौल संयुक्त सचिव, नागर विमानन 2. श्री मनमोहन कोहली, सचिव नागर विमानन 3. श्री खुर्शीद आलम खान, पर्यटन और नागर विमानन मंत्री 4. डा० बी० वेंकटरामन, सचिव पर्यटन 5. श्री राजमणि तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी राजभाषा विभाग ।
सामने की पंक्ति में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य 1. श्री गंगा शरण सिंह 2. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य एवं श्रीमती कैलाश पति, संसद सदस्य ।
पीछे वाली पंक्ति में मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण ।

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के क्षेत्र "ख" में स्थित निदेशक लेखा परीक्षा पश्चिम रेलवे, बम्बई के कार्यालय में श्री के० आर० अय्यर, मुख्यालय के निरीक्षण निदेशक श्री के० एल० झिंगन से विभागीय शील्ड ग्रहण करते हुए।

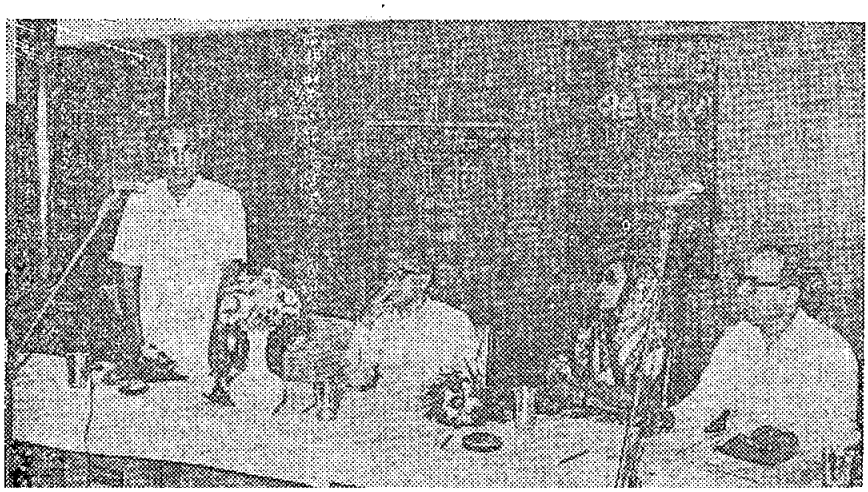

बैंक आफ इण्डिया, नागपुर क्षेत्र में श्री सी० एम० दवे की अध्यक्षता में राजभाषा अधिकारी श्री राजकिशोर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए ।

हिमाचल प्रदेश राज्य के कृषि एवं विधि मंत्री श्री गुमान सिंह चौहान द्वारा शिखर सम्मेलन हाल, शिमला में 17 जून, 1983 को विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन ।

श्री आर० सी० मूरि, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड (मुख्य अतिथि) द्वारा श्री सोंदरराजन महालेखाकार को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा 1980-81 की विभागीय शील्ड से सम्मानित करते हुए, पार्श्व में श्री नरहर देव, लेखा परीक्षक (हिन्दी अनुभाग) ।

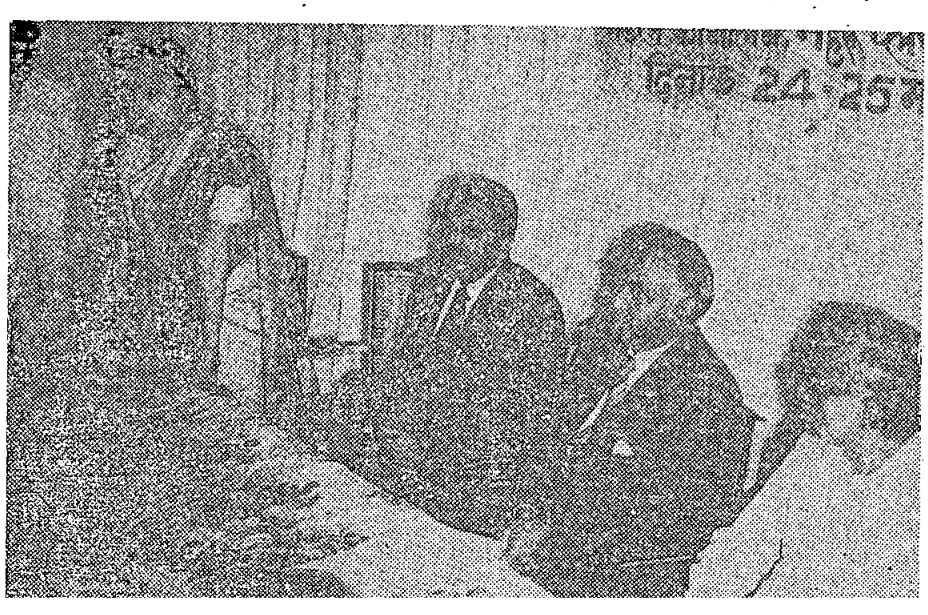

कैनरा बैंक, मण्डल कार्यालय, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बाएं से दाएं—हिन्दी अधिकारी, श्रीमती जीवन लता जैन, मण्डल प्रबन्ध बी० बी० एल० राव, सचिव राजभाषा विभाग श्रीकृष्ण कुमार श्रीवास्तव, तथा व० अ० अ० राजभाषा विभाग श्री राजमणि तिवारी ।

है वहां दिए जाने के लिए योजनाबद्ध रूप में कोशिश की जाए। परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों से संबंधित पुस्तकें अंग्रेजी में होने पर भी कुछ परीक्षार्थी या प्रशिक्षार्थी अपनी कोशिश से हिन्दी में लिखने को तैयार होंगे। इस तरह का अनुभव कुछ मंत्रालयों/विभागों/निगमों का है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन मैनुअलों, फार्मों आदि का अभी तक हिन्दी में अनुवाद नहीं किया गया है उनका अनुवाद करवा लिया जाए और जो अनूदित हो चुके हैं और अभी तक छपे नहीं हैं उन्हें भी छपवा लिया जाए। इस बारे में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों की जो स्थिति अनुलग्नक 3 में बताई गई है उसे देख लिया जाए तथा पूरी स्थिति अगली बैठक में बताई जाए।

उन्होंने यह आग्रह किया कि राजभाषा कार्यान्वयन को महत्व देने और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के अधीन सभी विभागों के अध्यक्षों, निगमों के अध्यक्षों आदि वरिष्ठतम अधिकारियों की मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाए और इसमें राजभाषा विभाग के सचिव और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार को भी बुलाया जाए।

विभागीय पुस्तकालयों में अंग्रेजी की तुलना में हिन्दी की पुस्तकें अभी बहुत कम खरीदी जाती रही हैं। राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुरूप पुस्तकालयों के लिए रखी गई धनराशि में हिन्दी पुस्तकों के लिए निश्चित धनराशि तय कर दी जानी चाहिए।

परिषद् के प्रधान द्वारा दिए गए सुझाव-मद संख्या 12 का उल्लेख करते हुए उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि पर्यटन और नागर विमानन से संबंधित विषयों पर मौलिक साहित्य लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार योजना शुरू करने पर वे विचार करें। इस प्रकार की पुरस्कार योजना भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों/विभागों में बहुत सफलतापूर्वक चल रही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने देश में भावात्मक एकता लाने में पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि वास्तव में पर्यटन विभाग मात्र एक सामान्य सरकारी विभाग न होकर देश में एकता को बनाए रखने वाला विभाग है। हमारे देश में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान, दर्शनीय स्थल और पर्यटन केन्द्र हैं जहां विदेशी पर्यटकों के अलावा हमारे देश के लाखों व्यक्ति जाते हैं जिनमें सामान्य व्यक्ति भी शामिल हैं। पर्यटन विभाग आवास आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करता है, वहां साथ ही उन स्थानों के संबंध में प्रमाणिक और रूचिकर साहित्य हिन्दी में अधिक मात्रा में तैयार करके उपलब्ध कराया जाए तो बहुत अच्छा हो। स्थापत्य, पुरातत्व आदि के स्थलों, भवनों आदि पर जहां हिन्दी में नहीं लिखा हुआ हो, वहां लिखवाया जाना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर गाइड अंग्रेजी में बोलते हैं। वे हिन्दी में भी बोलें।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण और व्यापक जनसंपर्क वाला मंत्रालय होते हुए भी इसकी अपनी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित नहीं होती और इसलिए तत्काल ही कोई पत्र-पत्रिका निकाली जानी चाहिए और वह हिन्दी में भी निकाली जानी चाहिए। इसके लिए पूरे समय का अच्छे वेतन-मान वाला हिन्दी संपादक और उसके साथ आवश्यक हिन्दी स्टाफ नियुक्त किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने उड़ानगत पत्रिकाएं—"स्वागत" और "नमस्कार" के देश से बाहर छपने की आलोचना की।

श्री यादव ने मंत्रालय में पुस्तकालय बनाए जाने और उसमें हिन्दी की पुस्तकें रखने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय और उसके विभागों के कर्मचारी हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेते हैं किन्तु उनके हिन्दी प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए वे भूल जाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या हिन्दी के कार्य के लिए अलग से हिन्दी टंकण और आशुलिपिक नियुक्त किए गए हैं या अंग्रेजी वालों को ही हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया है? उन्होंने कहा कि रेलवे में टिकटों में हिन्दी की स्थिति संतोषजनक है परन्तु एयरलाइनों के टिकट हिन्दी में नहीं है।

उन्होंने मंत्रालय और उसके विभागों में हिन्दी स्टाफ की स्थिति का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अगली बैठक में यह जानकारी दी जाए कि मंत्रालय और उसके अलग-अलग विभागों में इस समय कितना हिन्दी स्टाफ है और संबंधित विभाग में हिन्दी के काम के अनुपात से कितना हिन्दी स्टाफ चाहिए? उन्होंने कहा कि जब तक इस आवश्यक अनुपात के अनुसार पूरा और ठीक हिन्दी स्टाफ नहीं होता तब तक हिन्दी का काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि मंत्रालय का अधिकतर हिन्दी स्टाफ तदर्थ है और उनकी नियुक्ति में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मंत्रालय इतने महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए इसके हिन्दी कार्य के लिए भी रेल मंत्रालय के समान ही निदेशक का पद जरूरी है।

श्री श्रीकान्त त्रिपाठी ने यह सुझाव दिया कि हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा मंत्रालय और इसके विभागों में हिन्दी की प्रगति का मूल्यांकन और प्रबोधन ठीक तरह से किए जाने के लिए मंत्रालय के हर विभाग, निगम के लिए अलग-अलग इसकी छोटी-छोटी उप समितियां बना ली जाएं।

श्री क्षेम चन्द्र "सुमन" ने कहा कि पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय सरकार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह सिर्फ एक मंत्रालय ही नहीं है, बल्कि संस्कृति का प्रहरी है। इसलिए देश में भावात्मक एकता को सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों के संबंध में हिन्दी में साहित्य तैयार करके बढ़ावा देने के लिए आवश्यक योजनाएं बनाएं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी कार्य को प्रभावी रूप में करने में जिस प्रकार के साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने रेल मंत्रालय का उदाहरण देते हुए कहा कि उस मंत्रालय में हिन्दी के कार्य में प्रशंसनीय प्रगति हुई है जिसका प्रमुख कारण वहां इसके लिए निदेशक जैसे उपयुक्त स्तरीय हिन्दी पदाधिकारी, तथा पर्याप्त सहायक अधिकारी और हिन्दी स्टाफ और अन्य सुविधाओं का होना है। इसलिए इस मंत्रालय में भी हिन्दी के कार्य को प्रभावी रूप में कराने के लिए निदेशक जैसे समर्थ पद की आवश्यकता है और साथ ही इसके सभी विभागों उद्यमों में भी ऐसे ही उपयुक्त स्तरीय और पर्याप्त हिन्दी पदों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीन अधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं को हिन्दी के कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे कार्यकर्त्ताओं को प्रेरणा मिलती है। मंत्रालय और सभी विभागों में उपयुक्त हिन्दी पुस्तकालय होने चाहिए और मंत्रालय की अपनी हिन्दी पत्रिका भी प्रकाशित की जानी चाहिए।

श्री "सुमन" ने पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय संबंधित विषयों पर मौलिक साहित्य लेखन को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कार योजना शुरू करने के संबंध में श्री शंकर प्रसाद मुखर्जी के सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य मंत्रालयों द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें नौवहन और परिवहन मंत्रालय का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उक्त मंत्रालय ने हिन्दी के शीर्षस्थ लेखक और नौवहन और इतिहास विषयों के विशेषज्ञ डा० मोती चन्द्र के नाम पर एक साहित्य पुरस्कार योजना चालू की है। उसी प्रकार पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय भी अपने संबंधित विषयों पर, जैसे पर्यटन, नागर विमानन, मौसम विज्ञान आदि पर मौलिक साहित्य लेखन के लिए पुरस्कार योजना शुरू करें। इससे हिन्दी के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और इन विशिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर पुस्तकें तैयार होंगी और छपेंगी।

श्री गंगा शरण सिंह ने अध्यक्ष महोदय के प्रति हिन्दी कार्य में रूचि लेकर अपने मंत्रालय के व्यक्तियों को इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह मंत्रालय देश में एकता की कड़ी को मजबूत करने में सबसे अधिक योगदान दे सकता है।

पर्यटन संबंधी साहित्य की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय ने और कुछ राज्यों के पर्यटन विभागों ने अपने पर्यटन केन्द्रों आदि के संबंध में अच्छे साहित्य का प्रकाशन भी किया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार केवल राज्यों पर ही इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए निर्भर न रहे और सभी धर्मों के तीर्थ स्थानों, पर्यटन स्थलों आदि के संबंध में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने के लिए अपनी ओर से पहल करें।

उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि समिति की अगली बैठक में इन बातों पर सूचना दी जाए (1) इस मंत्रालय के किन-किन विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनी हुई हैं और कब-कब उनकी बैठकें हुई, (2) कितने हिन्दी के टाइप-राइटर हैं और उनमें से कितनों पर काम किया जाता है, (3) कितने टंककों और आशुलिपिकों ने हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण लिया है और कितनों का उपयोग हो रहा है, (4) मैनुअलों, फार्मों आदि के हिन्दी अनुवाद, छपाई आदि की क्या स्थिति है, (5) मंत्रालय के विभिन्न विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए जो दल बने हुए हैं, विशेष रूप से मंत्रालय में जो राजभाषा निरीक्षण दल बना हुआ है उनके निरीक्षणों का ब्यौरा दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी इस मंत्रालय के अधीन कार्यालयों, निगमों का दौरा या निरीक्षण करने जाएं वे अपने संबंधित विषयों के निरीक्षण के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन का भी निरीक्षण कर लें। इसी तरह से संगठन और पद्धति का निरीक्षण करने वाले अधिकारी भी राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण करें। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी भर्ती और विभागीय परीक्षाओं में और विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में हिन्दी के वैकल्पिक माध्यम की सुविधा दी जा सकती है दी जाए।

अध्यक्ष महोदय ने अच्छे सुझाव देने और मंत्रालय और उसके विभागों और निगमों में हुए हिन्दी के काम की सराहना करने के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया।

उन्होंने कहा कि देश में एकता को बनाए रखने में पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए देश में और विदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं और कई सुविधाएं दी गई हैं और वे बढ़ाई जा रही हैं। वे समान रूप से सभी धार्मिक स्थानों और तीर्थ-स्थानों और पर्यटन स्थलों के लिए यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने, आने-जाने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने और इस प्रकार पर्यटन को बढ़ावा देते हुए देश की भावात्मक एकता को मजबूत करने के लिए बराबर लगे हुए हैं। तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएं बन रही हैं। चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन आदि 19 स्थानों को इसके लिए चुना गया है। ब्रज की परिक्रमा में रात के पड़ाव के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। इन धर्मशालाओं के बनाने में मुसलमान भाइयों ने भी मदद दी है। इस तरह, कौमी एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन संबंधी काफी साहित्य हिन्दी में निकाला गया है। सदस्य महानुभावों के सुझावों को ध्यान में रखकर और राज्यों के साथ तालमेल रखते हुए जरूरी विषयों और स्थानों के बारे में और भी पर्यटन साहित्य हिन्दी में तैयार कराने की कोशिश की जाएगी।

पर्यटन और नागर विमानन से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें लिखने को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाने

के बारे में सदस्यों के सुझाव के संबंध में **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि यह सुझाव अच्छा है और वे इस पर विचार करेंगे।

विमान परिचारिकाओं द्वारा की जाने वाली हिन्दी की घोषणाओं में हिन्दी के उच्चारण में कमियों के बारे में **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि विमान परिचारिकाओं को नियुक्ति दिए जाने पर प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें घोषणाओं में हिन्दी उच्चारण सही ढंग से करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बाद में भी उन्हें रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर भी इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने और उनकी हिन्दी घोषणाओं को ठीक करने और उनमें हिन्दी सही उच्चारण करने के लिए जरूरी व्यवस्था की जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के यात्री टिकटों के बारे में उन्होंने सदस्यों को बताया कि इनमें से कुछ भाग द्विभाषिक रूप में पहले से है। बाकी भाग भी अब द्विभाषिक रूप में तैयार हो रहा है।

मंत्रालय और उसके हरेक विभाग में पुस्तकालय स्थापित करने और उनमें हिन्दी की पर्याप्त पुस्तकें रखने के बारे में **अध्यक्ष महोदय** ने बताया कि मंत्रालय के कई विभागों में हिन्दी पुस्तकालय बने हुए हैं और हिन्दी वाचनालय भी हैं, जिन्हें बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मंत्रालय में पुस्तकालय बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दी के काम को बढ़ाने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं चलाए जाने, मैनुअलों, फार्मों, और दूसरे सरकारी कार्यविधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद तैयार करवाने और छपवाने, हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था करने, हिन्दी टाइप, हिन्दी आशुलिपि आदि का प्रशिक्षण लिए हुए व्यक्तियों के प्रशिक्षण का उपयोग करने, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों सभी विभागों में और नियमित रूप से किए जाने, मंत्रालय की ओर से सभी विभागों में राजभाषा निरीक्षणों का ब्यौरा दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किए जाने, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें किए जाने, मंत्रालय में निदेशक स्तर के और अन्य आवश्यक पद बनाए जाने और इसी तरह उसके अधीन अलग-अलग विभागों, निगमों में भी पर्याप्त हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था किए जाने, आदि के बारे में सदस्यों के विचारों का उल्लेख करते हुए **अध्यक्ष महोदय** ने सदस्यों को यह विश्वास दिलाया कि मंत्रालय और उसके विभागों में राजभाषा नीति को लागू करने और हिन्दी का काम बढ़ाने के लिए इन सभी आवश्यक साधनों और सुविधाओं, उपयुक्त और पर्याप्त हिन्दी पदों की व्यवस्था की जाएगी तथा हिन्दी के सभी खाली पदों को भी भरा जाएगा जिससे कि वे हिन्दी के काम को ठीक तरह से और कारगर ढंग से चलाने में और उसे सफल बनाने में सहायक हों।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी को फैलाने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी हिन्दी काम में लाई जाए जो समझने, पढ़ने और बोलने में आसान हो।

अंत में **अध्यक्ष महोदय** ने सभी सदस्यों के सहयोग और सुझावों के लिए आभार प्रकट किया और उन्होंने फिर से यह विश्वास दिलाया कि यह मंत्रालय और इसके सभी विभाग और निगम सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने और अपने कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरी लगन से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे और इसमें जो-जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने यह आशा प्रकट की कि इसमें उन्हें सभी सदस्य महानुभावों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

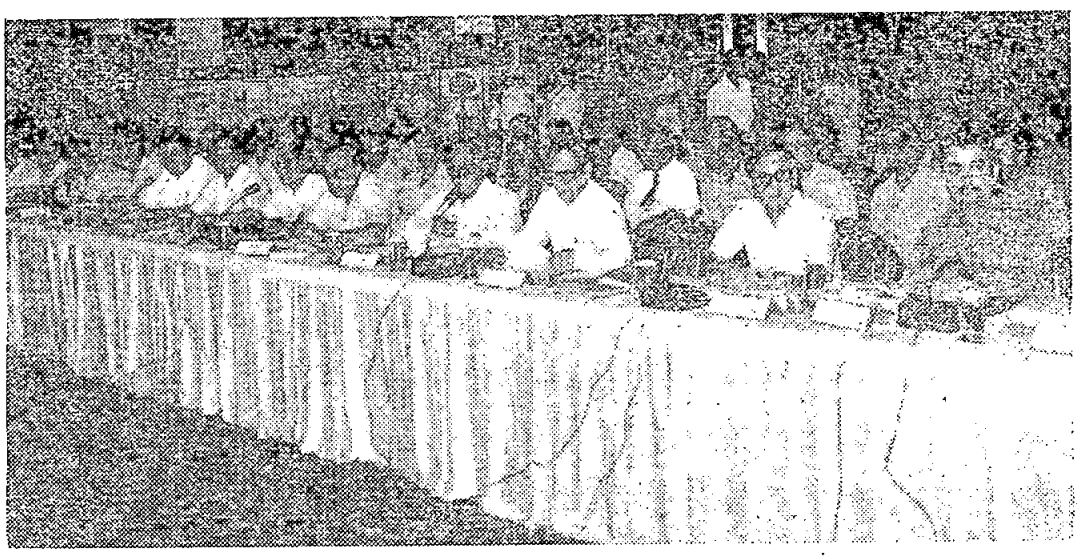

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सरकारी सदस्य एवं अधिकारीगण। दायें से—श्री प्रभु घाटे, अपर महानिदेशक, पर्यटन, श्री शादी लाल चौपड़ा, निदेशक, पर्यटन, श्री एस० के० दास, महानिदेशक मौसम विज्ञान, श्री पी० एम० मूर्ति, मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, श्री सी० एल० शर्मा, उपप्रबन्धक निदेशक, एयर इण्डिया, कप्तान एन० एम० परेरा, उपप्रबन्धक निदेशक, इण्डियन एयर लाइन्स, श्री बी० के० भसीन, महाप्रबन्धक, वायुदूत, श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपाध्यक्ष (प्रशासन), भारत पर्यटन विकास निगम तथा अन्य अधिकारीगण।

विविधा

(1) अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का 41वां अधिवेशन (कुरुक्षेत्र)

कुरुक्षेत्र में आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 41वें अधिवेशन में भाग लेते हुए बायें से—सर्वश्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' डॉ० हरबंस लाल शर्मा (सभापति), बाबू गंगाशरण सिंह, श्री अक्षय कुमार जैन तथा श्री प्रभात शास्त्री

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 41वां कुरुक्षेत्र सम्मेलन एक विस्मृत परम्परा को पुनर्जीवित करने की पहली कड़ी है। आज से तीस-बत्तीस वर्ष पूर्व हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के समान राष्ट्रीय स्तर पर होते थे और राष्ट्रीय संघर्ष में तत्परता के साथ लगे हुए कर्मठ राष्ट्रसेवी भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास एवं प्रचार-प्रसार की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के लिए सम्मेलन में सम्मिलित होते थे। यह अक्षुण्ण परम्परा प्रायः समाप्त हो गई थी। कुरुक्षेत्र के 41वें अधिवेशन से हमने इस परम्परा को पुनर्जीवित करके हिन्दी भाषा और साहित्य के बहुआयामी विकास उत्थान में, समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को आहूत किया था। अधिवेशन में लगभग 500 प्रतिनिधियों, स्थाई समिति के सदस्यों और हजारों दर्शकों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति, डॉ० हरवंशलाल शर्मा ने की और सम्मेलन का उद्घाटन वयोवृद्ध हिन्दी सेवी बाबू गंगाशरण सिंह ने किया।

अपने उद्घाटन भाषण में बाबू गंगाशरण सिंह ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि यह नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन दशकों से भी अधिक समय बीतने के बाद भी हिन्दी अपने संविधान में मान्य स्थान को पाने के लिए संघर्ष कर रही है और हमें हिन्दी की रचनात्मक गतिविधियों को विकसित करने की दिशा में रचनात्मक कार्य करने के साथ हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने के लिये भी संघर्ष करना पड़ रहा है। श्री गंगा बाबू ने कहा—"हिन्दी देश की राजभाषा या सरकार की काम काज की भाषा केवल कागज पर है। श्री गंगा बाबू ने हिन्दी के विरोध में पनपती निहित स्वार्थ वाली शक्तियों के प्रति जागरूकता के साथ उनके षडयन्त्रों और कुचक्रों को असफल बनाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को बनाने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की गतिविधियों में वर्षों से शैथिल्य आने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हिन्दी साहित्य सम्मेलन को वर्तमान अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के पुनः राष्ट्र-

भाषा हिन्दी के प्रति समर्पित होकर काम करने के संकल्प का स्वागत किया। उन्होंने कहा—"सम्मेलन अब विवादों से मुक्त हो चुका है। अब वह निश्चय ही संलग्नता के साथ काम करेगा।"

अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए सम्मेलन के वर्तमान सभापति डा० हरवंशलाल शर्मा ने कहा, "हम सब विषादग्रस्त होकर कर्म और निष्ठा के नये आयामों के साक्षात्कार के लिए यहां आये हैं। हमारा विषाद राज्य, सत्ता और वैभव के लिए नहीं है। हमारा विषाद अर्जन की भांति मोह जनित भी नहीं है। हमारा विषाद मोह-भंग का विषाद है। यह मोह-भंग राजनीति का मोह-भंग नहीं है। वास्तव में यह हमारा सांस्कृतिक विषाद है जिसमें मानव मूल्यों की गिरावट क्रमशः बढ़ती जा रही है। किन्तु हम निराश नहीं हैं। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में हम निष्ठा के साथ काम करने में विश्वास करते हैं।

उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के नाम पर हिन्दी को पीछे ढकेल कर अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कम्प्यूटर सिस्टम से आज जितने भी काम हो रहे हैं सब अंग्रेजी के माध्यम से हो रहे हैं। मशीनीकरण की इस चकाचौंध वाली स्थिति से निपटने के लिये हमें बहुत सतर्कता और सावधानी से काम करना होगा। उन्होंने उर्दू के विषय में बोलते हुए कहा, "यह बड़े दुख का विषय है कि उर्दू को देश के राजनीतिज्ञ केवल अपने निहित स्वार्थ के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अवसर पर डा० हरवंशलाल शर्मा ने 11 सूत्री कार्यक्रम की एक रूप-रेखा भी दी जिसका कार्यान्वियन करने में सम्मेलन प्रयास करेगा।

अधिवेशन के प्रारम्भ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में वर्ष के कार्यों का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत किया। हिन्दी विश्वविद्यालय की संगठन सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और राजर्षि जन्मशती समारोह की समापन गोष्ठी, आगामी वर्ष में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के हीरक जयन्ती समारोह तथा अन्य साहित्यिक कार्यक्रमों का उल्लेख किया। राजर्षि टण्डन व्याख्यान माला के अन्तर्गत हुए व्याख्यानों और न्याय विधि-संगोष्ठी का संक्षिप्त विवरण तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवम् विकास क्षेत्र में उठाये गये कदमों की चर्चा की। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की और उपस्थित प्रेक्षकों, सदस्यों और हिन्दी के साहित्यकारों से हिन्दी के वर्तमान अवरोधों से मुक्त, उसके उत्थान विकास के लिए दृढ़ संकल्प होने का आह्वान किया।

दूसरी जुलाई, को प्रातःकाल 9 बजे साहित्य परिषद की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता की श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' ने। अपने उद्घाटन भाषण में श्री प्रभाकर माचवे ने हिन्दी साहित्य और साहित्यकारों की स्थिति तथा स्वयं साहित्य के क्षेत्र में विघटित होते हुए मूल्यों के प्रति चिन्ता व्यक्त की। उनके उत्तेजक एवं सारगर्भित उद्घाटन भाषण में साहित्य सम्बन्धी अनेक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए प्रो० अंचल ने कहा—"लेखक के दायित्व के दो रूप हैं। पहला—साहित्य-सृष्टि और दूसरा—अपने साहित्य में व्यक्त मान्यताओं के अनुरूप जीवन। स्थापना के सभाकक्ष का 'फरनीचर' बनने की कोशिश करते रहकर भी बड़ी-बड़ी नौकरियों और पदों की तलाश करते रहकर भी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद और अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावाद लाया जा सकता है। पर सरकारी सचिवालयों में जैसे वह फाइलों में ही रह जाता है वैसे ही इन लेखकों के लेखन में समाजवाद केवल स्तम्भों और शासन की खरीदी में बड़ी-से-बड़ी संख्या में क्रय की जाने वाली पुस्तकों के पन्नों पर ही रह जायेगा। उसमें संघर्ष की ऊष्मा नहीं होगी—जीवन का उन्मेष नहीं होगा—मात्र किताबी कैफियत होगी। अपने कथ्य को अपने कर्म का समर्थन न देकर अपने लेखन और आचरण में इतना विषम भेद—यहां तक कि अधिकाधिक बढ़ते जाने वाली दूरी बनाये रख कर भी यदि साहित्यकार सोचता हो कि उसके लेखन से ही समाज बदल जायेगा तो इसे उसकी मानसिक स्व-इच्छा-पूर्ति ही माना जायेगा। दूसरी ओर लेखक और उसके आचरण में भेद—कथनी और करनी के बीच की खाई जितनी पटती जायेगी उतनी ही उसके लेखन को धार मिलेगी। इस प्रकार साहित्य के दोहरे दायित्व को जीने और जीने की प्रेरणा देने वाला लेखन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है जो रेशमी, नायलोनी मानसिकता के स्थान पर कठोर, श्रमशील सुविधाओं के बजाय अभावों को अपनाने वाली निर्मल बोधबुद्धि प्रदान करें। भौतिकतावादी परिपूर्ति का पूरा-पूरा समर्थन और अभिलाषी होकर भी साहित्य और साहित्यकार इस उपलब्धि को समाज-परिवर्तन, श्रेणी-भेद के विनाश और 'सब के सुख' के बीच पाना चाहेगा, अपने या अपनी स्वार्थसंकुल जमात के हितों के लिए किए गए समझौतों में नहीं।

दूसरी जुलाई को अपराह्न 4 बजे से सम्मेलन की गौरवमयी परम्परा के अनुरूप हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डा० हरवंशलाल शर्मा की अध्यक्षता में हिन्दी की राष्ट्रीय एवम् एक मात्र मानद उपाधि 'साहित्य वाचस्पति' का वितरण समारोह हुआ जिसमें—डा० रामानन्द तिवारी, डा० प्रभाकर माचवे, श्री अक्षयकुमार जैन, प्रो० रामेश्वर शुक्ल 'अंचल', डा० सरोजिनी महिषी, डा० कंचनलता सब्बरवाल और हिन्दी के वरिष्ठ सेवी बाबू गंगाशरण सिंह को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। उपस्थित हिन्दी सेवी और साहित्यकारों के अतिरिक्त जो इस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सके किन्तु जिनको सम्मेलन की ओर से साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया उनके नाम हैं :—डा० श्रीनाथ सिंह, श्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द', श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', श्री वेणीशंकर झा, श्री ना० नागप्पा, श्री गुरुभक्त सिंह, 'भक्त' (दिवंगत) तथा श्री मोहन लाल महतो 'वियोगी'।

साहित्य वाचस्पति समारोह में उन सभी सदस्यों ने संक्षेप में अपना जीवन परिचय और वर्तमान संदर्भ में साहित्य, संस्कृति, जीवन दर्शन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए। डा०

रामानन्द तिवारी ने अपनी एकान्त सेवा की चर्चा की तो डा० प्रभाकर माचवे ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सम्बन्धित अपने 17 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक के अनेक महत्वपूर्ण संस्मरण सुनाए। बाबू गंगाशरण सिंह ने अपनी कृतज्ञता के साथ-साथ हिन्दी सेवा और भारतीय निष्ठा के प्रति अपने उद्‌गार व्यक्त किये, श्रीमती सरोजिनी महिषी ने अपने संस्कृत अध्ययन अभिरुचि, राजनीति, कन्नडभाषा की विशिष्टता आदि पर रोचक विवरण प्रस्तुत किया, डा० कंचनलता सब्बरवाल ने अपनी विदेश यात्रा, हिन्दी का विश्वजनीन रूप, विविध विषयों में हिन्दी के प्रामाणिक ग्रन्थों की आवश्यकता पर सम्मेलन के प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया। श्री अक्षयकुमार जैन ने अपने बहुमूल्य पत्रकारिता के संस्मरण सुनाये और हिन्दी की श्रीवृद्धि के लिए किस प्रकार के समर्पित जीवन की आवश्यकता है इस पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रो० रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इस अवसर पर सम्मेलन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और अपनी साहित्यिक यात्रा के कई महत्वपूर्ण सन्दर्भों से सभा को अवगत कराया। श्री जी० सुन्दर रेड्डी ने इस सम्बन्ध में अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित विद्यापीठ का स्मरण दिलाया और हिन्दी विश्वविद्यालय की सफलता की कामना की।

रात्रि 9 बजे से अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन श्री क्षेमचन्द सुमन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस कवि सम्मेलन की विशषता यह थी कि इसमें अधिकाधिक क्षेत्रीय परिवेश के कवियों ने भाग लिया। कवि सम्मेलन की संयोजिका सुश्री सुषमा स्वराज की कुशलता और उनकी वाक्‌पटुता एवम् संवेदनशील मार्मिक संदर्भों को उजागर करने की दृष्टि से कवि सम्मेलन में जान पैदा हो गई थी। प्रो० श्रीपालसिंह, प्रो० रामेश्वर शुक्ल 'अंचल', श्रीमती सरोजिनी महिषी आदि ने कवि सम्मेलन में भाग लिया।

3 जुलाई, 83 को प्रातःकालीन सत्र में राष्ट्रभाषा परिषद् के अध्यक्षीय पद से अपना भाषण प्रस्तुत करते हुए श्री मधुकरराव चौधरी ने हिन्दी की वर्तमान गतिविधि पर व्यापक रूप से अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया और यह कहा कि हिन्दी के विकास में सरकारी स्तर पर जो बाधायें हैं उनको पूरा करने के लिए हिन्दी जगत में तैयारी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध किया कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में हिन्दी के प्रयोग पर विशेष रूप से ध्यान दें। इस सम्बन्ध में उन्होंने पांच-सूत्रीय कार्यक्रम भी घोषित किया और हिन्दी प्रचार-प्रसार करने वाली संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे निरन्तर सरकारी कार्यालयों तथा उनके अधिकारियों से, शासन के नियमों और निर्देशों का हवाला देते हुए इस बात का अनुरोध करें कि समस्त कार्य प्राथमिकता के तौर पर हिन्दी में ही किया जाये।

राष्ट्रभाषा परिषद् के समापन भाषण में सम्मेलन के सम्मानित सदस्य श्री लोढ़े जी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त होना चाहिए किन्तु इसके साथ-साथ अंग्रेजियत को भी समाप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए क्योंकि बिना अंग्रेजियत दूर करे अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करना काफी कठिन कार्य है।

3 जुलाई, 83 को सायंकालीन सत्र में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन डा० हरवंशलाल शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने हिन्दी विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों एवं हिन्दी सेवियों से अनुरोध किया गया कि वे विभिन्न विषयों हिन्दी के मानक ग्रन्थ प्रकाश में लायें क्योंकि बिना इसके हिन्दी का प्रयोग समुचित रूप से नहीं हो सकेगा।

इस प्रतिनिधि सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर सम्मेलन के संग्रह मंत्री श्री सत्यप्रकाश मिश्र द्वारा 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिन्हें सर्वसम्मति द्वारा पारित किया गया। अंत में वर्ष भर में दिवंगत हिन्दी साहित्यकारों एवं हिन्दी सेवियों को भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 41वां अधिवेशन सफलता पूर्वक समाप्त हुआ।

(2) महाराष्ट्र में एस०एस०सी० तक हिन्दी को अनिवार्य रखा जाए

महाराष्ट्र हिन्दी अकादमी बम्बई की संयोजन समिति के अध्यक्ष श्री हरिशंकर के नेतृत्व में 8 अप्रैल, 1983 को एक शिष्ट मंडल ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री वसंत दादा पाटिल से मिल कर अनुरोध किया कि हिन्दी को एस० एस० सी० तक वैकल्पित विषय बनाने का निर्णय सरकार रद्द करे और पूर्ववत् इसे अनिवार्य विषय के रूप में ही रखा जाए।

शिष्ट मंडल ने मुख्य मंत्री से यह भी मांग की कि गत वर्ष स्थापित महाराष्ट्र 'हिन्दी साहित्य अकादमी' को पुनर्गठित कर सक्रिय बनाया जाए तथा अकादमी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुदान भी मंजूर किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने शिष्ट मंडल की मांगों के प्रति अपनी सद्‌भावना प्रकट करते हुए विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए मई के बाद पुनः मिलने का आश्वासन दिया।

शिष्टमंडल में सर्वश्री डा० राम मनोहर त्रिपाठी, रा० भा० कुलकर्णी, डा० प्रभात, कांतिलाल जोशी, गिरिजा शंकर त्रिवेदी आदि शामिल थे। इस अवसर पर डा० प्रभात की पुस्तक 'हिन्दी के विकास में महाराष्ट्र का योगदान' मुख्य मंत्री को भेंट की गई।

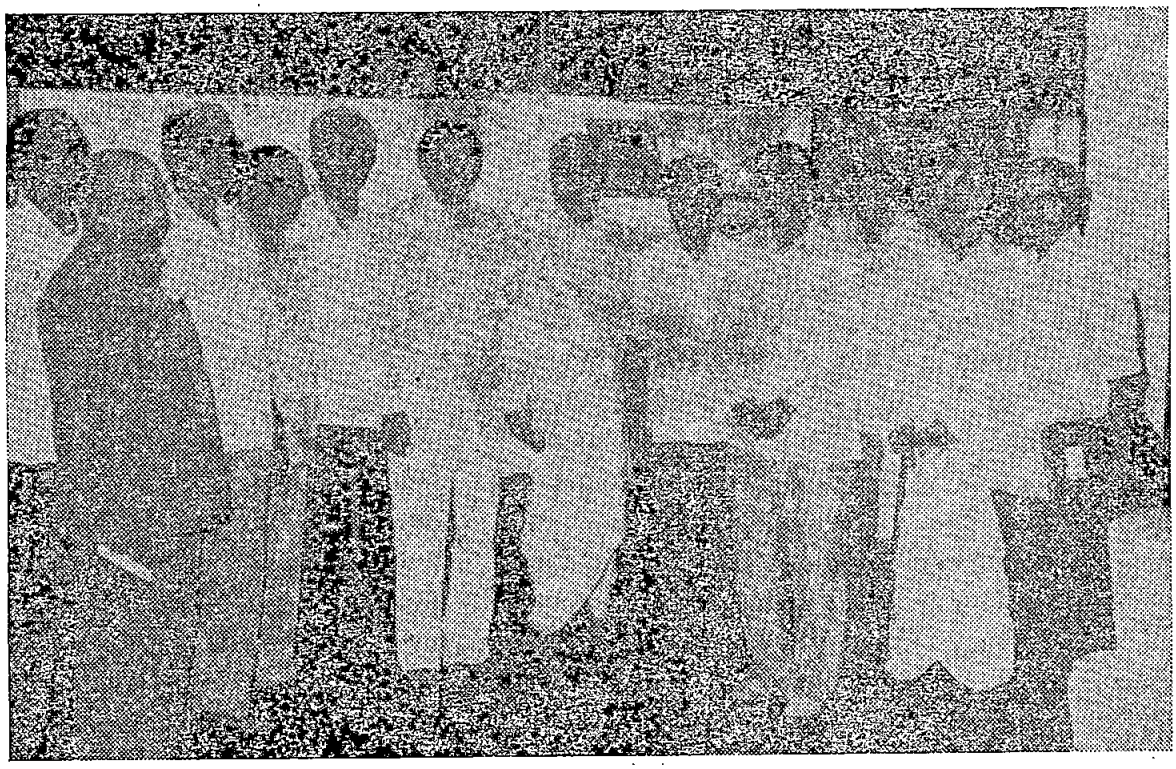

चित्र में बाएं से दाएं : श्री पवार, श्री देवकी नंदन, श्री गिरिजा शंकर त्रिवेदी श्री श्रीनिवास माहेश्वरी, श्री परशुराम पवार, डा० राम मनोहर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री श्री बसंत दादा पाटिल, श्री हरिशंकर, डा० प्रभात, श्री रा० भा० कुलकर्णी, श्री कांतिलाल जोशी तथा श्री बा० सी० मुले।

(3) मातृभाषा और स्वाधीनता बोध

मैं एक दिन रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था कि अचानक डा० तुलसी बाबू से भेंट हो गई। औपचारिकता बाद उन्होंने एक चिट्ठी निकाली। मैं उत्सुकतावश देख रहा था कि क्या कारण है कि डाक्टर जी एक विदेशी लिफाफा खोल रहे हैं। पत्र को उन्होंने बाहर निकाला और बोले—देखो, यह पत्र मेरे भतीजे ने, जो लंदन में चिकित्सा की विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लिखा है। मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि चाचा को भतीजा पत्र लिखे तो इसमें क्या आश्चर्य है ? उन्होंने कहा—यह बात नहीं है। बात यह है कि इसने पहली बार बंगला में पत्र लिखा है। मैंने पुनः कहा कि बंगाल का रहने वाला बंगाली अपने घर अपने चाचा को पत्र बंगाली में नहीं लिखेगा तो और किस भाषा में लिखेगा ? बंगाली तो देश या दुनिया के किसी छोर में चला जाये वह अपना बंगालीपन कभी नहीं छोड़ता है। आप लोग तो बंगाली 'कट्टरता' के लिए पहले से ही प्रसिद्ध हैं। मैं बोलता जा रहा था कि उन्होंने कहा 'रुको तो—बात इसके ठीक विपरीत है'—तभी तो वे मुझको पत्र दिखला रहे थे। उन्होंने बतलाया कि—उनका भतीजा अपनी कोठरी में उन्हें अंग्रेजी में पत्र लिख रहा था कि उसी समय उसका एक अंग्रेज सहपाठी आया। वह उसके बगल में बैठ गया। उसने पूछा क्या लिख रहे हो इनके भतीजे ने बताया कि वह अपने घर अपने डाक्टर चाचा को पत्र लिख रहा है। यह सुनकर वह चकित हो गया और सोचने लगा कि उसने तो पढ़ा था कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है जिसकी सभ्यता, संस्कृति का एक जमाने में दुनिया में बोलबाला था। वहां की सब प्रकार की कलाएं जगत्-विख्यात थीं। दुनिया को सभ्य बनाने का बड़ा प्रयास उस देश ने किया था। आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी बौद्ध धर्मावलम्बी है जो भारत के धर्म विस्तार-प्रसार करने का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज भी भारत की संस्कृत भाषा एवं उसके पुरातन साहित्य का जोड़ नहीं है। क्या विश्व गीता को भुला सकता है ? वेद तो सर्व-प्राचीन ग्रन्थ हैं। रामायण-महाभारत के देश में क्या अब कोई ऐसी भाषा नहीं बची जिसमें वहां के लोग अपनी भाषा में अपने घर को पत्र लिख सकें। उसने मन-ही-मन स्व० मैकाले को दाद दिया कि इस विशाल भारत के लोगों को अंग्रेजी भाषा

सिखाकर सद्ज्ञान दिया--अन्यथा उस देश के लोग विदेश से कैसे अपने स्नेही, आदरणीय सम्बन्धियों को पत्र लिखते ?

उसकी उत्सुकता जब शान्त नहीं हुई तो उसने अपने बंगाली मित्र से विस्मयपूर्वक पूछा कि मित्र, तुम्हारे विशाल देश में कोई ऐसी भाषा भी नहीं बची या अभी तक एक भी विकसित भाषा स्वदेशी के नाम पर नहीं हुई जिसमें वहां के लोग शिक्षा, प्रशासन तो नहीं, कम से कम अपने घर के सगे-सम्बन्धियों को तो पत्र अपनी भाषा में लिख सकें ?

बंगाली चिकित्सा विशिष्ट का शोध छात्र स्वयं अवाक् रह गया कि उसका मित्र इतनी भी जानकारी नहीं रखता कि भारत में तो संस्कृत, बंगला, हिन्दी समेत एक दर्जन उन्नत, उत्कृष्ट भाषाएं हैं। भारतीय भाषाओं का एक-एक साहित्य ऐसा है जिसे पढ़ कर पश्चिम जगत को दांतों तले अंगली दबानी पड़ती है। विदेशी ने अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा तो कहा ऐसी पुस्तक तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। जब अंग्रेजी में रवि बाबू ने गीतांजलि लिखी तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आज भी 'बाल्मीकि रामायण' और 'तुलसी रामायण' पढ़ने वाला धन्य-धन्य हो जाता है। महाभारत तो महाकाव्य है ही। रवि, शरद्, बंकिम के साहित्य का क्या जोड़ है। फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम अपने विशाल साहित्य और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। गुजराती और मराठी भाषा भला किससे किस अर्थ में कम है ? इसने समझा कि उसका अंग्रेज मित्र मात्र चिकित्सक है बाकी मामले में बड़ा भोला भाला है। अतः उसने बड़ी शान से बताया कि उसके देश में दर्जनों उन्नत, सम्पन्न भाषाएं हैं जो दुनिया के किसी भाषा से होड़ ले सकती हैं।

यह सुनकर स्वाभिमानी अंग्रेज अपने चिकित्सक मित्र पर एकाएक इस प्रकार नफरत से फुफकार उठा कि अब उसकी समझ में असली बात आ गई कि उसका यह बंगाली मित्र अभी भी मानसिक गुलामी से जकड़ा है। देश भले ही आजाद हुआ पर वहां के लोग अंग्रेजी और अंग्रेजों की प्रभुता से अभी तक आजाद नहीं हो सके हैं। उसने पश्चाताप के साथ कहा कि उसे दुःख है कि उस गुलाम को वह अभी तक अपना एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी मित्र समझता रहा फिर वह उसका साथ छोड़ कर नफरत भरी निगाह डालता हुआ चला गया।

यह प्रहार उसके स्वाभिमान पर था, यह घातक चोट उसके प्रिय वंग भाषा पर थी, यह नफरत उसकी स्वतन्त्रता पर थी, वह एकबारगी स्वयं ही अपने चरित्र से घृणा कर बैठा। उसे स्मरण हो आया कि जिस स्वामी विवेकानन्द ने अपनी धर्म की गरिमा से पाश्चात्य जगत को पराभूत किया था और भारत की श्रेष्ठता प्रस्थापित की थी--उनके पास भी उनके साथ बराबर आकर बैठने वाले एक किशोर ने आना छोड़ दिया था। मिलने पर स्वामी जी ने जब नहीं आने का कारण पूछा तो उस लड़के ने बताया कि स्वामी जी के पास एक पुस्तक थी जिसमें सभी राष्ट्रों का अपना ध्वज था, पर उसमें भारत का अपना कोई स्वतन्त्र ध्वज नहीं था। इस पर उस किशोर ने इस बात की चर्चा अपने पिता से की तो उसके पिता ने बताया कि भारत गुलाम है। स्वामी जी विद्वान् हो सकते हैं पर उनके साथ बैठना, संगति करना ठीक नहीं है क्योंकि गुलाम के साथ स्वतन्त्र नागरिक का एक-साथ बैठना उचित नहीं है और स्वामी जी के पास उसका आना-जाना बन्द हो गया।

इस सटीक ठोकर ने उसकी जीवनधारा को बदल दिया। उसने सोचा यही वह चोट है जिसके कारण वीर सावरकर, सुभाष चन्द्र बोस जीवन को हथेली पर लेकर लड़े थे। तब उसने अपने चाचा को इन बातों के उल्लेख के साथ पत्र अपनी मातृ भाषा में लिखा।

डा० तुलसी बाबू (जो अब स्वर्गवासी हो गये हैं) ने कहा--"इस पत्र में एक बात और है।" मैंने अपनी उत्सुकता को अब रोकने में असमर्थ पाकर पूछा कि दूसरी कौन सी अनमोल बात है ?

उन्होंने बताया कि उनके चिकित्सक भतीजे का दोस्त अपने मित्र के पास तथा विद्यालय-अस्पताल अपनी कार से आता जाता था कि तब भारत में प्रथम बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। जैसे ही अवमूल्यन हुआ उसके अंग्रेज मित्र ने कार चढ़ना ही छोड़ दिया। बस और रेलगाड़ी से आने जाने लगा। इस बंगाली चिकित्सक को जब यह बात समझ में नहीं आई तो पूछा कि वे इन दिनों अपनी कार--गाड़ी से क्यों नहीं आते हैं। उसने बताया कि इसको पता नहीं कि भारत में रुपए का अवमूल्यन हुआ है तथा इंग्लैण्ड वाले को कुछ अधिक कमाने का सुनहला अवसर मिला है। पर भारत के रुपए अवमूल्यन करने से एकाएक तो इंग्लैण्ड उत्पादन नहीं बढ़ा सकेगा--तब उसने सोचा कि अगर उसके जैसे लाखों-करोड़ों लोग अपनी-अपनी कार पर नहीं चढ़ेंगे तो जो कार के पुर्जे घिसते हैं वे बच जायेंगे तथा इंग्लैण्ड को अधिक माल भारत में बेचने का अवसर मिलेगा। यह उसका राष्ट्रीय चरित्र था। जिसने इंग्लैण्ड को एक दिन ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में मदद की कि जिसके राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था।

किसी राष्ट्र की श्रेष्ठता उसके जागृत और चरित्रवान नागरिक हैं जो व्यक्ति को समाज पर और समाज को राष्ट्र पर समर्पित करता है वहां वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करता है। यही कारण है कि इंग्लैण्ड जैसे एक छोटे देश का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। आज भी साम्राज्य को खोकर भी प्रतिष्ठा पर मर मिटने की तमन्ना रखता है। आज भी और इस युग में जब राष्ट्र के सम्मान पर आंच आई तो उसने लाभ-नुकसान की बात की चिन्ता नहीं की और प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित किया। इंग्लैण्ड बनिया राष्ट्र है इस पर भी कम चिल्लपों नहीं मची फिर भी राष्ट्र के सम्मान के आगे सबको इस प्रश्न को समझना पड़ा।

श्री जगदम्बी प्रशाद यादव संसद सदस्य

(4) हिन्दी सलाहकार समिति के एक सदस्य की निरीक्षण-यात्रा

इस्पात तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा आयोजित निरीक्षण कार्यक्रम (14 जनवरी से 24 जनवरी, 83) में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मैं सम्मिलित हुआ। 15 जनवरी

को दिल्ली के "स्टील आथारिटी आफ इण्डिया" के मुख्यालय के निरीक्षण के बाद 18, 19 तथा 20 तारीख को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी/नाल्को/नीलांचल इस्पात निगम तथा 'भारत भू-सर्वेक्षण संस्थान' के कार्यालयों का भुवनेश्वर (उड़ीसा) में निरीक्षण किया और वापसी में 24 जनवरी को दिल्ली में "भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के मुख्यालय का भी निरीक्षण कार्यक्रम रहा, जहां श्रीमती कमलारत्नम् भी मेरे साथ रहीं ।

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत सरकार के उपरोक्त उपक्रमों में सेवारत, अहिन्दी भाषी क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारी भी, राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, उपयोग और व्यापक कार्यान्वयन की दिशा में निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहे हैं तथा राजभाषा-अधिनियम का अनुपालन हो रहा है।

केवल प्रधान कार्यालयों में ही नहीं वरन इन प्रतिष्ठानों के परियोजना क्षेत्र/कार्य-स्थल/राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो तथा बर्नपुर (मध्य प्रदेश) में भी नियमानुसार कार्य व प्रयास हो रहे हैं । इन इकाइयों द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओं में भी जहां अंग्रेजी माध्यम है, वहां भी आठवें दर्जे तक हिन्दी अनिवार्य-विषय है । शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । द्विभाषा नीति प्रचलित है । अनुवादक तथा हिन्दी टंकन की भी व्यवस्था है, हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं । अधिकारियों तथा कार्मिकों को (जो अहिन्दी भाषी हैं) हिन्दी सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है, हिन्दी शिक्षण की उचित व्यवस्था भी है और योग्यतानुसार उन्हें पुरस्कृत करते रहने की भी योजना है । समय-समय पर प्रतियोगिताओं तथा चलचित्र प्रदर्शनों द्वारा कमचारियों को हिन्दी भाषा के उपयोग व क्रियान्वयन के लिए आकृष्ट भी किया जा रहा है, और अधिकारियों को हिन्दी भाषा की शिक्षा के लिए भरे हुए 'कैसेट' भी दिए जाते हैं ।

मेरे लिए यह सब एक आश्चर्यजनक और आह्लादकारी अनुभव था । सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रति जनसाधारण में फैली हुई 'अंग्रेजियत' की आम धारणाओं का कुछ तो निराकरण इस जानकारी से होना ही चाहिए । पूरे देश की अखण्डता तथा क्षेत्रीय मानसिकता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा का उपयोग तो सर्वत्र हो ही रहा है, और अभी होना भी है, इसी कारण द्विभाषा-नीति भी चल रही है । फिर भी, इस निरीक्षण यात्रा के बाद, मेरी यह निश्चित धारणा बनी है कि इस्पात, खान व उद्योग मंत्रालयों के अन्तर्गत, सचिवालय तथा उपक्रमों में, हिन्दी भाषा के क्रियान्वयन और प्रसारण की दिशा में व्यापक रूप से अत्यन्त सराहनीय कार्य एवं प्रयत्न हो रहे हैं ।

दूसरी धारणा एक यह भी है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में राजनीतिक गतिरोध के होते हुए भी, वहां की आम जनता और जागरूक नागरिक हिन्दी विरोधी नहीं हैं, वे हिन्दी भाषा जानते-समझते हैं और सीख भी रहे हैं । देश की सांस्कृतिक अखण्डता में उनकी जन्मजात सच्ची आस्था है ।

भुवनेश्वर में निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान, मेरे सुझाव पर 19 जनवरी, 83 को सायंकाल "नाल्को" (नेशनल, एल्युमीनियम कं०) के अतिथि गृह में एक "गीत संगीत संध्या" का भी आयोजन हुआ था । कई सरकारी प्रतिष्ठानों-उपक्रमों के अधिकारियों के परिवारों तथा कुछ नागरिकों ने उसमें भाग लिया था । शास्त्रीय और सरल गायन भी हुआ तथा श्री रामचन्द्र भारद्वाज (संसद सदस्य) तथा मैंने अपनी कविताएं सुनाई । स्थानीय लोगों ने भी गीत सुनाए । इस आयोजन में उड़िया भाषी ही नहीं अन्य अहिन्दी भाषा-भाषी भी थे उन्होंने न केवल हिन्दी गीतों का आनन्द लिया, वरन उन्हें समझा भी तथा स्वयम् भी हिन्दी भाषा में रचनाएं सुनाई और खुलकर, सहजभाव से हिन्दी में बातचीत भी की । उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि भाषा समस्या को यदि राजनीतिक छत्रछाया से पृथक करके आंका जाए तो वास्तव में ऐसी कोई समस्या ही नहीं रहेगी, व्यापक रूप से लोग हिन्दी बोलते-समझते हैं ।

अहिन्दी क्षेत्रों की आलोचना करना कितना निरर्थक और हास्यास्पद है, इसका अनुमान तो वे ही महानुभाव लगा सकते हैं, जिन्होंने हिन्दी-भाषी प्रदेशों में, सचिवालय, सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संस्थान तथा कार्यालयों और न्यायालयों में, व्यापक व खुले रूप से अंग्रेजी भाषा का उपयोग तथा वर्चस्व देखा है ।

सभी कुछ शासन को ही तो नहीं करना है । सभी देशवासियों को राष्ट्रीय भावना में योगदान करना है । सरकारी प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में, देश की जनसंख्या के कुछ मामूली प्रतिशत लोग ही काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र तो बड़ा सीमित है । उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित कितना विशाल निजी-क्षेत्र, इन राष्ट्रीय भावनाओं से अछूता पड़ा है । उनमें मौलिक रूप से सभी काम-काज "अंग्रेजी" में ही हो रहा है, "अंग्रेजियत" उनकी एक मात्र जीवन शैली बन चुकी है । चाहे वे देश के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हों, हिन्दी तथा भारतीयता से उनका कोई भी नाता नहीं । इस ओर भी ध्यान देना होगा ।

बड़ा दुःख होता है यह जानकर कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि के विश्वविद्यालयों में प्रमुखतया सभी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है । महर्षि दयानन्द के नाम से स्थापित एक विश्वविद्यालय की नियमावली (पाठ्यक्रम पुस्तिका) तथा परीक्षा-प्रार्थना पत्रों के "प्रारूप" केवल अंग्रेजी में ही छपे हैं, हिन्दी में नहीं मिलते । कानवेंट, मदरसा तथा माध्यमिक विद्यालयों की भी यही दुर्दशा है । जनता-विद्यालय (पब्लिक स्कूल) के नामों से, शिक्षा जगत के सिरमौर बने हुए, यह विदेशी गुप्तचर, हमारे देश में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे हैं, वह हमारी राष्ट्रीयता के लिए कितना घातक होगा, इसे आज कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता । आयातित आधुनिकता का मादक द्रव हमारे राष्ट्र के शरीर में बहुत गहरा पैठ चुका है ।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के प्रस्ताव तथा राजभाषा अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के उपक्रमों तथा सचिवालयों में काम हो रहा है, सभी प्रकार के बाहरी उपचार तथा प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन हिन्दी का प्रश्न केवल एक भाषाई प्रश्न नहीं है, और न विवादों का विषय ही है । वह तो हमारी राष्ट्रीयता से जुड़ा है और हमारे राष्ट्रीय चरित्र और प्रतिष्ठा का प्रतीक है । उसे देश के जनजीवन और जीविका से जोड़ना होगा, राष्ट्रीय-मानसिकता

का निर्माण तथा विकास हुए बिना राष्ट्रभाषा की समस्या कभी हल न होगी। गृहस्वामिनी मां, सदैव दासी ही बनी रहेगी और घर की आया और नौकरानी इसी तरह राज करती रहेगी। हिन्दी में पत्र-व्यवहार भी होते रहेंगे, बहुतेरे प्रकाशन भी होंगे तथा द्विभाषी प्रारूप भी छपते रहेंगे, परन्तु अपनी भारतीय राष्ट्रभाषा के बिना हमारी राष्ट्रीयता अपूर्ण ही रहेगी। क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज के ही समान, राष्ट्रभाषा भी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है।

मेरे विनम्र मत में, मानव सदैव मनोभावों ही में जीता है, केवल बौद्धिक आयामों में नहीं, बाहरी उपचार और विचार के साथ ही साथ, राष्ट्रीय मानसिकता भी नितांत अनिवार्य है। उसी के आधार पर भाषा-प्रान्तीयता और असंख्य-समुदायों की अपनी अलग-अलग पहचान को बनाए रखने की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा, अन्यथा नहीं। हमारे सभी प्रयास और व्यवहार इसी दिशा में होने चाहिए।

—कृष्ण माधव चौधरी
सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति (इस्पात, खान मंत्रालय),

(5) एक जापानी हिन्दी विद्वान महेन्द्र साईजी माकिनो के विचार

जापान के क्योतो जिले के फुकुचियामा गांव में सन् 1924 में जन्मे श्री महेन्द्र साइजी माकिनो सन् 1958 में महात्मा गांधी के वर्धा के सेवाश्रम की नई तालीम शिक्षा संस्थान के आमंत्रण पर कृषि विद्या की शिक्षा देने के लिए भारत आए। भारत में आकर उन्होंने भारत की भाषा हिन्दी सीखी। नई तालीम के बन्द हो जाने पर संस्था के निदेशक श्री आर्यनायकम और शांतिनिकेतन के जापानी अध्यापक के कहने पर वे यहां आए। शांतिनिकेतन के हिन्दीभवन से हिन्दी भाषा और साहित्य की डिप्लोमा परीक्षा पास की। हिन्दीभवन के अध्यक्ष के आग्रह पर कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव के प्राथमिक विद्यालय में कृषि विद्या की शिक्षा देने के लिए चले गए। वहां कुछ दिनों तक रहने के बाद ग्वालियर, बड़ौदा और गोवा में भारत और जापान के सहयोग से स्थापित उद्योग में दुभाषिये का काम किया। सन् 1974 में पुनः शांतिनिकेतन आ गए। आजकल शांतिनिकेतन के जापानी अध्ययन विभाग के अध्यापक हैं। मजे की बात यह है कि वे घर में हिन्दी में तो बातचीत करते ही हैं, साथ ही साथ वे हिन्दी के माध्यम से जापानी पढ़ाते-लिखाते भी हैं और हमेशा वे कुछ न कुछ जापान का परिचय पाठकों को हिन्दी के माध्यम से देते रहते हैं। उनकी एकमात्र लड़की सेत्सु की मातृभाषा तो हिन्दी ही हो गई है। बाइस वर्ष तक भारत में रहने के बाद, हिन्दी और भारत के सम्बन्ध में उनसे एक अंतरंग बातचीत का विवरण प्रस्तुत है :—

आप भारत कैसे आए ?

गांधी जी ने जापानी तरीके से कृषि विद्या की शिक्षा देने के लिए वर्धा के सेवाश्रम की नई तालीम शिक्षा संस्था में व्यवस्था की थी। समय-समय पर जापान से कृषि विद्या की शिक्षा देने के लिए जापान से कृषि विज्ञानी आते ही रहते थे। मुझे भी नई तालीम शिक्षा संस्था ने जापानी तरीके से कृषि विद्या की शिक्षा देने के लिए बुलाया और मैं भारत आया।

फिर वर्धा से शांतिनिकेतन कैसे आ गये ?

सन् 1960 में नई तालीम शिक्षा संस्था बन्द हो गई। नई तालीम के बन्द हो जाने पर, मेरी इच्छा जापान वापस न जाकर भारत में ही रहने की हुई। वर्धा में गांधी जी के सेवाश्रम में रहता था। उसी तरह के दूसरे आश्रम की तलाश थी। रवीन्द्र और गांधी जी में निकट का सम्बन्ध रहा ही है। इसके बावजूद नई तालीम के निदेशक श्री आर्यनायकमजी —(जो कभी रवीन्द्रनाथ के निजी सचिव भी रह चुके थे) और एक जापानी अध्यापक के कहने पर मैं शांतिनिकेतन आ गया। अगर जापानी प्रोफेसर शांतिनिकेतन में आने के लिए नहीं कहते तो मैं यहां नहीं आता।

आप एवं आपके परिवार के सभी लोग अच्छी हिन्दी बोलते हैं। आपने इतनी अच्छी हिन्दी कहां सीखी ?

सेवाग्राम में आने पर देखा कि सभी लोग आपस में गांधी जी की हिन्दुस्तानी में ही बातचीत करते हैं। मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं थी। मैंने महसूस किया कि यहां रहने पर हिन्दी का ज्ञान हासिल करना जरूरी है। धीरे-धीरे खुद से हिन्दी बोलने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार बोलते-बोलते मैंने वर्धा में ही हिन्दी सीखी। पर टूटी-फूटी हिन्दी से काम चलने वाला नहीं था। इसलिए अच्छी हिन्दी सीखने के लिए कहीं अध्ययन करने के लिए सोचा। नई तालीम के बन्द हो जाने पर मैं शांतिनिकेतन आ गया। शांतिनिकेतन के विशाल हिन्दी भवन और पुस्तकालय को देखकर हिन्दी पढ़ने की इच्छा हुई। हिन्दी भवन में दो साल तक पढ़ने के बाद मैंने, हिन्दी भाषा और साहित्य में डिप्लोमा की परीक्षा पास की। हिन्दी सीखने पर ही मुझे ग्वालियर, बड़ौदा और गोवा में दुभाषिये का काम मिला। शांतिनिकेतन में भी हिन्दी के माध्यम से ही जापानी भाषा और संस्कृति पढ़ाता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह हिन्दी के बदौलत ही हूं और हिन्दी की ही कृपा है। जब तक जिन्दा रहूंगा तब तक हिन्दी साहित्य की ही सेवा करता रहूंगा। अगर मैंने हिन्दी नहीं सीखी होती तो न जाने आज मैं क्या होता और क्या करता ?

अगर आपको हिन्दी ही सीखनी थी तो आप कहीं हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में हिन्दी सीखने के लिए क्यों नहीं गये ?

भाषा तो लोग कहीं भी रहकर सीख सकते हैं। बोलचाल ही किसी भी भाषा को समझने के लिए सब कुछ नहीं है। अच्छी तरह से सीखने के लिए गहन अध्ययन और परिश्रम की जरूरत है। इसके लिए शांत वातावरण की भी जरूरत है। शांतिनिकेतन के शांत वातावरण को इसके अनुकूल पाया और मुझे आकर्षित भी किया। इसीलिए अच्छी तरह से हिन्दी सीखने के लिए शांतिनिकेतन के हिन्दीभवन में भर्ती हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ख्याति, हिन्दी साहित्य में, शांतिनिकेतन से ही तो मिली है।

आप अधिकतर क्या पढ़ते हैं ?

मुझे उपन्यास, कहानी और कविता में दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल दार्शनिक और सांस्कृतिक विषयों से सम्बन्धित लेख निबन्ध ही पढ़ता हूं। सच कहिए तो हिन्दी पढ़ने की सबसे पहले प्रेरणा गांधी साहित्य से ही मिली। गांधी साहित्य ने ही मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। डिप्लोमा पढ़ते-पढ़ते सबसे पहले मेरी इच्छा जापान के जेन (Zen)—बौद्धधर्म के सिद्धांत को हिंदी में अभिव्यक्त करने की हुई और मैंने अभिव्यक्त किया भी।

हिन्दी में आप क्या पढ़ते हैं ?

मैंने पहले ही कहा है उपन्यास, कहानी आदि पढ़ने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। हिन्दी में भी केवल लेख और निबन्ध ही पढ़ता हूं। खासकर उस निबन्ध और लेख को दिलस्चस्पी से अधिक पढ़ता हूं, जिसका सम्बन्ध जीवन और संस्कृति से रहता है।

आज तक आपने हिन्दी के किन-किन लेखकों को पढ़ा है ?

मैंने बनारसीदास चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि के निबन्ध और लेख पढ़े हैं।

आप तो शांतिनिकेतन में रहते हैं। आजकल तो शांतिनिकेतन को बंगाल की संस्कृति का गढ़ कहा जाता है। क्या आप बंगला साहित्य और संस्कृति से परिचय रखते हैं ?

बंगला सीखने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि अच्छी तरह से बंगला सीख जाने पर गांधी और गुरुदेव के सम्बन्ध में बंगला में छपे निबन्ध को जापानी में अनुवाद करूंगा। वैसे बंगला भाषा में जापान के सम्बन्ध में जो लेख और निबन्ध आदि छपे हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करता हूं। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि बंगला भाषा में जापान को किस ढंग से चित्रित किया गया है? वैसे 12 खण्डों में रवीन्द्र की रचनाओं का जापानी में अनुवाद के प्रकाशन का कार्यक्रम चल रहा है। आधे से अधिक अनुवाद कार्य हो भी चुके हैं। मुझे भी रवीन्द्र की चार कहानियों को जापानी में अनुवाद करने का भार सौंपा गया था। उसे मैंने अनुवाद कर दिया है। शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है।

आज तक आपने हिन्दी में कितने लेख लिखे हैं ? उन सबकी विषयवस्तु क्या है ?

आजतक मैंने पचास के करीब हिन्दी में लेख लिखे हैं, जो धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, आजकल आदि पत्रिकाओं में छप चुके हैं। मेरे लेखों के विषय जापानी धर्म, दर्शन, जीवन आदि ही है।

क्या अपने जापानी में भी लेख लिखे हैं ? उन सब की विषय वस्तु क्या है ?

मैंने 25 के करीब लेख आजतक जापानी में लिखे हैं। ये सभी लेख जापानी पत्रिकाओं में छप भी चुके हैं। इन लेखों के विषय भारतीय जनजीवन, संस्कृति, रीतिरिवाज गांधी और गुरुदेव की विचारधाराएं आदि ही हैं।

आप अपने नाम के पहले "महेन्द्र" लिखते हैं। "मन्हेद्र जी" भारतीय नाम लगता है।

"महेन्द्र" नाम आर्यनायकमजी का दिया हुआ है। वे श्रीलंका के रहने वाले थे। अशोक के पुत्र महेन्द्र बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से श्रीलंका गये थे। आजकल भारत में बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। दूसरी बात सेवाश्रम में जो सुबह-शाम प्रार्थना होती थी उसमें सबसे पहले बौद्ध मंत्र का ही जप होता था। इसकी शुरुआत हम जापानियों ने ही की थी। इसलिए आर्यनायकमजी ने मुझे जापान से बौद्ध धर्म का संदेशवाहक दूत समझा। सेवाग्राम में, मुझे सभी महेन्द्र भाई के नाम से ही जानते थे। मेरे भारतीय जीवन में आर्यनायकमजी का प्रभाव बहुत पड़ा है। जब तक वे जीवित रहे तब तक वे हमारे संरक्षक होकर रहे। वे समुद्र की तरह उदार हृदय के थे।

आप तो सन् 1958 से ही भारत में रह रहे हैं। तब तो आपको भारत की नागरिकता मिल गयी होगी ?

मैंने अभी तक भारत की नागरिकता नहीं ली है। भविष्य में क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे हर साल भारत में रहने के लिए आवेदन करना पड़ता है और बाइस साल से मेरा यही क्रम रहा है।

बाईस साल में आप कितनी बार जापान गये हैं ?

केवल एक बार, 1978 ई० में बीस साल के बाद मैं जापान गया था। डेढ़ महीने तक रहा।

आपकी लड़की को आप लोगों से भी हिन्दी में ही बोलते देखता हूं। या वह जापानी नहीं जानती ?

मेरी लड़की सेत्सु का जन्म बड़ौदा में हुआ है। मेरी पत्नी ने भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से हिन्दी की परीक्षा पास की है। हम दोनों तो हिन्दी में बोलना जानते हैं। जब हम लोग भारत का अन्न खाते हैं तो भारत की भाषा क्यों नहीं बोलेंगे। बचपन से ही हम दोनों ने उससे हिन्दी में ही बोलने की कोशिश की, जिससे उसे जापानी में बोलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो वह बिल्कुल ही जापानी नहीं जानती थी। जब 1978 में परिवार सहित जापान गया तब उसे मैंने आठ महीने तक जापान में ही छोड़ दिया था और उसे अपने गांव की पाठशाला में जापानी सीखने के लिए भर्ती कर दिया था। आजकल वह जापानी समझ और पढ़ लेती है और जापानियों के साथ जापानी में बातचीत भी कर लेती है। परन्तु उससे हम लोग हिन्दी में ही बातचीत करते हैं। इसलिए वह हम लोगों से हिंदी में ही बोलती है। हम लोगों का खान-पान और रहन-सहन भी तो भारतीय हो गया है।

आप तो जापान गये थे। वहां आपने हिन्दी की स्थिति कैसी देखी ?

आजकल जापान की युवापीढ़ी भारत की ओर आकृष्ट हो रही है भारत को समझने के लिए हिन्दी सीखना जरूरी है। इसलिए वे लोग हिंदी सीखन में दिलचस्पी ले रहे हैं।

क्या वहां हिंदी में पठन-पाठन की व्यवस्था है ?

सरकारी तौर पर ऐसे दो विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी की पढ़ाई एम० ए० तक होती है ? आठ ऐसे निजी विश्वविद्यालय

भी हैं, जहां हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। टोक्यो में तो कुछ दिनों से 'प्राइवेट' हिन्दी सीखने की भी व्यवस्था है। जापान से हिन्दी में एक "ज्वालामुखी" नाम से वार्षिक पत्रिका भी निकलती है, जिसमें जापानी हिंदी लेखकों के लेख छपते हैं। जापानी से हिंदी और हिंदी से जापानी में अनुवाद कार्य भी बहुत हो रहा है।

जापान ने प्राचीन भारत को "तेंजुकि" क्यों कहा है ?

"तेंजुकि" का मतलब स्वर्ग होता है। भारत पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। भारत ने ही राम, कृष्ण, बुद्ध और महात्मा गांधी को जन्म दिया है। पूरे विश्व के लोग मुक्ति-मार्ग ढूंढने के लिए भारत ही आते हैं। पहले जब आवागमन की सुविधा नहीं थी तब भारत जापानियों के लिए सपनों का देश था। उस समय भारत आने के लिए सभी लालायित रहते थे। जो जापानी किसी तरह भारत आते थे और यहां कुछ दिनों तक रहने के बाद जापान लौटते थे सभी उनकी पूजा करते थे क्योंकि वे ईश्वर के देश से लौट कर आये हैं।

महाभिक्षु निचिरेन ने भारत को चन्द्रमा और जापान को सूर्योदय का देश कहा है।

जिस प्रकार चन्द्रमा के अस्त होने पर ही सूर्योदय होता है, उसी प्रकार जब भारत में बौद्ध धर्म का लोप हो गया तब जापान में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसीलिए भारत को चन्द्रमा और जापान को सूर्योदय का देश कहा है। भिक्षु नचिरेन ने तो यह भी कहा है—जिस प्रकार चन्द्र के प्रकाश के बिना अन्धकार नहीं मिटता है, उसी प्रकार भारत के बिना मोह-माया से भरे हुए संसार का उद्धार नहीं होगा। चूंकि सूर्य के बिना जीव-जन्तु जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जापान पूरे विश्व को काम करने का बल प्रदान करेगा। भारत और जापान का सम्बन्ध सदियों से निकट का रहा है और भविष्य में भी रहेगा। भारत और जापान एशिया के दोनों किनारे पर स्थित ऐसे दो मित्र देश हैं जो सूर्य और चन्द्र के समान संसार की सृष्टि के लिए कभी भी अलग नहीं किये जा सकते हैं। भारत अपने गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान से संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जायेगा। अगर किसी काम में प्रगति करना है तो जापानियों के श्रममय जीवन से सीखें। और भौतिक संसार के संघर्षमय जीवन से थक जाने पर भारत की शीतल छाया में बैठकर अपने को मुक्त करे। परन्तु आज का जापान अमेरिका के सम्पर्क में जाकर, एक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस संकट से बचने के लिए भारत का आध्यात्मिक चिंतन ही चन्द्रमा की भांति शीतल छाया से जापान को बचा सकता है। इसीलिए जापान की युवापीढ़ी मुक्ति मार्ग की खोज के लिए, भारत में आती रहती है। फुजी गुरूजी ने जगह-जगह पर शांति स्तूप की स्थापना करके महाभिक्षु निचिरेन के सपने को साकार किया है।

आप तो कृषि विज्ञानी थे। साहित्य की ओर दिलचस्पी कैसे हुई ?

साहित्य और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। खेती ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक है। धरती पर संघर्ष करने की तपस्या और घोर परिश्रम का जीवन। कृषि कार्य वास्तव में शास्त्रीय कार्य है। यही नहीं, बल्कि यह बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति के लिए आधार है। इसलिए तो अंग्रेजी में संस्कृति को "कलचर" और खेती को "एग्रीकल्चर" कहते हैं।

आजकल क्या कुछ लिख रहे हैं ?

आजकल 'सेवाग्राम से शांतिनिकेतन तक : भारतप्रवास', भारत की पुनर्खोज" शीर्षक से संस्मरण लिख रहा हूं।

हिन्दी के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?

हिन्दी का भविष्य तो उज्ज्वल है। परन्तु हिन्दी की टांग तो हिंदी भाषी ही तोड़ रहे हैं। हिंदी भाषी उच्च शिक्षित वर्ग, हिंदी के बदले अंग्रेजी में बोलने में अपनी शान समझते हैं। हिंदी के प्रचार में हिंदी फ़िल्म और हिंदी भाषी प्रदेश के मजदूर वर्ग विशेष भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी भाषी प्रदेश के मजदूर वर्ग अपनी रोजी-रोटी के लिए, भारत के विभिन्न प्रांतों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उसके साथ-साथ अपनी अपनी टूटी-फूटी हिंदी भी ले जाते हैं। आज फिजी, सूरीनाम या मारिशस में जो हिंदी बोली जाती है, उसमें भारत के मज़दूर वर्ग ने ही भूमिका निभाई है न कि हिंदी भाषी उच्च शिक्षित वर्ग ने।

प्रस्तोता—रामचन्द्रराय

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

(1) जोधपुर

दिनांक 23–4–83 को 15–00 बजे मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर रेलवे, जोधपुर के सभा कक्ष में आयोजित जोधपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई।

सर्वप्रथम बठक का प्रारम्भ करते हुए उक्त समिति के अध्यक्ष, मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, जोधपुर, ठाकुर शशिभूषण वर्मा ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री के० के० श्रीवास्तव का स्वागत करते हुए अतीव प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्री श्रीवास्तव हिन्दी के प्रचार प्रसार के लक्ष्यों को और आगे बढाने में महत्वपूर्ण दिशा–निदेश देकर कठिनाइयों का निराकरण करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसा कि आप सब जानते हैं, राजभाषा नियमों के अनुसार राजस्थान 'क' क्षेत्र अर्थात् हिन्दी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहां सभी व्यक्ति हिन्दी जानने वाले हैं, किन्तु फिर भी इस पर विचार करना है कि यहां हिन्दी के प्रचार—प्रसार कार्य को कैसे आगे बढाया जाये।

उत्तर रेलवे के जोधपुर मण्डल पर सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग व प्रगति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का सम्बन्ध है, इसमें हमारी प्रगति 98 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और हमारा प्रयास है कि शेष 2 प्रतिशत को भी शीघ्र पूरा करके हम इसमें शत-प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने बताया कि जो पत्र हिन्दी में आते हैं, उनका उत्तर शत-प्रतिशत हिन्दी में ही दिया जाता है। यही नहीं, मूल पत्राचार के मामले में भी हम 92 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं और इसे भी निकट भविष्य में शत-प्रतिशत पर ले जायेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यालय में अधिकारियों ने काफी मात्रा में फाइलों का निपटान हिन्दी में ही करना शुरु कर दिया है और शीघ्र ही इसमें काफी सफलता प्राप्त हो जायेगी। रबड़ की मोहरों, साइन बोर्ड आदि के मामले में उन्होंने कहा कि हम हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करके इसमें पहले ही काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं।

हिन्दी प्रशिक्षण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मंडल के कुल 5030 कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी और इससे ऊपर) में से लगभग 92 प्रतिशत हिन्दी में प्रशिक्षित हैं।

अतः अब केवल 8 प्रतिशत कर्मचारियों को ही इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मंडल में इस समय 229 हिन्दी टाइपराइटर हैं तथा 32 टाइपिस्टों ने अपने ही प्रयास से हिन्दी टाइप परीक्षा पास करली है और हिन्दी टंकण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी एक यह कमी है कि हमारे यहां हिन्दी आशुलिपियों की संख्या बहुत कम है और इस कमी को दूर करने का प्रयास जारी है तथा हम इसमें भी प्रोत्साहन आदि देकर सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह समय शीघ्र आने वाला है, जब इस मंडल में राजभाषा हिन्दी को उसके वास्तविक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जायेगा।

अपना शत–प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए 13 प्रमुख स्टेशनों को नामित किया गया है, जिसके नाम हैं:– जोधपूर, मेडतारोड, समदडी, डेगाना, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, गोटन, पालीमारवाड़, लाडनुं सुजानगढ, मकराना और बालोतरा। इन स्टेशनों पर रेलवे रसीदों, पार्सल रवन्नों, शंटिंग आदेशों, सावधानता आदेशों तथा अन्य अनेक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है। इन स्टेशनों से प्रतिमाह हिन्दी प्रयोग की मासिक रिपोर्ट मंगवाकर उनके कार्य पर निगाह रखी जाती है। इनके अलावा भी अन्य काफी स्टेशनों पर हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है।

इस मंडल में 5 हिन्दी पुस्तकालय हैं जो मंडल कार्यालय जोधपुर तथा समदड़ी, मेड़तारोड़, जोधपुर और भगत की कोठी स्टेशनों पर स्थापित हैं। इनमें क्रमशः 1576,417, 681, 678, 422 पुस्तकें हैं। कर्मचारियों द्वारा इनका काफी उपयोग किया जा रहा है।

इस मंडल पर कुल 143 स्टेशन हैं जिनके स्टेशन संचालन नियमों का हिन्दी अनुवाद किया जा चुका है और इनमें से 104 नियम दोनों भाषाओं में सभी स्टेशनों को भेजे जा चुके हैं। अब इन नियमों के अंग्रेजी मूल पाठ में संशोधन किया जा रहा है जिसके अनुसार यथासमय उनका हिन्दी अनुवाद कर दिया जायेगा।

यहां पर कुल 69 टाइपराइटर है जिनमें से 29 देवनागरी के हैं। इनका पूरा-पूरा उपयोग करके हिन्दी की प्रगति निरन्तर बढ़ रही है। इसके अलावा आरक्षण चार्ट भी हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जाते हैं और कर्मचारियों को अपने उत्तर हिन्दी, अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में देने की छुट रहती है।

कर्मचारियों की सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जा रही है। विभागीय समितियों की बैठकों के कार्यवृत

हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्र भी हिन्दी में जारी किये जाते हैं।

इस मंडल में तृतीय तथा उससे ऊपर की श्रेणी के कुल 5030 कर्मचारी हैं जिनमें से अब केवल 392 कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देना बाकी है। इनमें से अधिकांश परिचालन और शिफ्ट ड्यूटी वाले कर्मचारी हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए इस समय जोधपुर में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केन्द्र है और कुछ बड़े स्टेशनों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत कई कार्यालयों को अधिसूचित नहीं किया गया है। कई कार्यालयों में टाइपिस्ट हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षित नहीं हैं। नामपट्ट, साइनबोर्ड हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित हैं। फार्मों आदि को भी द्विभाषी रूप में बनवा लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि उनके कार्यालयों में राजभाषा प्रावधानों का शीघ्र ही पूरा पूरा अनुपालन किया जाने लगेगा।"

नमक अधीक्षक ने बताया कि उनके यहां हिन्दी का काफी प्रयोग हो रहा है, किन्तु वे अभी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं।

राजभाषा विभाग के सचिव महोदय ने कहा कि 'क' क्षेत्र के कार्यालयों में आपसी पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही होना चाहिए। किन्तु फिर भी वे अपने स्तर पर पत्राचार में हिन्दी का ही प्रयोग करें। अन्य सदस्यों के वार्तालाप से यह पता चलने पर कि उन्हें राजभाषा नियमों और हिन्दी प्रशिक्षण की नीति तथा हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन पुरस्कारों की पूरी जानकारी नहीं है, सचिव महोदय ने राजभाषा विभाग के उपनिदेशक, श्री पी० एल० कनौजिया से इसकी विस्तृत जानकारी देने को कहा।

श्री कनौजिया ने भारत सरकार द्वारा राजभाषा की संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि धारा 343 से 351 तक के अनुसार हिन्दी कार्यान्वयन के उद्देश्य से रा०भा० अधिनियम 1963 बना, जिसकी धारा 3(3) में यह व्यवस्था है कि कुछ काम द्विभाषी रूप में करने अनिवार्य है जैसे—सामान्य आदेश, सभी परिपत्र, लाइसैंस, टेण्डर आदि।

उन्होंने कहा कि बहुत कम कार्यालय ऐसे हैं जहां शत-प्रतिशत ये काम हिन्दी में होते हैं। उन्होंने कहा की भारत के विभिन्न कार्यालयों का दौरा करने से ज्ञात हुआ है कि वह कहीं पर 50 प्रतिशत तो कहीं पर 60 प्रतिशत व कहीं पर 80 प्रतिशत तक होता है। इसकी परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि जो आदेश दो या दो से अधिक सरकारी कार्यालयों को संबोधित हों, वे सामान्य आदेशों में आते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1976 के अनुसार जो अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, वे सुनिश्चित करें कि इन कागजों को दोनों भाषाओं में जारी किया जाय। इस प्रकार के कागजों का दोनों भाषाओं मे जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ जांचबिन्दु अर्थात रोनियां, डिस्पेच आदि निश्चित किये गये हैं। ऐसे जांच बिन्दु आप भी अपने यहां बनायें। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में विभाजित किये जाने की विस्तृत रूप रेखा बतायी तथा उनसे किये जाने वाले पत्राचार की प्रक्रिया का हवाला दिया। उन्होंने रजिस्टरों पर शीर्ष हिन्दी में लिखना, टिप्पणियां हिन्दी में देना तथा विभिन्न बोर्डों आदि को द्विभाषी रूप में बनवाने के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1982–83 का कार्यक्रम आपको मिला होगा और 1983–84 का वार्षिक कार्यक्रम छपकर प्राप्त होते ही शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। जिन कार्यालयों में हिन्दी के टाइपराइटर नहीं हैं वे अपने मांगपत्र कंपनियों को भेजें और अगर तीन माह के दौरान टाइपराइटर सप्लाई नहीं होते हैं, तो हमें लिखा जाए ताकि हम कम्पनी से शीघ्र टाइपराइटर उपलब्ध करा सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 27–4–81 को जारी पत्र के अनुसार हिन्दी कार्य के लिए स्वीकृत न्यूनतम पद सृजित करने के लिए कोई रोक (प्रतिबन्ध) नहीं है। जहां पर न्यूनतम पद उपलब्ध नहीं है, वहां पर किसी अन्य व्यक्ति से हिन्दी का काम करवाकर उन्हें मानदेय दिया जा सकता है।

उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत परीक्षा पास करने पर 100/– 200/–, तथा 300/– रुपये का एक मुश्त पुरस्कार तथा एक अग्रिम वेतन वृद्धि का भी विस्तृत हवाला देते हुए कहा कि टाइपिस्ट तथा आशुलिपिकों को भी इस प्रकार के विशेष पुरस्कार दिये जाते हैं और सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को कहें कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठायें। टिप्पणियां लिखने तथा मूल पत्रादि हिन्दी में अधिकतम लिखने वाले कर्मचारी भी अपना पूरा रिकार्ड रखें तो उन्हें भी इनाम दिया जाता है।

हिन्दी कार्य के लिए पदों के सृजन के बारे में सचिव महोदय ने बताया कि 100 या इससे अधिक कर्मचारी जिस संस्थान में काम करते हों, वहां एक हिन्दी अधिकारी, 25 कर्मचारियों पर एक हिन्दी अनुवादक, 50 कर्मचारियों पर एक अतिरिक्त हिन्दी अनुवादक तथा इसी प्रकार हर चौथा पद एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक का होगा व 25 कर्मचारियों पर एक हिन्दी टाइपिस्ट के पद का औचित्य है। उन्होंने कहा कि यदि 27/4/81 का पत्र आपके पास नहीं है तो अपने प्रधान कार्यालय से मंगवा सकते हैं।

सचिव महोदय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सदस्यों के विचार जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने इस बैठक के आयोजन का महत्व बताते हुए कहा कि

यहां उठाए गए प्रश्नों को विभिन्न मंत्रालयों के सामने रखा जाता है तथा उनके निराकरण के लिए सभी संभव प्रयास किये जाते हैं । उन्होंने बताया कि भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है और केन्द्रीय सरकार के कार्यों में इसका प्रयोग अनिवार्य है । इस प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी कागजातों को हिन्दी-अंग्रजी द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कठिनाई अनुभव होने पर अंग्रेजी शब्द देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं । इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए राजभाषा नियमों में पूरे भारत को 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों में बांटा गया है और इन सभी के लिए वार्षिक कार्यक्रम में, हिन्दी प्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जैसे 'क' क्षेत्र में कार्यालयों में दो तिहाई पत्राचार हिन्दी में होना चाहिए, सभी केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा आपसी पत्राचार हिन्दी में किया जाना चाहिए तथा सभी हिन्दी अभ्यावेदनों, अपीलों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने चाहिए । उन्होंने यह भी बताया कि जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानने वाले हैं, उन कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत टिप्पण व प्रारूप लेखन एवं अन्य सभी शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी प्रयोग के लिए अधिसूचित किया जाता है । उन्होंने सदस्यों से कहा कि यदि उनके कार्यालयों में यह स्थिति हो, तो वे अपने कार्यालय को अधिसूचित कराने के लिए अपने प्रधान कार्यालय / मंत्रालय को लिखें । उन्होंने बताया कि वर्ष 1983-84 के वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां छपवायी जा रही हैं, जो सदस्यों के कार्यालय में शीघ्र पहुंच जाएंगी । अत: तदनुसार वे अपने कार्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए अपने अपने प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय को लिखें कि उन्हें पत्र हिन्दी में भेजे जायें व सभी फार्म, प्रोफार्मे एवं नियम पुस्तकें हिन्दी में भी उपलब्ध करायी जायें । उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वे उनके संबंधित मंत्रालयों से भी इस सम्बन्ध में बात करेंगे ।

अन्त में उन्होंने बैठक में सदस्यों की कम संख्या में उपस्थिति के प्रति खेद व्यक्त किया और कहा कि आगे से ऐसी बैठकों में उपस्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जाये ।

उन्होंने सचिव महोदय से अनुरोध किया नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को औपचारिक रूप से एक सुगठित रूप दिया जाए जिससे यह कार्य और अधिक सुचारू रूप से चल सके; जैसे इस बैठक के आयोजन के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र एक पत्र गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) से ही प्राप्त हुआ था, जबकि उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ । अत: यह उचित होगा कि इसके लिए निश्चित मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये जायें । उन्होंने यह भी कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के माध्यम से हिन्दी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है और यह तभी हो सकता है जब इस समिति को एक पूर्ण औपचारिक स्वरूप दे दिया जाये ।

अन्त में उन्होंने सचिव महोदय को धन्यवाद देते हुए यह आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी जोधपुर क्षेत्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद—अभिव्यक्ति के साथ बैठक समाप्त हुई ।

प्रस्तोता :- जगदीश प्रसाद गुप्त

सचिव, जोधपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एवं मंडल राजभाषा अधिकारी, उत्तर रेलवे, जोधपुर

ठाकुर शशिभूषण वर्मा, मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे की अध्यक्षता में जोधपुर में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव मुख्य अतिथि के रूप में श्री के० के० श्रीवास्तव तथा मण्डल/विभागों/बैंकों/निगमों आदि के प्रमुख अधिकारी एवं प्रतिनिधि ।

(2) जम्मू

जम्मू नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 28-4-83 को 3.00 बजे कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक जम्मू छावनी में सर्वकार्य प्रभारी हिन्दी शिक्षण योजना एवं रक्षा लेखा नियंत्रक श्री रवीन्द्र नाथ त्यागी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक का मुख्य आकर्षण था—गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेद्र चरण मिश्र का आगमन । बैठक में निम्न-लिखित अधिकारियों ने भाग लिया :—

श्री रवीन्द्रनाथ त्याग	अध्यक्ष
श्री देवेन्द्र चरण मिश्र	संयुक्त सचिव, राशभाषा विभाग
श्री अनन्त राम शर्मा	अधीक्षक इंजीनियर, रेडियो कश्मीर
श्री रवि दत्त अहीर	उप रक्षा लेखा नियंत्रक
श्री वी० पी० शर्मा	उप वरिष्ठ विपणन अधिकारी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ।
श्री प्रमोद कुमार जैन	सहायक निदेशक, क्षे० आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र ।
श्री के० एम० मेरोहत्रा	ग्रुप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस।
श्री वी० के० श्रीवास्तव	भू-वैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ।
श्री एन० एन० भट्ट	प्रशासन अधिकारी—यथोक्त —
श्री प्र० प० यादव	सहायक आयुक्त, सी० एम० पी० एफ० ।
श्री दीदार सिंह	कार्यक्रम निष्पादक, रेडियो कश्मीर।
श्री सुदेश गुप्त	वैयक्तिक सहायक, रक्षा लेखा नियंत्रक ।
श्री गोपी चन्द शर्मा	हिन्दी प्राध्यापक, राजभाषा विभाग ।

बैठक के आरम्भ में अध्यक्ष श्री रवीन्द्रनाथ त्यागी ने संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र का स्वागत किया और उनका सभी सहभागियों से परिचय कराया ताकि परिचय घनिष्ठता की श्रृंखला में एक नया आयाम जुड़ सके। संयुक्त सचिव श्री मिश्र ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में अद्यतन प्रयासों की जानकारी दी । तत्पश्चात् बैठक में निर्धारित विषयों पर विधिवत् विचार-विमर्श हुआ ।

संयुक्त सचिव श्री मिश्र ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रशिक्षार्थियों की संख्या जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाए ताकि केन्द्र खोलने की संभावना पर विचार किया जा सके ।

संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि देश भर में फैले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की अद्यतन सूची के अभाव में सभी कार्यालयों को आदेशों, नियमों, कार्यक्रमों आदि का सीधे राजभाषा विभाग से प्रेषण संभव नहीं है । राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि में संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन) के कार्यालय खोलने का प्रस्ताव राजभाषा विभाग के विचाराधीन है । जहां तक राजभाषा विभाग द्वारा तैयार वार्षिक कार्यक्रम की बात है—इस सम्बन्ध में अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं सर्वकार्यप्रभारी अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना जम्मू को वार्षिक कार्यक्रम की एक-एक प्रति अग्रेषित कर दी जायेगी ताकि जम्मू स्थित कार्यालयों को वार्षिक कार्यक्रम की जानकारी समय पर मिल सके ।

संयुक्त सचिव महोदय ने आश्वासन दिया कि सरकार की विभिन्न प्रकाशन एजेंसियों के माध्यम से प्रकाशित कुछ किताबें भेज दी जाएंगी । इसके अतिरिक्त अन्य उपयोगी पुस्तकों की सूची प्रकाशक का नाम, पता व मूल्य सहित शीघ्र ही भेज दी जाएंगी ताकि पुस्तकों की खरीद में सुविधा हो सके। उक्त सूची जम्मू स्थित सभी कार्यालयों को भी प्रेषित कर दी जाएगी ।

संयुक्त सचिव ने आगे कहा कि सभी कार्यालयों को विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार अपने प्रधान कार्यालयों से उक्त पदों के सृजन के बारे में लिखना चाहिए साथ ही कर्मचारी चयन आयोग से टाइपिस्टों आदि की मांग करते समय स्पष्ट लिखना चाहिए कि कितने हिन्दी टाइपिस्टों की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग की एक टीम हिन्दी पदों के सृजन की संभावना का पता लगाने के लिए जम्मू का दौरा करेगी और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही भी करेगी ।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

प्रस्तोता—रवीन्द्र नाथ त्यागी
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

(3) मैसूर

30-4-1983 को अपराह्न 3 बजे मैसूर के भारतीय भाषा संस्थान के सभा-कक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन, समिति की बैठक आयोजित हुई । केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने बैठक का अध्यक्षासन ग्रहण किया । उन्होंने विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया । अपने भाषण में उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भारतीय भाषा संस्थान की देन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। शिक्षा सम्बन्धी विषय के रूप में राजभाषा को कार्यान्वित करने की दिशा में भारतीय भाषा संस्थान ने पहला कदम लिया और भाषा योजना और उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए अनेक प्रणालियां इस संस्थान ने प्रस्तुत की हैं। भारतीय भाषा संस्थान ने हाल ही में देवनागरी लिपि में राज्यवार संदर्भ ग्रंथ-सूची निकाली है। अपने दैनिक कार्यों में राजभाषा का उपयोग करने वाले अधिकारियों को थोड़ा-बहुत प्रशिक्षण देने की प्रणाली भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी, मंगलूर के सहयोग से भारतीय भाषा संस्थान हिन्दी में रेडियो तथा पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और अनुरोध किया कि राजभाषा के रूप में हिन्दी का कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाए ।

राजभाषा के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुछेक सुझाव प्राप्त हुए जिन पर समिति ने विचार-विमर्श किया ।

मैसूर में हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अब कोई विशेष व्यवस्था नहीं है । उप सचिव ने कहा कि इस समय मैसूर में हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलना अभी संभाव्य नहीं है। ऐसी स्थिति के होने पर अपेक्षित सुविधाएं कराई जाएंगी । मण्डल रेल कार्यालय में ऐसे प्रशिक्षण देने के लिए रेलवे के टंकण की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है । वर्तमान में केवल पांच रेल कर्मचारी प्रशिक्षणाधीन हैं। समिति ने रेल प्रशासन से प्रार्थना की कि एक अन्य विभाग के कर्मचारी को यह प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह अपने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सके। उप सचिव ने दक्षिण रेलवे के अधिकारी से प्रार्थना की कि अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करें । इसके लिए वे रेलवे बोर्ड से पत्राचार कर सकते हैं । यदि चाहें तो भारतीय भाषा संस्थान के हिन्दी आशुलिपिक की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

अब केवल अग्रिम वेतनवृद्धि देने की प्रथा चालू है । यह एक साल तक दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में और ज्यादा कर्मचारियों की दिलचस्पी जगाने के लिए समिति ने और ज्यादा प्रोत्साहन देने की सिफारिश की ।

उप सचिव ने बताया कि कुछेक प्रोत्साहन प्रणालियां विचाराधीन हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी में अच्छा काम करने वालों को कुछ मानदेय दिया जा सकता है ।

टिप्पण और प्रारूप-लेखन-कक्षाएं तथा प्राज्ञ में उत्तीर्ण कर्मचारियों के लिए वार्तालाप प्रशिक्षण। (कर्मशाला प्रबन्धक, द० रेलवे/मैसूर) चूंकि प्राज्ञ का नया पाठ्यक्रम इस आवश्यकता की पूर्ति करता है इसलिए समिति का उद्देश्य है कि अलग कक्षाएं चलाने की आवश्यकता नहीं है ।

सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी तथा हिं० शि० यो०/मैसूर के अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय की राशि में संशोधन।

इस पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है।

डाक व तार विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि हिं० शि० यो० का प्रधान कार्यालय दक्षिण भारत में लाया जाए जहां राजभाषा के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। उस सदस्य को सूचना दी गई कि मद्रास में दक्षिण क्षेत्र के लिए एक उप निदेशक है। अन्य स्थलों पर उच्च अधिकारियों को हिं० शि० यो० के अन्तर्गत सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है जो सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन का कार्य देख लेते हैं।

आकाशवाणी, मैसूर के प्रतिनिधि ने बताया कि छोटा कार्यालय होने पर भी उनके यहां थोड़ा बहुत काम हिन्दी में चल रहा है। इस संदर्भ में अध्यक्ष ने सूचना दी कि कन्नड़ भाषा-भाषी जनता के प्रयोजनार्थ भारतीय भाषा संस्थान द्वारा तैयार किए गए हिन्दी पाठ आकाशवाणी के मंगलूर केन्द्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। पहले इन पाठों का प्रसारण बंगलूर केन्द्र से किया जा रहा है।

टिप्पण और प्रारूप लेखन के लिए खासकर एक हिन्दी कर्मशाला चलाने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुआ । उप सचिव ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि इसके लिए भारतीय भाषा संस्थान की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्रीय भाषा प्रौद्योगिकी अनुसंधान के द्वारा यह सूचना दिए जाने पर कि हिन्दी आशुलिपिक के द्वारा अंग्रेजी का काम भी लिया जाता है, उप सचिव ने बताया कि केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिकों के बीच कोई अन्तर नहीं है। पदोन्नति की दृष्टि से उन दोनों को एक ही संवर्ग के रूप में माना जाता है । उन्होंने सुझाव दिया कि यह मामला विभागीय है और इसलिए विभागीय स्तर पर संभाला जा सकता है । उन्होंने कहा कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आशुलिपि/टंकण कार्य करने वालों को उच्चतर वेतन-मान या अतिरिक्त वेतन-वृद्धि देने का मामला गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के यहां विचाराधीन है ।

डाक और तार विभाग के प्रतिनिधि ने सूचना दी कि कार्यरत कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभागीय पत्रिका जैसे साहित्य की व्यवस्था की जानी चाहिए । हिन्दी पत्र पत्रिकाओं को, खासकर 'राजभाषा भारती' को विभिन्न विभागों में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उप सचिव ने कहा कि विभागीय पुस्तकालयों के खाते में इन पुस्तकों को प्राप्त किया जा सकता है ।

उप सचिव ने अपने भाषण के दौरान इस बैठक में भाग लेने के सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि बैठक पूर्णतः सफल रही। उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि मैसूर नगर में करीब 50 कार्यालयों के होने पर भी बैठक में उपस्थिति बहुत कम रही है । भविष्य में इन बैठकों के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों से प्रार्थना की जानी है। बैठक में उपस्थितों के उत्साह देखकर वे खुश हुए । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें सरकार की राजभाषा नीति की परिधि में काम करना चाहिए । राजभाषा कार्यान्वयन की नीति को ठीक तरह से न समझकर लोगों द्वारा उसे हिन्दी-प्रचार के रूप में समझ लेने के कारण कभी-कभी हिन्दी के प्रति विरोध उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है । हमारी राजभाषा नीति द्विभाषी रूप की है । 1963 के राजभाषा अधिनियम के अनुसार राजकीय योजनों के लिए केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा । परिपत्र, पत्र आदि में प्रायः यह देखा जाता है कि अंग्रेजी पाठ में हिन्दी अनुवाद के बाद में निकालने की सूचना दी हुई रहती है लेकिन वास्तव में वह जारी नहीं होता । दोनों भाषाओं में काम करने का प्रयत्न जारी रखना है।

सचिव के द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन के साथ सभा सम्पन्न हुई।

(4) आगरा

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा गठित आगरा नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक आयकर आयुक्त श्री चुन्नी लाल जी की अध्यक्षता में दिनांक 13 मई, 83 को सायंकाल 3 बजे उनके जयपुर हाऊस स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, निगमों के कार्यालय प्रमुख तथा उनके राजभाषा

अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार के राजभाषा विभाग, नई दिल्ली की ओर से अनुसन्धान अधिकारी श्री एम० एल० मैत्रेय उपस्थित थे।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व समिति की ओर से श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त व राजभाषा अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय—हिन्दी परिषद की ओर से श्री कृष्ण स्वरूप, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा समिति के अध्यक्ष श्री चुन्नी लाल, आयकर आयुक्त का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया और श्री अशोक कुमार साहनी, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त ने राजभाषा विभाग से पधारे हुए अनुसंधान अधिकारी श्री एम० एल० मैत्रेय का स्वागत किया।

श्री चुन्नी लाल, समिति-अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों, बैंकों, निगमों आदि से पधारे हुए अधिकारियों का स्वागत करते हुए अपने विभाग में हिन्दी के प्रयोग संबंधी गत वर्ष के प्रयासों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के कार्यान्वयन का कार्य एक पुनीत कार्य है जिसे सम्पन्न करना हम लोगों का दायित्व है। हमारे कार्यालय हिन्दी भाषी राज्य, जहां की राजभाषा हिन्दी है, में स्थित होने से लोगों का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमने हिन्दी को संविधान में जो स्थान दिया है यानी कि हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी उसे वास्तविकता में साकार करने के लिए तब तक धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहना है जब तक वह अपना सही स्थान नहीं प्राप्त कर लेती। उन्होंने कहा कि वे निरन्तर इस दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं और कर्मचारियों व अधिकारियों को हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं।

विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि हिन्दी टाइप और शार्टहैंड प्रशिक्षण दिलाने के लिए राजभाषा विभाग की ओर से आगरा में केन्द्र खोला जाए, अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कार्यशालायें आयोजित हों, हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में विशेष वेतन प्रतिमास दिया जाए। प्राइवेट रूप से टाइप और शार्टहैण्ड सीखने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि जो इस समय टाइप मामले में 150 रु० और शार्टहैण्ड के मामले में 300 रुपए बढ़ कर क्रमश: 300 रु० और 600 रुपए की जाए, मिलने वाला विशेष वेतन मिलता रहे वह एक वर्ष बाद बन्द नहो।

राजभाषा विभाग की ओर से आये हुए अनुसन्धान अधिकारी श्री मैत्रेय ने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए अपने सारगर्भित भाषण में बताया कि इस समय पूरे भारत में 56 नगरों में नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं और उनके अध्यक्ष उन नगरों के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। उन्होंने इस समिति द्वारा आगरा में किए जा रहे कार्यों की अत्यन्त सराहना की और इसके लिए समिति के अध्यक्ष श्री चुन्नी लाल, आयकर आयुक्त के प्रति विभाग की ओर से आभार प्रगट किया। उन्होंने हिन्दी भाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि यह संपर्क भाषा है जोर काश्मीर से कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्र से द्वारिका तक बोली जाती है तथा समझी जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में अपनाने तथा उसे जन जीवन में उतारने का कार्य अहिन्दी भाषी लोगों द्वारा किया गया था।

श्री मैत्रेय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कार्यालय में सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग किया जाए। और राज काज की भाषा में उर्दू, अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषाओं के शब्द-निःसंकोच प्रयोग किए जा सकें। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन सही रूप में हो शतप्रतिशत हो, हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए। हिन्दी भाषी राज्यों को सरकारी स्तर पर अधिकांश पत्र हिन्दी में ही भेजे जायें। नाम पट्ट, साइनबोर्ड, मोहरें द्विभाषी रखी जायें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आगरा की बैठक में (बायें से) श्री मिथलेश कुमार मिश्र राजभाषा अधिकारी एवं निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, आगरा श्री चुन्नी लाल आयकर आयुक्त तथा अध्यक्ष न० रा० भा० का० स० आगरा और श्री एम० एल० मैत्रेय, अनुसन्धान अधिकारी (राजभाषा विभाग)।

विधि के क्षेत्र में हिन्दी—शिमला में संगोष्ठी का आयोजन

—सुरेश चन्द्र माथुर,
सहायक सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि मंत्रालय

विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की ओर से शिमला में 17 और 20 जून, 1983 को भिन्न-भिन्न विषयों पर दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। प्रथम संगोष्ठी का आयोजन शिखर सम्मेलन हाल, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला में किया गया जिसका विषय था (1) "हिन्दी में विधायी प्रारूपण की समस्यायें और उनका निदान" और (2) "विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा हिन्दी में मूल विधि पुस्तकें लिखवाने के लिए अध्यापकों का सहयोग"। हिमाचल प्रदेश के कृषि एवं विधि मंत्री श्री गुमान सिंह चौहान ने इस संगोष्ठी का एवं पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डा० ललन प्रसाद सिन्हा ने की। संगोष्ठी में अनेक विद्वानों ने भाग लिया तथा उसमें काफी संख्या में हिन्दी प्रेमी महानुभाव उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी० वी० लाल, हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि सचिव, श्री वी० पी० भटनागर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर, रीडर तथा प्राध्यापकों ने संगोष्ठी में अपने-अपने विचार व्यक्त किए। विधि मंत्री, कुलपति एवं विधि सचिव ने विधि साहित्य प्रकाशन और राजभाषा खण्ड द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। संगोष्ठी में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए :—

1. श्री गुमान सिंह चौहान, कृषि एवं विधि मंत्री, हिमाचल प्रदेश : मैंने केन्द्रीय विधि मंत्रालय के विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी देखी है और मैं वास्तव में हैरान हूं कि विधि के क्षेत्र में इतना अधिक काम हो गया है तथा किया जा रहा है। मैं विधि साहित्य प्रकाशन तथा राजभाषा खण्ड की दिल से प्रशंसा करता हूं। मेरे विचार से वास्तविक कठिनाई दृढ़ संकल्प की है। शब्दावली की कमी अथवा विधि के विषयों में यथोचित साहित्य की कमी नाममात्र है। असली परिपक्वता हिन्दी का प्रयोग करने से आएगी। सैकड़ों वर्षों से शासकीय एवं राष्ट्रीय कार्यों में प्रयुक्त अंग्रेजी की आदत होने के कारण हिन्दी में कार्य करने में कुछ समय अवश्य लगता है परन्तु कार्य करने से धीरे-धीरे उस कार्य में स्वयं गति आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा धीरे-धीरे गिरता-पड़ता चलता है और युवक होकर फुर्तीला हो जाता है उसी प्रकार समय बीतने पर हिन्दी शैली भी मजबूत, सुचारु और गतिशील हो जाएगी। गति अवरोध के कारण ही हिन्दी से भागना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग यथोचित नहीं हो रहा है। हिन्दी के प्रयोग को बल मिलना चाहिए। हमें कुशल विधायी प्रारूपकार चाहिए दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी विधि शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम हिन्दी घोषित किया जाना चाहिए। मुख्यतः लगन की आवश्यकता है, वास्तविक कठिनाई दृढ़ संकल्प की है।

2. डा० लगन प्रसाद सिन्हा, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, : हिमाचल प्रदेश में हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए। उचित समय पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि पाठयक्रम में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाया जाएगा।

3. श्री वी० पी० भटनागर, विधि सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार : हिमाचल प्रदेश के विधि विभाग में हिन्दी का कार्य करने के लिए इस समय केवल तीन अराजपत्रित अधिकारी काम कर रहे हैं। एक पद हाल ही में उप विधि परामर्शी एवं प्रारूपकार का बनाया गया है और आशा की जाती है कि इस पद पर अनुभवी अधिकारी के आ जाने पर हिन्दी में अधिनियमों आदि के प्राधिकृत पाठ तैयार होने लगेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके विभाग के अराजपत्रित हिन्दी अधिकारियों को भी केन्द्रीय विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड द्वारा हिन्दी विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण देने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को हिन्दी पदों की संख्या तथा उनके वेतनमानों के बारे में सलाह देने के लिए तथा नीति निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

4. डा० आई० पी० मैसी, आचार्य, विधि संकाय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय : (1) विधि शब्दावली का संक्षिप्त जेबी संस्करण उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि वह प्रत्येक विधि अध्यापक, विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश तथा सामान्य व्यक्ति को कम कीमत पर सरलता से उपलब्ध हो सके। इस समय विधि शब्दावली पुस्तकालयों तक ही सीमित है जहां उसका प्रयोग तत्काल करना सम्भव नहीं है। (2) व्यक्ति विशेष को हिन्दी में विधि पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ-साथ यह कोशिश की जानी चाहिए कि हिन्दी में विधि पुस्तकें तैयार करने का कार्य विशेषज्ञों की एक टीम को सौंपा जाए जो निर्णयों तथा अन्य विधि विषयों पर पुस्तकें तैयार करें जिनका कि विधि पाठ्य-

क्रमों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में प्रयोग किया जाए। इस प्रयोजन के लिए हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने से संबंधित कर्मशालाओं (वर्क-शाप) का आयोजन किया जाए। (3) हिन्दी विधि शब्दावली एवं भाषा पर ओरिएण्टेशन कार्यक्रम तथा रेफ्रशर कोर्स का आयोजन किया जाए जहां विधि के अध्यापकों को हिन्दी में विधि की शिक्षा देने संबंधी विषय-वस्तु, पद्धति और शैली से अवगत कराया जाए। वकीलों तथा न्यायाधीशों के लिए शिक्षा चालू रखने के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। (4) ऐसे अध्यापकों के लिए जो हिन्दी माध्यम से विधि की शिक्षा देने में आगे आते हैं, प्रोत्साहन देने की समुचित योजना बनाई जानी चाहिए। (5) श्रव्य-दृश्य (आडियो विजुअल) माध्यमों एवं साधनों का भी इस क्षेत्र में सदुपयोग किया जाए। ख्यातिप्राप्त विद्वानों और अधिवक्ताओं को हिन्दी में व्याख्यान देते हुए तथा बहस करते हुए दिखाते हुए छोटी छोटी फिल्में तैयार की जायें जिनका प्रयोग "ट्रायल प्रैक्टिस" पाठ्यक्रम में विधि के विद्यालयों में प्रभावपूर्ण रूप से किया जा सकता है।

5. डा० आनन्द, रीडर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय : यदि एल-एल० एम० के पाठ्यक्रम में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो एक व्यावहारिक कठिनाई यह होगी कि हिन्दी में एल-एल० एम० पास करने वाले व्यक्ति उन अन्य राज्यों में विधि के विद्यार्थियों को पढ़ाने में असमर्थ होंगे जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

6. डा० सतीश चन्द्र, रीडर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय: अन्य भाषाओं की सरल एवं तकनीकी शब्दावली को हिन्दी में अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति से अपील की कि विश्वविद्यालय में एल-एल-बी० पाठ्यक्रम में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए।

7. श्री संजय त्रिपाठी, प्राध्यापक, विधि संकाय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय : अंग्रेजी तथा लैटिन विधि शब्दावली का संक्षिप्त और सरल हिन्दी संस्करण तैयार किया जाए। ऐसी संगोष्ठियों का भविष्य में भी आयोजन किया जाए। बार कौन्सिल आफ इण्डिया नियमावली के नियम 4 के कारण विधि पाठ्यक्रमों में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाने में कठिनाई है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार को इस उपबन्ध के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

दूसरी संगोष्ठी का आयोजन 20 जून, 1983 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाल में किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री व्यास देव मिश्र ने की। उन्होंने विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का उदघाटन किया तथा विभाग के प्रकाशनों के संबंध में विशेष रुचि दिखाई। संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के चारों न्यायाधीश अर्थात् माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री व्यास देव मिश्र, माननीय न्यायमूर्ति श्री हीरा सिंह ठाकुर, माननीय न्यायमूर्ति श्री टी० आर० हाण्डा और माननीय न्यायमूर्ति श्री व्योम प्रकाश गुप्ता ने भाग लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री तलवार और माननीय न्यायमूर्ति श्री लूथरा भी उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश के महाविधिवक्ता, शिमला के जिला न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित थे। उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भवानी सिंह, जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बी० एन० शर्मा तथा अन्य अधिवक्ताओं ने भी संगोष्ठी में भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री व्यास देव मिश्र ने कहा कि यह आवश्यक है कि न्यायिक कार्यवाही का संचालन ऐसी भाषा में किया जाए जिसे कि संबंधित पक्षकार सरलता से समझ सकें। उन्होंने कहा कि यदि भारत में न्यायालय की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करना है तो सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए किन्तु इसका प्रयोग धीरे-धीरे ही हो सकेगा। माननीय न्यायमूर्ति श्री हीरा सिंह ठाकुर ने विधि के क्षेत्र हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विधि साहित्य प्रकाशन एवं राजभाषा खण्ड के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हिन्दी का प्रयोग निचले न्यायालयों से प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे उच्च न्यायालयों में किया जाना चाहिए। उन्होंने सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया जिससे कि आम आदमी उसे समझ सके।

दोनों संगोष्ठियों में विधि साहित्य प्रकाशन के प्रधान सम्पादक श्री जगत नारायण ने संगोष्ठी में भाग लेने वाले एवं उपस्थित विद्वानों तथा गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया और उनके विचारार्थ संगोष्ठी में विचारणीय विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया तथा इसके साथ ही साथ इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन और राजभाषा खण्ड द्वारा किए जा रहे कार्य की सविस्तार चर्चा की। □□□

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में हिन्दी की प्रगति

भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र न केवल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, बल्कि विश्व की सभी आधुनिक एवं उन्नत तकनीक के क्षेत्र में, देश का आधुनिकतम अनुसन्धान संस्थान है। यह संस्थान देश के कई आधुनिक उद्योग समूहों को भी अपनी तकनीकी सेवायें प्रदान करता है। यद्यपि इसका जनसाधारण से सीधा संपर्क अधिक नहीं है, फिर भी इस अनुसन्धान केन्द्र में हिन्दी का काफी महत्व है।

इस अनुसन्धान केन्द्र के संबंध में विशेष बात यह है, कि यहां न केवल राजभाषा संबंधी आदेशों के पालन की रीति ही निभायी जाती है, बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को भी हिन्दी के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एक पत्रिका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर "न्यूक्लियर इंडिया" नाम से प्रतिमास निकलती है, उसके कुछ चुने हुए लेखों का अनुवाद एवं कुछ मूल लेख "परमाणु" नामक त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं। इस बात का प्रयत्न किया गया है कि यह पत्रिका हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में साथ-साथ प्रकाशित की जाए।

इस अनुसन्धान केन्द्र में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन 1974 में किया गया। इसके अलावा इस अनुसन्धान केन्द्र में दो सक्रिय स्वयंसेवी संस्थायें भी हैं। एक संस्था 'केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद' है, जो कि समय समय पर वाक् प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता नाटक प्रतियोगिता एवं हिन्दी टाईपिंग तथा अशुलिपि प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रही है। दूसरी हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद है जो कि गत 12 वर्षों से एक हिन्दी वैज्ञानिक पत्रिका "वैज्ञानिक" का प्रकाशन कर रही ह, इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस केन्द्र में हिन्दी के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं उपर्युक्त दोनों संस्थाएं मिलकर वैज्ञानिक विषयों पर वार्ताओं आदि के कार्यक्रम भी आयोजित करती रहती हैं।

इस केन्द्र में कर्मचारियों के उपयोग में लाये जाने वाले बहुत से फार्म द्विभाषिक रूप में लागू हैं। बाकी फार्म भी द्विभाषी किए जा रहे हैं। लगभग सभी मोहरें, पत्रशीर्ष, साइन बोर्ड, नाम पट्टे इत्यादि द्विभाषिक हैं। हिन्दी प्रदेशों को भेजे जाने वाले अधिकांश प्रशासनिक पत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है।

इस केंद्र के निदेशक द्वारा जारी किए जाने वाले स्थायी आदेश एवं अधिकारी सौंपने के आदेश द्विभाषिक (हिंदी तथा अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट को हिंदी में भी प्रस्तुत किया जाता है। दिसंबर 1979 से इस केंद्र में एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक की नियुक्ति भी हुई, वर्ग ग तथा घ के कर्मचारियों की सेवा पुस्तकों में प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही हैं। राजपत्र अधिसूचनाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी की जा रही हैं। संस्थान में प्रशासनिक कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में सहायता पहुंचाने के लिए चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 70 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बार सुरक्षा अनुभाग के वाचमैनों को हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। सभी कामगारों के लाभार्थ सुरक्षा नियमों का हिंदी अनुवाद कर के उन्हें वितरित किया गया।

इस केंद्र में हिंदी प्रशिक्षण की कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं। अब तक 1117 कर्मचारी प्रबोध, 558 प्रवीण, तथा 130 कर्मचारी प्राज्ञ परीक्षाएं हिंदी शिक्षण योजना के अधीन उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसी योजना में 147 कर्मचारियों ने हिंदी टाईपिंग तथा 20 कर्मचारियों ने हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

इस अनुसन्धान केंद्र के विभिन्न प्रभागों एवं अनुभागों में 16 देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध हैं, जो कि केंद्र की आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त हैं।

राजभाषा कार्यानवयन समिति की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं जिनमें राजभाषा संबंधी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। जैसा पहले कह चुके हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति केवल औपचारिकताएं ही पूरी नहीं करती, बल्कि वह इस अनुसन्धान केंद्र में हिंदी को लोकप्रिय बनाने एवं उसके व्यवहार में अधिक से अधिक वृद्धि करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केंद्र के अहिंदी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है जिससे कि यह कार्य निरन्तर प्रगति पर है। हिंदी के सभी कार्यक्रमों में हिंदी भाषी लोग सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं और रुचि रखते हैं जिससे कि राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलता है। आशा है कि इसी सद्भाव से इस केंद्र में हिंदी निरन्तर बढ़ती रहेगी।

—हरिश्चन्द्र कटियार, निदेशक
भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, बंबई

उत्तर रेलवे हिन्दी सप्ताह 1982-83

दिनांक 14–3–83 तथा 15–3–83 को बीकानेर में उत्तर रेलवे हिन्दी सप्ताह 1982–83 का आयोजन किया गया। समारोह के अवसर पर सरकारी काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के सम्बन्ध में बीकानेर मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक श्री आर० के० भंसाली को उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबन्धक महोदय श्री पी० सी० गुप्त द्वारा अन्तर मण्डलीय राजभाषा शील्ड प्रदान की गयी। डूंगर कालेज, बीकानेर के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद गुप्ता एवं मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में समारोह सम्पन्न हुआ।

मुख्य अतिथि श्री देवी प्रसाद गुप्ता का स्वागत करते हुए उत्तर रेलवे के अपर महा प्रबन्धक श्री पी० सी० गुप्ता ने हिन्दी की प्रगति में राजस्थान के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे पर सभी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग काफी मात्रा में हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के सभी विभागों में से रेलवे विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में अग्रणी है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डाक्टर देवी प्रसाद गुप्ता ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं प्रसार में उत्तर रेलवे ने जो भूमिका निभायी है, उसकी सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्तर पर रेलवे का कार्य बहुत व्यापक है जो उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक के लाखों यात्रियों से सम्पर्क करके हिन्दी के प्रचार, प्रसार एवं कार्यान्वयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री गुप्त ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिन्दी के सम्बन्ध में अब विवाद की स्थिति नहीं रही है। आवश्यकता इस बात की है कि जब अब हिन्दी की क्षमताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करके हिन्दी को लागू करने में और भी प्रगति की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि रेलवे पर हिन्दी के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए। स्टेशनों एवं मंडलों पर लिपि संबंधी भ्रान्तियों खोज करके उनका निराकरण करना चाहिए। इससे पूर्व उत्तर रेलवे पर हिन्दी के प्रयोग एवं उपलब्धियों पर उत्तर रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री आई० पी० श्रीवास्तव ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्य राजभाषा अधिकारी ने यह भी बताया कि रेल कर्मचारियों के ज्ञानवर्द्धन के लिए मंडलों में हिन्दी पुस्तकालय खोले गए हैं जिनमें सुप्रसिद्ध लेखकों एवं कवियों की पुस्तकें खरीदी गई हैं। इस वर्ष तीन लाख रुपए की पुस्तकें खरीदी जायेंगी। जबकि वर्ष 1981–82 में यह राशि केवल एक लाख नब्बे हजार रुपए ही थी। उन्होंने हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में अनेक पुरस्कार योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए बीकानेर मण्डल को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

मुख्य अतिथि डा० देवी प्रसाद गुप्ता ने हिन्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली मंडल को प्रथम, बीकानेर मंडल को द्वितीय एव प्रधान कार्यालय नयी दिल्ली को तृतीय विजेता के रूप में घोषित किया। अपर महा प्रबन्धक ने मण्डलों के राजभाषा अधिकारियों को इस उपलक्ष में नकद पुरस्कार प्रदान किए। इसके अतिरिक्त उत्तर रेलवे के प्रत्येक मंडल के दो-दो कर्मचारियों को हिन्दी के सर्वाधिक काय करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

—अनूप झिंगरन
मण्डल राजभाषा अधिकारी
एवं व० मण्डल परिचालन अधीक्षक, उ० रे० बीकानेर

उत्तर रेलवे, बीकानेर में हिन्दी सप्ताह विचार गोष्ठी के अवसर पर भाग लेते हुए श्री आर० के० भंसाली (म० रे० प्र० बीकानेर), मुरादाबाद म० रे० प्र० श्री बनर्जी, मुख्य अतिथि श्री देवी प्रसाद गुप्त, अपर महाप्रबन्धक श्री पी० सी० गुप्त तथा इ० प्र० श्रीवास्तव।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबोध कक्षा का उद्घाटन

हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए प्रबोध कक्षा का उद्घाटन स्थानिक प्रतिनिधि श्री इन्दर मल्होत्रा ने दिनांक 21–7–83 को किया। इसकी अध्यक्षता उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री जोगिन्दर सेठी ने की।

इस समारोह में हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डा० ए० के० भट्टाचार्य एवं उप-निदेशक श्री पी० एल० कनोजिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर गत वर्षों में प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए। समारोह का संचालन हिंदी अधिकारी श्री रामसिंह ने किया।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबोध कक्षा का उद्घाटन समारोह।

हुबली मण्डल हिन्दी पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन

श्री मीर लियाक़त अली, मंडल रेल प्रबंधक, हुबली, ने दि० 28–6–83 को, 10.30 बजे मंडल कार्यालय, हिन्दी अनुभाग में "मंडल हिन्दी पुस्तकालय एवं वाचनालय" का उद्घाटन किया। प्रारम्भ में ही मंडल रेल प्रबन्धक, हुबली, ने नव नियुक्त हिन्दी अधिकारी, श्री लाला राम भिलवारे, को धन्यवाद दिया, कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अंदर ही बहुत अरसे से प्रतीक्षित "हिन्दी पुस्तकालय एवं वाचनालय" के उद्घाटन की व्यवस्था करवायी। मंडल रेल प्रबंधक ने शाखाधिकारियों और कर्मचारियों, खास तौर से हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे, अपने हिन्दी का ज्ञान बनाए रखने के लिए "हिन्दी पुस्तकालय एवं वाचनालय" का पूरा-पूरा लाभ उठाएं।

श्री आर० आर० बाड़गि, अपर मंडल रेल प्रबंधक और मंडल राजभाषा अधिकारी हुबली ने "हिन्दी पुस्तकालय एवं वाचनालय" के महत्व एवं भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस पुस्तकालय में 2420 हिन्दी पुस्तकें, 8 रोचक पत्रिकायें और अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

श्री लाला राम भिलवारे, हिन्दी अधिकारी, हुबली, जो कवि भी हैं, ने उपर्युक्त उद्घाटन और कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण से सम्बन्धित कुछ मुक्तक प्रस्तुत किए। मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक के सक्रिय मार्गदर्शन में इतने कम समय में हुबली मंडल में राजभाषा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का उल्लेख किया।

रेल मण्डल हुबली पुस्तकालय तथा वाचनालय के उद्घाटन अवसर पर।

इसके बाद उन कर्मचारियों को नक़द पुरस्कार वितरण किए गए जिन्होंने मई, 1982 की हिन्दी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे।

अंत में श्री लाला राम भिलवारे, हिन्दी अधिकारी ने "हिन्दी पुस्तकालय एवं वाचनालय" के लिए उचित स्थान आदि की व्यवस्था करने में जो सहायता—सहयोग मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल, प्रबंधक और सभी शाखा अधिकारियों ने खास तौर से श्री के० जी० रामलिंगम, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, हुबली ने दिया उसके लिए उन्हें कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद दिया। "सरस्वती वंदना" के लिए कु० आशा जेतली को और बड़ी संख्या में उपस्थित कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रसन्नता और साहित्यिक वातावरण छाया रहा और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

सिंडिकेट बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में संपुट कार्यक्रम

सिंडिकेट बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए दिनांक 2-5-1983 से 7–5–1983 तक कर्मचारी, प्रशिक्षण विद्यालय, उडुपि में "हिन्दी में संपुट कार्यक्रम" का आयोजन किया। इसमें अहिन्दी क्षेत्र की शाखाओं कार्यालयों में कार्यरत, किंतु हिन्दी भाषा के क्षेत्रों में को स्थानांतरित 23 अधिकारी भाग लिए। राजभाषा प्रभाग और कार्मिक विभाग, प्रधान कार्यालय की सहायता से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तारीख 2–5–1983 को बैंक के कार्मिक प्रबंधक, श्री एल० जे० मार्टिस द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। श्री ए० लक्ष्मीनारायण उप प्रभागीय प्रबन्धक, राजभाषा प्रभाग, ने इस कार्यक्रम की विशेषताओं के विवरण देते हुए कहा कि अधिकारियों को हिन्दी भाषा का सामान्य ज्ञान देना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तारीख 7–5–1983 को इस कार्यक्रम का समापन समारोह श्री के० मनमोहन शेणाई, महा प्रबन्धक की अध्यक्षता में हुआ। श्री शेणाई ने कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होने के कारण हर आदमी को हिन्दी सीखनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने देश के ध्येय और उद्देश्य के साथ बैंक के कार्य करना चाहिएं क्योंकि हम लोकतन्त्रात्मक देश में हैं। उन्होंने कहा कि हमें हिन्दी क्षेत्रों के ग्राहकों के साथ भी व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए बैंक के हर कर्मचारी को अपनी राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा "हिन्दी" सीखने की जरूरत है।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कार्यक्रम की उपयुक्तता के बारे में अपनी कुछ सलाह दी। उन्होंने अपनी स्मरणार्थ प्रशिक्षण कालेज, उडुपि को एक पारितोषिक समर्पित किया। श्री आर० जी० भिड़े, प्रधानाचार्य ने अधिकारियों को कुछ मार्गदर्शन दिए। धन्यवाद के साथ समारोह की समाप्ति हुई। इस कार्यक्रम के साथ बैंक ने प्रबन्धकों को "औद्योगिक संबंध और ग्राहक सेवा" के बारे में एक सप्ताह के शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में प्रबंधक भी समापन समारोह में उपस्थित थे। यह कार्यक्रम प्रधान कार्यालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया था। राजभाषा प्रभाग के अधिकारी श्री रा० शौरिराजन, श्रीमती मालती मूर्ति, मंगलूर आंचलिक कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री ओम प्रकाश शर्मा, आदि ने संकाय के रूप में भाग लिया। विजया बैंक के हिन्दी अधिकारी, श्री एन० गोपाल शेट्टि, और कार्पोरेशन बैंक के हिन्दी संकाय सदस्य श्रीमती बी० एम० शकुंतला, ने प्रेक्षक के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों ने बहुत उत्साह से भाग लिया।

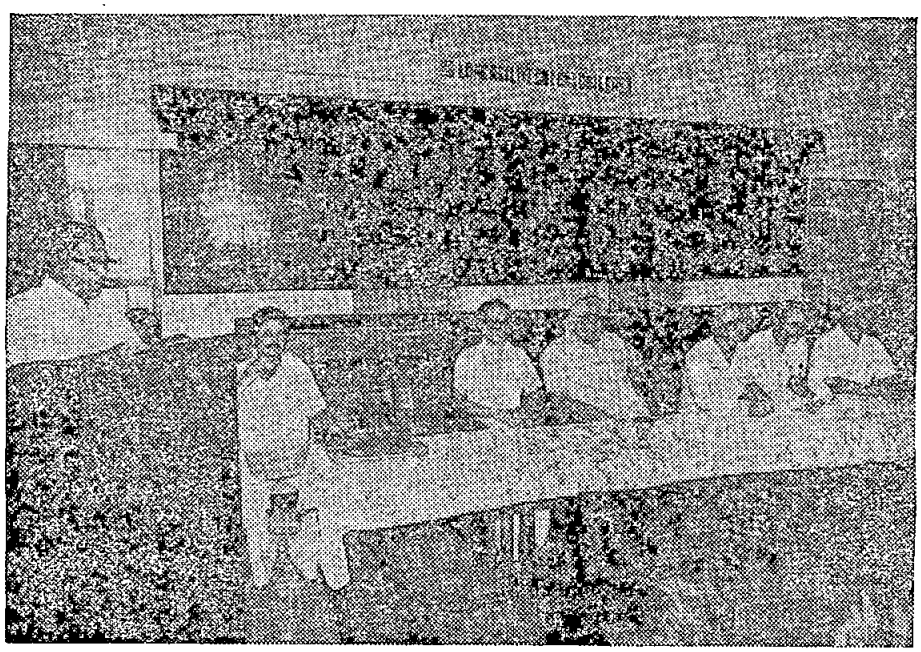

सिण्डीकेट बैंक (माणिपाल) में हिन्दी का संपुट कार्यक्रम (अधिकारियों के लिये) मंच पर श्री ए० लक्ष्मीनारायण उप प्रभागीय प्रबन्धक (राजभाषा प्रभाग) तथा अन्य अधिकारी गण

सिकन्दराबाद में राज भाषा सप्ताह

दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय, सिकदराबाद में इस वर्ष राजभाषा सप्ताह 14 से 16 मार्च, 1963 तक आयोजित किया गया। सप्ताह का उद्घाटन हिंदी और सस्कृत की प्रसिद्ध विदुषी श्रीमती कमला रत्नम द्वारा किया गया। प्रसिद्ध पत्रकार पं० श्रीराम शर्मा ने इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री प्र० ना० मोहिले, महाप्रबन्धक, द० म० रेलवे की अध्यक्षता में यह समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले अनेक रेल कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसी दिन संध्या के समय रेल कलारंग नामक खुले प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध हिंदी फिल्म "गांधी" का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया।

राजभाषा सप्ताह के दूसरे दिन एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था "अधुनातन हिंदी शिक्षण विधि", श्री बालगोविंद मिश्र, निदेशक, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी

इसी दिन एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने की। इस संगोष्ठी में अन्य प्रतिभागी थे--सर्वश्री शिवेन्द्र किशोर वर्मा (प्रोफसर, केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद), श्री बाल गोविन्द मिश्र (निदेशक, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा), श्री सीताराम शास्त्री (कार्यभारी, केन्द्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद), डा० श्रीराम शर्मा (भूतपूर्व प्राध्यापक, उस्मानिया विश्वविद्यालय), श्री चन्द्र दत्त पालीवाल (ज० ने० वि० वि, नयी दिल्ली), श्री विद्यासागर (हिन्दी प्राध्यापक, उस्मानिया वि० वि), श्री विजय राघव रेड्डी (कार्यभारी, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, गौहाटी) और श्रीमती कमलारत्तनम (नयी दिल्ली)।

इस संगोष्ठी में हिंदी अध्यापन विधि को और अधिक आधुनिक तथा वैज्ञानिक बनाने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गए।

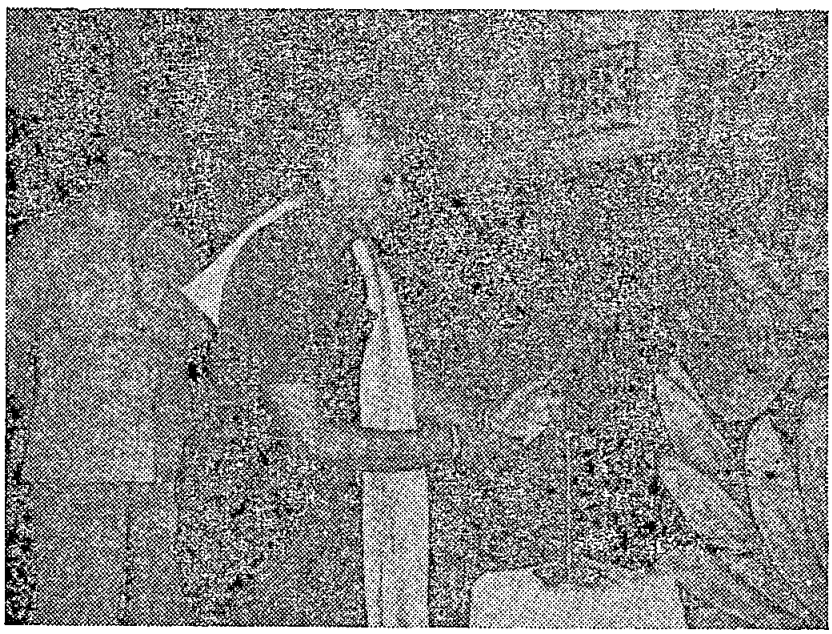

श्रीमती कमला रत्नम द्वारा दीप प्रज्वलन--दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा आयोजित राजभाषा सप्ताह समारोह के उद्घाटन अवसर पर पीछे श्री प्र० ना० मोहिले, महाप्रबन्धक द० म० रे।

रिजर्व बैंक हिन्दी समिति हैदराबाद में हिन्दी समारोह

भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद में "रिज़र्व बैंक हिन्दी समिति" का प्रथम वार्षिकोत्सव दिनांक 18 अप्रैल 1983 सांय 5-30 बजे बैंक के प्रबन्धक श्री ओमप्रकाश तनेजा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री गोपाल राव एकबोटे थे। इस अवसर पर हैदराबाद कार्यालय में नवागत हिन्दी अधिकारी श्री वी० शेषगिरि राव का समिति की ओर से स्वागत किया गया।

सरस्वती वन्दना से कार्यक्रम आरम्भ हुआ। समिति के अध्यक्ष और बैंक के मुद्राधिकारी श्री सुनिर्मल बोस ने अतिथियों का स्वागत करते हुए समिति के उददेश्यों तथा उसकी कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों पर प्रकाश डाला।

समिति के मंत्री श्री बिशन लाल संघी ने वर्ष 1982-83 के समिति के वार्षिक कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री वी० शेषगिरि राव ने हिन्दी के प्रयोग से संबंधित सांविधानिक स्थिति का परिचय देते हुए बैंक द्वारा हिन्दी के प्राग्रामी प्रयोग के बारे में किये जानेवाले उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बैंक कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में स्वैच्छिक हिन्दी प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुरोध किया।

मुख्य अतिथि श्री गोपाल राव एकबोटे ने अपने भाषण में संविधान की धारा 343 और 351 की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी भी देश की सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता के लिए एक भाषा का होना अत्यन्त आवश्यक है और वह सिर्फ हिन्दी से ही हो सकती है क्योंकि करीब 70 प्रतिशत से अधिक जनता हिन्दी जानती है।

बैंक के प्रबन्धक श्री ओमप्रकाश तनेजा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में हर संभव कदम उठाए जाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे समिति की कठिनाईयों को दूर करने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाई करेंगे ।

तत्पश्चात समिति द्वारा बैंक कर्मचारियों के लिए निबन्ध और वादविवाद प्रतियोगिताओं और कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों के लिए आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता के पुरस्कार मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा प्रदान किये गये ।

कार्यक्रम का संचालन समिति के कार्यकारिणी सदस्य श्री सी० पी० वर्मा ने कुशलतापूर्वक किया जिसमें श्री आर० गायकवाड, जी० के० शास्त्री, राधेश्याम राठी और के० डी० आगलावे का सहयोग रहा ।

यंत्र अनसंधान एवं विकास संस्थान, देहरादून में हिन्दी समारोह

यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (रक्षा मंत्रालय), देहरादून की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने दिनांक 20 अप्रैल 83 को राजभाषा हिन्दी के विकास प्रचार व प्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान में हिन्दी समारोह का भव्य आयोजन किया। इस समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डा० आर० हृदयानाथ ने की ।

आरम्भ में अपने सारगर्भित भाषण में डा० आर० हृदयनाथ ने राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने तथा हिन्दी के प्रगामी प्रचार और प्रसार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए । उन्होंने कहा कि विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के उपयोग को अधिकाधिक विकसित किया जाना चाहिए । हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेख लिखे जाने चाहिए । अधिकतर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आती है वे हिंदी में लिख, पढ़ और बोल सकते हैं परंतु संकोच, झिझक आदि की वजह से वे हिंदी में काम करने से कतराते हैं । यदि वे थोड़ा प्रयास करें तो आसानी से हिंदी में काम कर सकते हैं । उन्होंने आगे कहा कि भारत में केवल हिंदी की ही उन्नति नहीं होनी चाहिए अन्य प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं की भी तरक्की होनी चाहिए । केन्द्र में हिंदी के साथ-साथ सभी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से अंग्रेजी का इस्तेमाल हट जाएगा और केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार होने लगेगा ।

इस समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती हृदयनाथ ने समिति द्वारा आयोजित हिन्दी हस्ताक्षर निबन्ध श्रुतिलेख तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के विजेयताओं को पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया। संस्थान के उन कर्मियों को भी पुरस्कार दिये गये जो अपना अधिकतर सरकारी कमा-काज राजभाषा हिन्दी में करते हैं । हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत संस्थान के उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को नकद पुरस्कार वैयक्तिक वेतन वृद्धि तथा प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया ।

यंत्र अनुसन्धान एवं विकास संस्थान देहरादून में हिन्दी समारोह के अवसर पर।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डा० महेश कुमार शर्मा ने भी हिन्दी से संबन्धित अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि समूचे भारत की विभिन्न भाषाओं में, सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने की दृष्टि से, एक विशाल राष्ट्र की राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा सम्पर्क भाषा होने की सारी ताकत तथा मान्यताएं केवल हिन्दी में ही हैं ।

दिनांक 30 मई, 1983 को प्रातः 10–00 बजे हिन्दी कार्यशाला के शुभ उद्घाटन के अवसर पर विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड, विधि एवम् कम्पनी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री बृज किशोर शर्मा, माननीय मुख्य अतिथि साथ ही राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तथा त्रैमासिक प्रकाशन "राजभाषा भारती" के सम्पादक– श्री राजमणि तिवारी भी अतिथि के रूप में पधारे । अंचल के का० उपमहाप्रबंधक श्री आर० जी० आहूजा ने इस समारोह की अध्यक्षता की । इस अवसर पर मण्डल के प्रबन्धक श्री आर० जे० कामथ भी उपस्थित थे । सर्वप्रथम , हिन्दी अधिकारी श्रीमती जीवनलता जैन ने प्रतिभागियों को उपस्थित अतिथि महोदय तथा अधिकारियों के बारे में परिचय देते हुए उनका हार्दिक स्वागत किया । उन्होंने बैंक द्वारा हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के उद्देश्यों तथा अंचल में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला । का० उपमहाप्रबंधक श्री आर० जी० आहूजा जी ने सभी उपस्थित जनों का स्वागत करते हुए प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस कार्यशाला से पूर्ण लाभ उठाएं तथा इस कार्य में अधिक रुचि लेकर इसे और आगे बढ़ाने में सहयोग दें । तत्पश्चात माननीय अतिथि महोदय श्री बृज किशोर शर्मा जी ने अपने करकमलों से दीप-प्रज्ज्वलित करके कार्यशाला का शुभ उद्घाटन किया । श्री शर्मा जी ने अपने ओजपूर्ण भाषण में केनरा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किये जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और प्रतिभागियों को हिन्दी भाषा का महत्व बताते हुए रोजमर्रा के काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की प्रेरणा दी । तत्पश्चात हिन्दी अधिकारी, श्री रमेश चन्द ने माननीय मुख्य अतिथि श्री शर्मा जी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि केनरा बैंक अपनी शाखाओं/कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा ।

केनरा बैंक, दिल्ली अंचल कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला उद्घाटन समारोह । मुख्य अतिथि के रूप में श्री ब्रज किशोर शर्मा, संयुक्त सचिव विधाई विभाग, श्री आर० जे० कामथ, मण्डल प्रबन्धक श्री आर० के० आहूजा, श्री राजमणि तिवारी तथा अन्य ।

वर्नपुर में हिन्दी कार्यशाला

दि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लि० की एक सहायक कम्पनी), वर्नपुर में 30 मार्च से 2 अप्रेल 1983 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन हुआ ।

इस्को, में आयोजित होने वाली इस 11वीं कायशाला में तकरीबन 20 कर्मियों ने हिस्सा लिया जिनमें अधिकतर अहिन्दी भाषी थे जिन्होने इस्को की विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत चलने वाली कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । इसमें तकनीकी शब्दावली, पदनाम, विभिन्न कार्यालय के नाम, नेमी कार्यालय टिप्पणियां, एवं प्रारूप लेखन, विभिन्न पत्राचार एवं तार आदि विषय पर चर्चा हुई । श्री पौहारी शरण सिन्हा, सहायक प्रबंधक (हिन्दी), इस्को और श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, कनिष्ठ प्रबंधक (हिन्दी), इस्को, वर्नपुर ने इस कार्यशाला का संचालन किया । श्री राजमणि तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं सम्पादक राजभाषा भारती विशेष वक्ता के रूप में 31–3–1983 और 1–4–1983 को उपस्थित

थे । उन्होंने राजभाषा अधिनियम और नियमों की विस्तृत चर्चा की तथा पत्राचार के विविध रूपों के विषय में बताया। अंतिम दिन इस्को के मुख्य अधीक्षक (तकनीकी सचिवालय), श्री अरूण कुमार बोस ने कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मियों को प्रमाण पत्र दिए ।

यह कार्यशाला कार्यालयों में हिन्दी में काम काज को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होगी ।

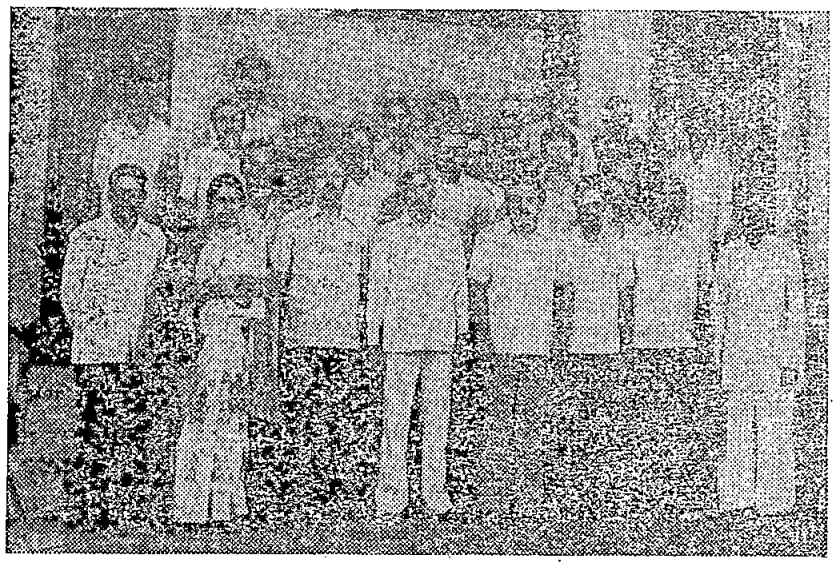

बर्नपुर कार्यशाला इस्को के विभिन्न विभागों के कर्मचारीगण। बीच में श्री राजमणि तिवारी, व० अ० अ० राजभाषा विभाग तथा श्री पौ० श० सिन्हा

"बढ़ते चरण" पत्रिका का विमोचन

बैंक आफ इण्डिया के नागपुर क्षेत्र के राजभाषा कक्ष द्वारा त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "बढ़ते चरण" के प्रवेशांक का विमोचन दिनांक 18 फरवरी, 1983 को क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में आयोजित एक समारोह में विदर्भ की सुप्रसिद्ध समाज सेविका एवं सामाजिक कार्यकर्ती श्रीमती आशादेवी माहेश्वरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री सी० एस० दिघे ने की ।

इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर के हिन्दी अधिकारी श्री राजकिशोर ने भी बैंकों में हिन्दी की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी रखे गये थे ।

क्षेत्रीय कार्यालय एवं स्थानीय शाखाओं के कर्मचारियों ने इस समारोह में रुचिपूर्वक भाग लिया ।

पत्रिका के सम्पादन एवं आयोजन की व्यवस्था क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी राजभाषा अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" ने की। यहां यह जानकारी देना भी प्रासंगिक होगा कि क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री सी० एस० दिघे के कुशल मार्गदर्शन एवं राजभाषा हिन्दी के प्रति उनके असीम अनुराग के कारण विदर्भ के अग्रणी बैंक के रूप में कार्यरत बैंक आफ इण्डिया ने हिन्दी के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। बैंक के नागपुर क्षेत्र के राजभाषा कक्ष ने हाल हीं में अन्तर-बैंक हिन्दी-वादविवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था । नागपुर में बैंकों के सम्बन्ध में प्रथम बार उक्त दोनों आयोजन हुए हैं, जिसका श्रेय बैंक आफ इण्डिया को जाता है। □□□

आदेश-अनुदेश (1)

सं० एफ० 14012/55/76-रा० भा० (ग)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोक नायक भवन, प्रथम तल,
नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 1983

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को "हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता" देना ।

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में निहित है जिनमें सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में कई प्रावधान किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियम तथा नियमों के इन प्रावधानों के बारे में प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। इन प्रावधानों का अनुपालन तथा वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि हिन्दी में अपना आशुलिपिक तथा टाइप का कार्य करने वाले आशुलिपिक और टाइपिस्ट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। क्योंकि अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों के अतिरिक्त हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइपिस्ट नियुक्त करने पर अत्य-

धिक खर्च होना था, इसलिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को विशेष भत्ता देकर द्विभाषी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की उपलब्धि बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस विभाग में विचार हो रहा था ।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों, विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे उन आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को, जो अंग्रेजी टाइप/आशुलिपि जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपना सरकारी कार्य करते हैं, क्रमशः 30 रुपए तथा 20 रुपए प्रतिमास विशेष भत्ता दिया जाए । केवल वे ही अंग्रेजी आशुलिपिक/टाइपिस्ट इस भत्ते के पात्र होंगे जो हिन्दी में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टंकित करते हैं । केवल एक या दो पंक्तियों के प्रारूप/टिप्पणियां इसमें शामिल नहीं होंगे । यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और इस राशि पर मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे ।

3. जिस कर्मचारी को यह भत्ता दिया जाएगा उन्हें यह सिद्ध करने के लिए कि वह अपना सरकारी कार्य दोनों भाषाओं में करता है संलग्न प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । आशुलिपिकों के लिए यह प्रमाणपत्र उस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसके साथ वह काम करता है और टाइपिस्टों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित अवर सचिव या कार्यालय अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिया जाएगा । जब आशुलिपिक या टाइपिस्ट दोनों भाषाओं में कार्य करना आरम्भ करे, तब से पहले 6 महीनों के लिए यह प्रमाणपत्र प्रतिमाह देना आवश्यक होगा और उसके पश्चात् प्रत्येक 3 महीने में एक बार ।

4. वर्तमान योजना, जिसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइपिस्ट का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं, जारी रहेंगी परन्तु जब इस योजना के अन्तर्गत विशेष भत्ते का लाभ मिलने लगेगा तब से अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह योजना 1983 के स्वतन्त्रता दिवस 15–8–83 से आरम्भ होगी और दो वर्ष तक की अवधि के लिए लागू रहेगी । इस अवधि के अन्त में इस योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

6. कार्यालय अध्यक्ष तथा आशुलिपिकों और टाइपिस्टों पर पर्यवेक्षी नियन्त्रण रखने वाले अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप यह विशेष भत्ता सम्बन्धित आशुलिपिक/टाइपिस्ट द्वारा द्विभाषी रूप से कार्य करने पर भी प्राप्त किया जाए । इन निर्देशों के दुरुपयोग और वास्तव में कार्य किए बगैर विशेष भत्ते के विनियोग से अभिप्राय उसी प्रकार सुविधा का दुरुपयोग माना जाएगा जैसे कि केन्द्रीय सरकार के नियमों के अन्तर्गत यात्रा या अन्य भत्तों के विनियोग के सम्बन्ध में अनियमितता को समझा जाता है । इस पहलू पर निगरानी रखने के लिए कार्यालय अध्यक्ष यदि चाहे तो अपने हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं ।

7. यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया जाता है ।

ह० (देवेन्द्र चरण मिश्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. निर्वाचन आयोग
3. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय
4. संघ लोक सेवा आयोग
5. गृह मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
6. अ० वि० एकक, राजभाषा विभाग (5 अतिरिक्त प्रतियां)
7. हिन्दी अनुभाग, गृह मंत्रालय (5 अतिरिक्त प्रतियां)
8. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स० वाई० 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली–23 (5 अतिरिक्त प्रतियां)
9. रा० भा० (ग) डैस्क, राजभाषा विभाग (500 अतिरिक्त प्रतियां)
10. सम्पादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, मैगजीन में इसे छापने के अनुरोध के साथ ।
11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष (संलग्न सूची के अनुसार)

संलग्नक

गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 14012/55/76–रा० भा० (ग) दिनांक 12–3–83 के अन्तर्गत हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता पाने के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र

"यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पदनाम..... अनुभाग .....ने..... से ..... तक की अवधि में अपने काम का कुछ भाग हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइपिंग में किया । हिन्दी में किए गए कार्य की मात्रा उपर्युक्त मास में औसतन 5 टिप्पणियों/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन/उपर्युक्त तिमाही में लगभग 300 टिप्पणियों/प्रारूप/पत्र से कम नहीं थी ।

हस्ताक्षर
ब्रांच अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष का पूरा नाम
दिनांक : (मोहर सहित)

सं० ई० 12013/2/83–रा० भा० (ई०)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली–110003, दिनांक 11 अगस्त, 1983
लोकनायक भवन, खान मार्केट, प्रथम तल

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
हिन्दी शिक्षण योजना

विषय :—हिन्दी शिक्षण योजना—सर्वकार्यकारी अधिकारी को मानदेय देना ।

महोदय,

गृह मंत्रालय के दिनांक 16–2–1974 के पत्र सं० ई०-12032/1/74–हिन्दी–I और दिनांक 5–6–73 के पत्र सं० ई० 12047/2/73–हिन्दी–II का अधिक्रमण करते हुए मुझे केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों को मानदेय देने के लिए निम्नलिखित दरों पर राष्ट्रपति की मंजरी भेजने का निदेश हुआ है जो हिन्दी शिक्षण केन्द्रों (जहां पूर्ण कालिक/ अंश कालिक हिन्दी प्राध्यापक/हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि अनुदेशक सहायक निदेशक कार्यरत हैं) के सर्वकार्यभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जो अपनी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त अवैतनिक रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की देख-रेख कर अतिरिक्त ड्यूटी और जिम्मेदारियों का पालन करते हैं :

(1) ऐसे हिन्दी शिक्षण केन्द्रों के सर्वकार्यभारी अधिकारी जहां 1 से 5 तक पूर्णकालिक नियमित हिन्दी प्राध्यापक/ हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि अनुदेशक (सहायक निदेशक) काम करते हैं।	100/रु० प्रति मास (एक सौ रुपए प्रति मास)
(2) ऐसे हिन्दी शिक्षण केन्द्रों के सर्वकार्यभारी अधिकारी जहां 6 या इससे ज्यादा पूर्णकालिक नियमित हिन्दी प्राध्यापक/हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि अनुदेशक/ (सहायक निदेशक) काम करते हैं ।	140/-रु० प्रति मास (एक सौ चालीस रुपए प्रति मास)
(3) ऐसे अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केन्द्रों के सर्वकार्यभारी अधिकारी जहां 20 या इससे अधिक प्रशिक्षार्थी दर्ज हैं।	50/-रु० प्रति मास (पच्चास रुपए प्रति मास)

परन्तु शर्त यह है कि :

(1) जो सर्वकार्यभारी अधिकारी एक से ज्यादा पूर्णकालिक केन्द्रों की निगरानी करेगा वह प्रत्येक केन्द्र पर पूर्णकालिक नियमित हिन्दी प्राध्यापक/हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि अनुदेशक (सहायक निदेशक) के लिए अलग-अलग मानदेय पाने का हकदार नहीं होगा बल्कि सभी केन्द्रों को मिलाकर उनके पूर्णकालिक नियमित हिन्दी प्राध्यापकों/हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि अनुदेशक (सहायक निदेशक) की कुल संख्या के आधार पर मानदेय का हकदार होगा । हिन्दी प्राध्यापकों/हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि अनुदेशकों (सहायक निदेशकों) की संख्या की गणना करते समय नियमित हिन्दी प्राध्यापकों/हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि अनुदेशकों (सहायक निदेशकों) के कार्यभार ग्रहण करने और छोड़ने की तिथियों को ध्यान में रखा जाएगा ।

(2) यदि किसी विशेष केन्द्र पर नियमित पूर्णकालिक हिन्दी प्राध्यापकों के अतिरिक्त अंशकालिक प्राध्यापक लगाए गए हैं तो सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा मानदेय के प्रयोजनों के लिए उनकी गणना नहीं की जाएगी ।

(3) एक से ज्यादा अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केन्द्रों की देख-रेख करने वाला सर्वकार्यभारी अधिकारी प्रत्येक केन्द्र के लिए अलग मानदेय का हकदार न होकर दर्ज प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या के आधार पर मानदेय का हकदार होगा ।

(4) सर्वकार्यभारी अधिकारी अपने मूल कार्यालय में छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) लेने की अवधि में किसी मानदेय का हकदार नहीं होगा ।

(5) यदि कोई अधिकारी एक महीने से कम समय के लिए सर्वकार्यभारी अधिकारी के तौर पर कार्य करता है, तो उसे मानदेय नहीं दिया जाएगा ।

2. पूर्णकालिक केन्द्र के सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा मानदेय की अदायगी की मांग करते समय निम्नलिखित प्रमाणपत्र संबंधित उप-निदेशक को भेजना होगा ।

(1) प्रमाणित किया जाता है कि ..... महीने में ..... स्थित हिन्दी शिक्षण केन्द्र (केन्द्रों) में मेरे अधीन पूर्णकालिक प्राध्यापकों/हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि अनुदेशकों (सहायक निदेशकों) की संख्या ..... है ।

3. अंशकालिक केन्द्र के सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा मानदेय की अदायगी की मांग करते समय सम्बन्धित उप-निदेशक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र भेजना होगा :—

प्रमाणित किया जाता है कि ..... में स्थित हिन्दी शिक्षण केन्द्र में ..... महीने में दर्ज प्रशिक्षार्थियों की संख्या ..... है ।

4. पूर्णकालिक/अंशकालिक केन्द्र के सर्वकार्यभारी अधिकारी को निम्नलिखित रूप में एक और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा :—

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन निर्धारित सभी आवधिक रिपोर्टें सम्बन्धित उप-निदेशक तथा राजभाषा विभाग को भेजी जा चुकी हैं।

5. नामांकन (एनरोलमेंट) शब्द की परिभाषा गृह मंत्रालय के दिनांक 2–5–1968 के पत्र संख्या 3/13/68–एच० में दी गयी है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्णकालिक/अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केन्द्रों पर किया गया सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा कार्यभारी और परिणामसाध्य प्रकार का है। इस मंजूरी को जारी करते समय मूल नियमावली के नियम II में दिए गए सामान्य सिद्धांतों का उचित ध्यान रखा गया है और मानदेय स्वीकार करने के लिए सर्वकार्यभारी अधिकारी के प्रशासनिक प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाएगी तथा सर्वकार्यभारी अधिकारी के नियुक्ति-पत्र में एक उपयक्त प्रमाणपत्र जोड़ा जाएगा।

7. यह मंजूरी इस विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा उनके यू० ओ० क्रमांक 55(एच)/वित्त एक/83 दिनांक 12–8–83 द्वारा दी गई।

8. यह खर्च 1983–84 के लिए गृह मंत्रालय के लिए अन्य खर्च अनुदान सं० 55 के अधीन मुख्य शीर्ष "265", सी०–अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सी०–5–प्रशिक्षण, सी०–5(2)–अन्य योजनाएं, सी०–5(2)(2)–अन्य प्रशिक्षण योजनाऐं (योजना) के नाम डाला जाएगा।

9. ये आदेश इन आदेशों के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय,

ह०/-

(वीरकुमार मजोत्रा निदेशक)

दिनांक 12–8–83

प्रति जानकारी/आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रेषित :—

(1) सभी महालेखाकार।
(2) हिन्दी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी (केवल पूर्णकालिक केन्द्रों के लिए)
(3) हिन्दी-I अनभाग
(4) लेखाकार, हिन्दी अनुभाग
(5) वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय
(6) वित्त I अनुभाग, गृह मंत्रालय।

"भारतवर्ष क्या है ? अनादिकाल से नाना जातियां अपने नाना भांति के संस्कार, रीति-रस्म लेकर इस देश में आती रही हैं। यहां भी अनेक प्रकार के मानव समूह विद्यमान रहे हैं। ये जातियां कुछ देर तक झगड़ती रही हैं और फिर रगड़-झगड़कर, ले-देकर पास हीं पास बस गई हैं--भाइयों की तरह। इन्हीं नाना जातियों, नाना संस्कारों, नाना धर्मों, नाना रीति-रस्मों का जीवन्त समन्वय यह भारतवर्ष है। विदेशी पराधीनता ने इसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुंचाई है। उसका बाह्य रूप विचित्र सा दिखाई दे रहा है। इसी वचित्र्यपूर्ण जन-समूह को आशा और उत्साह का संदेश देना साहित्य सेवा का लक्ष्य है। हजारों गांवों और शहरों में फैली हुई, शताधिक जातियों और उपजातियों में विभक्त सभ्यता के नाना स्तरों पर ठिठकी हुई यह जनता ही हमारे समस्त प्रयत्नों का लक्ष्य है। इसका कल्याण ही साध्य है, बाकी सब कुछ साधन है। आपने जो अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त किया है वह अपने आप में अपना अन्त नहीं है। वह साधन है। इसी भाषा के सहारे आपको इस जनता तक पहुंचना है। इसको निराशा और पस्त-हिम्मती से बचाना अपना कर्त्तव्य है। परन्तु यह सरल काम नहीं है। केवल कुछ अच्छा करने की इच्छा मात्र से यह काम नहीं होगा। .....

सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप आवश्यक है।"

—हजारीप्रसाद द्विवेदी

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के तत्वाधान में 28-29 तथा 30 अक्तूबर, 1983 को नई दिल्ली में सम्पन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्-घाटन भारत की प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा होगा। आशा की जाती है कि इस सम्मेलन में भारत के अनेक गणमान्य विद्वानों एवं सेवियों के अलावा लगभग 30 अन्य देशों के प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक भाग लेंगे। यह सम्मेलन नागपुर में जनवरी, 1975 में तथा मारिशस में अगस्त, 1976 में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलनों की अगली कड़ी है।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का लक्ष्य प्रथम और द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलनों की उपलब्धियों को न केवल स्थायित्व प्रदान करता है अपितु उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को गति भी देना है जो हिन्दी के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप को पुष्ट भी करती है। यह सम्मेलन एक ओर हिन्दी के माध्यम से भारत तथा अन्य देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को दृढ़ बनाने और दूसरी ओर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सन्दर्भ में जाति, धर्म, वर्ण और राष्ट्रीयता की संकु-चित सीमा से परे हिन्दी को प्रेम, सेवा और शांति की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेगा।

इस सम्मेलन से भारत में हिन्दी को अन्तरप्रादेशिक तथा बहुप्रयोजनी रूप मिलेगा। इससे भाषायी कटुता तो कम होगी ही, साथ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की भाषा के रूप में भी स्थान प्राप्त होगा। अतः इस महान सांस्कृतिक अनुष्ठान में देश-विदेश के सभी हिन्दी प्रेमियों का सहयोग अपेक्षित है।

कार्यक्रम

सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए लोकसभा के अध्यक्ष, डा० बलराम जाखड़, की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित कार्यक्रमों का इस अवसर पर आयोजन किया जाएगा :—

1. **विचार गोष्ठियां :**

खुला अधिवेशन :

1. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार की संभावनाएं और प्रयास
2. भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध और हिन्दी
3. मानव मूल्यों की स्थापना; हिन्दी की भूमिका

प्रथम संगोष्ठी :

आधुनिक भारत में हिन्दी के बढ़ते चरण

(4 समानान्तर गोष्ठी सत्र)

द्वितीय संगोष्ठी :

अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ और हिन्दी

(3 समानान्तर गोष्ठी सत्र)

तृतीय संगोष्ठी :

हिन्दी का आन्तरभारती स्वरूप।

(6 समानान्तर गोष्ठी सत्र)

2. **सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम :**

(क) संगीत एवं नृत्य (ख) नाटक (ग) कवि सम्मेलन

3. **हिन्दी के बढ़ते हुए चरण से सम्बद्ध प्रदर्शनी :**

(क) हिन्दी श्रव्यदृश्य और चित्राधार

(ख) प्रगति आरेख

(ग) तकनीकी उपकरण (घ) पुस्तक प्रदर्शनी

4. **भारतीय एवं विदेशी साहित्यकारों का अभिनन्दन एवं सम्मान**
5. **विशेष डाक टिकट का विमोचन**
6. **सम्मेलन सम्बन्धी वृत्तचित्र का निर्माण**
7. **चित्रावली का प्रकाशन**
8. **स्मारिका प्रकाशन**
9. **'विश्व हिन्दी धारा' त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन**

सम्मेलन कार्यालय :

कांस्टीट्यूशन क्लब, समिति कक्ष,
दूसरी मंजिल, विटठल भाई पटेल भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 (भारत)

"मैं अपने देश में बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर पर ढोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दें । आज इस अस्वाभाविक परिस्थिति का निर्माण करने वालों को जरूर गुनहगार मानता हूं । दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता । इसके कारण देश को जो नुकसान हुआ है, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं । मैं उसकी भयंकरता का अन्दाजा लगा सकता हूं, क्योंकि मैं निरन्तर करोड़ों मूक, दलित और पीड़ित लोगों के संपर्क में आता रहता हूं ।"

—महात्मा गांधी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री रंगनाथ त्रिपाठी 'राकेश' द्वारा, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, द्वारा मुद्रित ।